खण्ड–15, अंक–8
मंगलवार, 14 चैत्र, शक संवत् 1928
(4 अप्रैल, 2006 ई०)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)
(प्रथम सत्र 2006)

(खण्ड 15 में 10 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय, (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2006

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	"क"
नियम 311 के अन्तर्गत कतिपय विषयों को सुने जाने की माँग	1–2
प्रश्नोत्तर	2–68
सुरक्षा व्यवस्था के विषय में, श्री प्रकाश पन्त का व्यवस्था का प्रश्न	69
उत्तरांचल में सूखा प्रभावित क्षेत्रों के सम्बन्ध में श्री अजय भट्ट का व्यवस्था का प्रश्न	69–70
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	70
जनपद टिहरी गढ़वाल के धनसाली की ग्राम सभा सेमे तलियाधन में पेयजल योजना की मरम्मत न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	70
जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 द्वाराहाट अन्तर्गत गगास नदी के घटते जल स्तर के कारण पेयजल संकट समाधान हेतु गगास नदी को जल संवर्धन योजना हेतु चयनित किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	71
पेयजल निगम की विभिन्न योजनाओं पर कार्यरत कर्मचारियों का वेतन अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों की भाँति शासन से स्वीकृत सेन्टेज से दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	71
जनपद चमोली में गैरसैंण वि0ख0 अन्तर्गत पिण्डावाली में उत्पन्न पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	71–72
उत्तरांचल राज्य आंदोलन के दौरान मुज्जफरनगर काण्ड में पीड़ित महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की सुविधा प्रदान न किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	72
जनपद रुद्रप्रयाग के वि0ख0 ऊखीमठ अन्तर्गत ग्राम पंचायत रविग्राम (फाटा) के ग्राम रैल में विद्युतीकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	72–73
देहरादून के प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण के दौरान हरे–भरे वृक्षों को काटे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	73
श्री अजय भट्ट, स0वि0स0 द्वारा रानीखेत के ग्राम खनियाँ एवं जैंठा में पेयजल समस्या को नियम 300 के अन्तर्गत उठाने पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	73
उत्तरांचल विधान सभा के तृतीय सत्र वर्ष 2005 में प्राप्त 301 की सूचनाओं पर सरकार द्वारा कृत्त कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	73

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2002-2003 व 2003-2004 का वार्षिक लेखा एवं 2004-2005 की वार्षिक रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखा गया)	74
जनपद नैनीताल के अन्तर्गत सुधाधार अनुसूचित बाहुल्य बस्ती के पेयजल पम्पिंग योजना के पुनः आरम्भ करवाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	74
जनपद टिहरी गढ़वाल के वि0ख0 प्रतापनगर में स्थित ग्राम सेरा, ग्राम पंचायत बुडकोट के जलकूर नदी के ऊपर पैदल पुल निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ...	74
जनपद टिहरी गढ़वाल के चौण्ड (नौंदार) के संयुक्त चिकित्सालय भवन निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ...	74
उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा (अनर्हता निवारण) अधिनियम 1971 को संशोधित करने के लिए सभा द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार हेतु महामहिम श्री राज्यपाल के संदेश का श्री अध्यक्ष द्वारा पाठन	74-75
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	76-88
कार्य-मंत्रणा समिति की अनुमति के बगैर अनुपूरक कार्यसूची के सम्बन्ध में श्री मातबर सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा व्यवस्था का प्रश्न...	88
पतंजलि विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 (पुरःस्थापित) ...	88
उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2006 (पुनर्विचार हेतु सदन के पटल पर रखा गया)	88-89
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान	89-157
वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (चर्चा जारी)	157
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं रूपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 (पारित)	158-161
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000) अनुकूलन एवं रूपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2006 (पारित)	161-164

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	'क'
नियम–311 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं पर सुने जाने की मांग ...	1–4
प्रश्नोत्तर	5–65
राजकीय हाई स्कूलों एवं इण्टर कॉलेजों में कार्यरत सी0टी0 ग्रेड के शिक्षकों को जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों से कम वेतन प्राप्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना –	65–66
जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली तहसील के ग्राम सभा थाती बूढ़ाकेदार के हेमलेट गांव घनसाली आदि गांवों में विद्युत लाइन न बिछाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	67–68
जनपद नैनीताल के ग्राम सड़ियाताल–ज्योलीकोट में हो रहे भारी भू–स्खलन का नियंत्रण एवं गांव की सुरक्षा के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	68
जनपद नैनीताल में राजकीय इण्टर कॉलेज ज्योलीकोट के पुराने भवनों के पुनः निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ...	68
जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चोपड़ा में आम पड़ाव से हैड़ा तक ट्रैक्टर रोड निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ...	68
उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा विधेयक, 2006 (पुरःस्थापित) ...	69
कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)	69–70
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	70
उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम 1971] (संशोधन) विधेयक, 2006 (पारित) ...	70–73
पतंजलि विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 (पारित)	73–101
वित्तीय वर्ष 2006–2007 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा/क्रमागत ...	101–122
प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों एवं प्रदेश की बाहर की इकाइयों को शीरे के आवंटन के अनुबन्ध के सम्बन्ध में दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 को डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल द्वारा पूछे गये अल्पसूचित प्र0सं0–1 के विषय पर नियम 49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा	122–130
नियम 51 के अन्तर्गत सूचना	130
नत्थियाँ	131–148

'क'

उपस्थिति

1. श्री अजय भट्ट
2. " अनिल नौटियाल
3. डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्री अरविन्द पाण्डे
6. श्रीमती आशा देवी
7. " इन्दिरा हृदयेश
8. श्री उम्मेद सिंह माजिला
9. " काशी सिंह ऐरी
10. " किशोर उपाध्याय
11. " कैलाश शर्मा
12. " कौल दास
13. " गगन सिंह
14. " गोपाल सिंह
15. " गोविन्द लाल
16. " गोविन्द सिंह कुंजवाल
17. " जोत सिंह
18. " तसलीम अहमद
19. " तिलक राज बेहड़
20. " तेजपाल सिंह रावत
21. " दिनेश अग्रवाल
22. " नरेन्द्र सिंह भण्डारी
23. " नव प्रभात
24. " नारायण पाल
25. " नारायण राम आर्य
26. " नारायण सिंह जंतवाल
27. "काजी" निजामुद्दीन
28. श्री प्रकाश पंत
29. डा0 प्रताप बिष्ट
30. श्री प्रदीप टम्टा
31. " प्रीतम सिंह
32. " प्रीतम सिंह पंवार
33. श्री प्रेमानन्द महाजन
34. " पुष्पेश त्रिपाठी
35. " फूल सिंह बिष्ट
36. " बलवीर सिंह नेगी
37. " बिशन सिंह चुफाल
38. " मदन कौशिक
39. " मंत्री प्रसाद नैथानी
40. " महेन्द्र भट्ट
41. " महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)
42. " मातबर सिंह
43. " माल चन्द्र
44. चौ0 यशवीर सिंह
45. श्री रणजीत सिंह
46. " रसैल वैलेन्टाइन गार्डनर
47. " राम प्रसाद टम्टा
48. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
49. श्री शूरवीर सिंह
50. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
51. श्री सहजाद
52. " साधू राम
53. " सुबोध उनियाल
54. " सुन्दर लाल मन्द्रवाल
55. " सुरेन्द्र सिंह नेगी
56. " सुरेश चंद
57. डा0 हरक सिंह रावत
58. श्री हरबंस कपूर
59. " हरभजन सिंह चीमा
60. " हरीदास
61. " हरीश चन्द्र दुर्गापाल
62. " हीरा सिंह बिष्ट
63. " हेमेश खर्कवाल
64. " त्रिवेन्द्र सिंह रावत

मंगलवार, दिनांक 4 अप्रैल, 2006 ई0

(विधानसभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

नियम–311 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं पर सुने जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे) (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, हमारे विधायकों ने नियम–311 में एक सूचना दी है। लाभ के पद का जो विधेयक है, उसे महामहिम राज्यपाल महोदय ने वापस भेज दिया है। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आज विधेयक आ रहा है, उस समय आप अपनी बात रख सकते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, विधेयक के आने से पहले इस पर चर्चा करायी जाये।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, हमारी श्रमिकों के सम्बन्ध में एक सूचना है। इसे आप नियम–311 में स्वीकार कर लें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हरीदास–

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–311 के अन्तर्गत पहली सूचना उत्तरांचल वन श्रमिक संघ के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री काशी सिंह ऐरी, श्री नारायण सिंह जन्तवाल तथा श्री पुष्पेश त्रिपाठी की सूचना प्राप्त हुई है। इस बारे में कल सदन में उल्लेख हो चुका है और वन मंत्री जी ने इस सम्बन्ध

में स्थिति स्पष्ट कर दी है। अतः मैं इसे नियम-311 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। दूसरी सूचना माननीय सदस्य सर्व श्री मातबर सिंह कण्डारी, प्रकाश पंत, अजय भट्ट, महेन्द्र प्रसाद भट्ट तथा अन्य माननीय सदस्यों की है। जो राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) विधेयक, 2006 के सम्बन्ध में है। मैं इसे नियम-311 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मातबर सिंह-

मान्यवर, हम नियम-311 में चर्चा करना चाहते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मान्यवर, आप मद संख्या 14 पर अपनी बात रख सकते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मातबर सिंह-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इस पर चर्चा करा लें। क्या हर्ज है।

(नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री मातबर सिंह को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में आ गये और नारे लगाने लगे।)

(बहुजन समाज पार्टी तथा उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के सभी माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आज पुनर्विचार के लिए विधेयक आ रहा है। उस समय आप अपनी बात को रख सकते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)-

मान्यवर, जब इस मद पर चर्चा हो, उस समय माननीय सदस्यगण अपनी बात रख सकते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-311 के अन्तर्गत तीसरी सूचना श्री अरविन्द पाण्डे तथा श्री हरभजन सिंह चीमा की है। जो जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर वन क्षेत्र में

अवैध रूप से सागौन के वृक्षों के काटे जाने के सम्बन्ध में है। मैं इसे नियम-311 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। माननीय सदस्यों की इस सूचना को नियम-58 में आज सुन लिया जायगा। चौथी सूचना माननीय सदस्य सर्वश्री हरीदास, श्री तसलीम अहमद तथा श्री नारायण पाल की है। मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। पाँचवी सूचना माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री हरीदास, श्री तसलीम अहमद तथा श्री नारायण पाल की है। जो 14 अप्रैल को उत्तरांचल की चीनी मिलों में डा0 भीमराव अम्बेडकर जन्म दिवस के अवसर पर अवकाश के सम्बन्ध में है। मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। तथापि यह निर्देश दे रहा हूँ कि शासन इसे देख ले।

(घोर व्यवधान के मध्य)

("वेल" में मौजूद माननीय सदस्यगण पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकाल आपका है, इसे चलने दें। (घोर व्यवधान)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में खड़े होकर तथा बहुजन समाज पार्टी तथा उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात करते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मान्यवर, कृपया अपना आसन ग्रहण करें, मद संख्या 14 में यह विधेयक आ रहा है, आप लोग वहां पर अपनी बात को कह सकते हैं।

('वेल' में खड़े भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मान्यवर, प्रश्नकाल होने दीजिए, विधेयक पर आप लोग पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं तथा आज भी मद संख्या 14 में यह विधेयक आ रहा है, आप लोग उस समय अपनी बात को कह सकते हैं।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत अपनी बात कहते रहे और नारे लगाते रहे-जोर जबरदस्ती की सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन की कार्यवाही को 11.30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पूर्वाह्न 11.30 बजे पुनः आरम्भ हुई)

(भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात करने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, हमने नियम-311 की सूचना दी है। मेरा विनम्र अनुरोध है कि हमें सुन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, मेरा विनम्र अनुरोध है कि प्रश्नकाल होने दें।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल ने इस विधेयक को वापस कर दिया है। इसको टेबिल करने के लिए कम से कम एक दिन का समय तो होना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(श्री अध्यक्ष द्वारा नत्थी-क अल्पसूचित प्रश्न संख्या-1 पुकारे जाने पर)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, हमारी जो सूचना है, मेरा अनुरोध है कि उसको सुन लिया जाय। हमने विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अनुसार अपनी सूचना दी है। हम इसको सुनने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय ऐरी जी, मेरा अनुरोध है कि कृपया आसन ग्रहण करें।

(उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर बैठ गये।)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस विषय पर लोक सभा में भी चर्चा होनी है। इस सम्बन्ध में संविधान में संशोधन करना होगा, तभी सरकार काम कर सकती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 12.20 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

उत्तरांचल में उत्तर प्रदेश से लैमन ग्रास की पौध खरीद पर व्यय

**1. श्री अजय भट्ट–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि उत्तरांचल के किसानों द्वारा ''लैमन ग्रास'' पैदा की जा रही है?

यदि हाँ, तो यू0पी0 की कृषक फर्म को बिना टैण्डर किये उ0प्र0 से उत्तरांचल तक ''लैमन ग्रास'' की पौध ढुलाई हेतु 03 करोड़ रुपये का ठेका किस आधार पर भुगतान किया गया? तथा अब तक उ0प्र0 से कुल कितनी मूल्य की ''लैमन ग्रास'' क्रय की गयी है?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उत्तरांचल के किसानों से ''लैमन ग्रास'' की पौध न खरीद कर उ0प्र0 के किसानों से महंगे दर पर पौध खरीदने के क्या कारण थे?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

जी हाँ।

उ0प्र0 की किसी कृषक फर्म को पौध की ढुलाई हेतु रु0 03 करोड़ का ठेका नहीं दिया गया।

अब तक उ0प्र0 में स्थित संस्था श्री अजय कृष्णा, बलरामपुर से रु0 22,76,300/– मूल्य की ''लैमन ग्रास'' क्रय की गयी है।

लैमन ग्रास की आपूर्ति कोटेशन के आधार पर निम्न संस्थाओं द्वारा की गयी:–

संस्था का नाम	आपूर्ति की गयी पौध	दर (प्रति पौध/रु0)	ढुलान आदि (प्रति पौध/रु0)	क्रय मूल्य (रु0 में)	कुल व्यय (ढुलान सहित रु0 में)
एच0आर0डी0आई	500000	1.00	0.50	500000	750000
वन विभाग	200000	1.00	0.50	200000	300000
हैप्पी वैली स्वयं सहायता समूह अमोली, कोटद्वार	387650	1.00	0.50	387650	581475
अजय कृष्णा बलरामपुर (यू0पी0)	3502000	0.65	0.30	2276300	3326900
योग:	4589650			33439500	4928375

नोट–उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

राज्य सीमा के अन्तर्गत संचालित व्यवसायिक वाहनों के टैक्सी परमिट निर्गत करने पर विचार

**2. श्री प्रकाश पंत,

श्रीमती विजय बड़थ्वाल

श्री अरविन्द पाण्डे एवं

श्री कैलाश शर्मा–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य की सीमा के अन्तर्गत संचालित किये जाने वाले व्यवसायिक वाहनों के टैक्सी परमिट निर्गत नहीं किये जा रहे हैं?

यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं?

क्या सरकार पुनः व्यवसायिक टैक्सी परमिटों को निर्गत करने के सम्बन्ध में विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

तारांकित प्रश्न

सरकार द्वारा प्रदेश के कतिपय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने हेतु प्रस्ताव

*1. काजी निजामुद्दीन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई कुल कितनी है तथा यह पूरे देश के राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई के अनुपात में कितने प्रतिशत है?

क्या प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के कतिपय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे हैं?

यदि हाँ, तो कब तक और वे प्रस्ताव कितनी लम्बाई के हैं?

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

2108 किमी0, 3.21 प्रतिशत।

जी हाँ।

दिनांक 18 अक्टूबर, 2004 को निम्न मार्गों के प्रस्ताव भेजे गये, जिन पर स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।

1. पिथौरागढ़–जौलजीबी–धारचूला–सोनला–नारायण आश्रम मोटर मार्ग 132.00 किमी0
2. काशीपुर–ठाकुरद्वारा–मुरादाबाद मोटर मार्ग 60.00 किमी0
3. देहरादून–मसूरी–चकराता–त्यूनी मोटर मार्ग 182.00 किमी0
4. कौसी–कौसानी–बागेश्वर–चोकोरी–थल–मुनस्यारी–मदकोट–जौलजीबी मोटर मार्ग 296.00 किमी0

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा नए राजमार्ग घोषित करने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

प्रदेश में राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वृक्षारोपण

*2. श्री मदन कौशिक–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनाच्छादित क्षेत्र मानक से कम हैं?

यदि हाँ, तो इसके लिये वृक्षारोपण की कोई योजना बनाई गई है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ।

जी हाँ।

वनावरण में वृद्धि के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उपलब्ध वन भूमि एवं गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण हेतु विभिन्न विभागों/संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही समस्त योजनाओं को समन्वित कर इस सम्बन्ध में सुनियोजित ढंग से कार्य करने हेतु **उत्तरांचल वृक्षारोपण नीति, 2005** लागू की गयी है। वन विभाग के

अन्तर्गत वर्तमान में वनाच्छादित क्षेत्र बढ़ाने हेतु निम्न योजनाओं के अन्तर्गत वृक्षारोपण किया जा रहा है:-

1. सिविल सोयम वनों का विकास योजना।

2. बांस प्रजातियों का वृक्षारोपण।

3. जैट्रोफा तथा अन्य बायोफ्यूल प्रजातियों का वृक्षारोपण।

4. एफ०डी०ए० के अन्तर्गत संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों, ग्राम वन समितियों तथा पारिस्थितिकीय समितियों के द्वारा वृक्षारोपण।

5. औषधि एवं सगन्ध प्रजातियों का रोपण।

6. सड़कों के किनारे वृक्षारोपण।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में प्लास्टिक प्रदूषण रोकने हेतु कैरीबैग की माइक्रोन थिकनेस बढ़ाये जाने पर विचार

*3. श्री प्रीतम सिंह पंवार-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में प्लास्टिक प्रदूषण रोकने हेतु कैरीबैग की माइक्रोन थिकनेस बढ़ाये जाने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात-

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'द प्लास्टिक मैन्युफैक्चर, सेल एण्ड यूजेज रूल्स 1999 ऐज अमेन्डेड जून, 2003' द्वारा 20 माइक्रोन से कम मोटाई की प्लास्टिक थैलियां पूर्णतया प्रतिबंधित हैं। यह नियम सम्पूर्ण भारत में लागू है।

लागू है।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित उपरोक्त नियमों को ही उत्तरांचल में अपनाया गया है।

उत्तरांचल में रोपित जैट्रोफा पौधे का कुल क्षेत्रफल तथा विस्तार योजना

*4. श्रीमती विजय बड़थ्वाल-

क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में बायो डीजल पैदा करने वाला पौधा जैट्रोफा कुल कितने क्षेत्रफल में लगाया गया है?

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत उक्त पौधे को कुल कितने क्षेत्रफल में और कहाँ–कहाँ रोपण किया गया है?

क्या भविष्य में इसके विस्तार की कोई योजना है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

उत्तरांचल में जैट्रोफा का रोपण लगभग 8554 हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत 907 हे0 क्षेत्र में जैट्रोफा का रोपण किया गया है। स्थलों का विवरण संलग्न है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या–131 से 133 पर)

उत्तरांचल के सीमान्त क्षेत्र टनकपुर स्थित शारदा रेंज वनों में कीमती पेड़ों का अवैध कटान

*5. श्री हरबंस कपूर–

क्या वन मंत्री के संज्ञान में है कि उत्तरांचल के सीमान्त क्षेत्र टनकपुर के शारदा रेंज का शारदा टापू संख्या 36.37 क्षेत्र में व्याप्त वनों में साल, शीशम व सागौन जैसे कीमती पेड़ों को माओवादियों द्वारा काटा जा रहा है और वृक्षों को नेपाल क्षेत्र की आरा मशीनों को बेचा जा रहा है?

यदि हाँ, तो वन विभाग द्वारा अवैध कटान एवं वृक्षों को नेपाल क्षेत्र की आरा मशीनों को बेचने के पूरे प्रकरण की जांच करवाकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

यह क्षेत्र शीशम वन क्षेत्र है, वृक्षों के कटान के प्रकरण होने पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है। किसी प्रकार के व्यापक अवैध कटान का मामला प्रकाश में नहीं आया है।

विभाग द्वारा नेपाल वन विभाग के सहयोग से नेपाल में स्थित आरा मशीनों पर छापा मारने की कार्रवाई की गयी तथा प्रकोष्ठ की बरामदगी भी की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

सरकार की पारदर्शी सूचना नीति एवं प्रेस व मान्यता समितियों का राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गठन

*6. श्री अजय भट्ट–

क्या सूचना मंत्री अवगत हैं कि सरकार की पारदर्शी सूचना नीति एवं प्रेस व मान्यता समितियों का राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गठन हेतु उत्तरांचल के पत्रकार लम्बे समय से आन्दोलन कर रहे हैं?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस दिशा में पत्रकारों की मांगों की पूर्ति हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

यदि नहीं, तो क्यों एवं कब तक उक्त मांगों पर पूर्णतः विचार किया जायेगा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

प्रेस एवं विज्ञापन मान्यता समितियों के गठन हेतु कार्यवाही की गई है। अन्य नीति विषयक विषयों पर भी नियमानुसार कार्यवाही प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

वन विकास निगम में लकड़ी कटान के ठेके विभागीय स्तर पर किये जाने से आय में क्षति

*7. श्री प्रकाश पंत–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वन विकास निगम में लकड़ी कटान के ठेके निविदा के आधार पर विभागीय स्तर पर किये जा रहे हैं?

यदि हाँ, तो इस प्रक्रिया के कारण राज्य को वर्ष 2005–06 में निविदाओं के माध्यम से होने वाली आय से कितनी क्षति हुई?

क्या सरकार पुनः वन विकास निगम के लकड़ी कटान इत्यादि कार्य निविदा के आधार पर करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

वन विकास निगम द्वारा लकड़ी कटान–चिरान कार्य स्वीकृत नार्म्स पर विभागीय रूप से किया जा रहा है तथा प्रकाष्ठ को जंगल से सड़क तक एवं डिपो/गन्तव्य स्थान तक ढुलान करने का कार्य निविदा के आधार पर व्यवस्थापकों के माध्यम से कराया जा रहा है।

विभागीय रूप से कार्य मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कराया जा रहा है, अतः क्षति होने का प्रश्न निहित नहीं है।

वर्तमान प्रक्रिया में विचलन करने का अवसर नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून के अन्तर्गत रिस्पना पुल का विस्तारीकरण

*8. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री मिज्ञ हैं कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत रिस्पना पुल के दोनों ओर प्रतिदिन सड़क में ट्रैफिक के कारण जाम रहता है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार के पास रिस्पना पुल के चौड़ीकरण तथा पुल के दोनों ओर के चौराहों के विस्तारीकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक पुल व चौराहे का विस्तारीकरण का कार्य पूर्ण हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

रिस्पना पुल के समान्तर पुल स्वीकृत किये गये हैं, चौराहों के विस्तारीकरण हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में अधिसूचित करने हेतु केन्द्र सरकार को प्रेषित प्रस्ताव

*9. श्री तसलीम अहमद–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के किन–किन वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में अधिसूचित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये हैं और किन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाये जाने की मांग की जा रही है?

सरकार द्वारा इस दिशा में क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं।

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ, इस सम्बन्ध में भारत सरकार से सैद्धान्तिक सहमति हुई है।

विस्तृत प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

किसानों द्वारा उत्पादित यूकेलिप्टस लकड़ी पर निकासी रवन्ना समाप्त करने पर विचार

*10. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या वन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि वानिकी के प्रोत्साहन हेतु क्या सरकार पॉपलर प्रजाति की लकड़ी की भाँति किसानों द्वारा उत्पादित "यूकेलिप्टस" प्रजाति की लकड़ी पर निकासी रवन्ना समाप्त करने का विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तरांचल क्षेत्र में यूकेलिप्टस की निकासी रवन्ना पर छूट प्रदान करने से वन क्षेत्र के यूकेलिप्टस प्रकाष्ठ के अवैध पातन की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो सकती है।

प्रदेश में बाघों द्वारा लोगों पर हमले की घटनाओं की रोकथाम

*11. श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बाघों द्वारा लोगों पर हमला करने की घटनाओं में वृद्धि हुयी है?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उक्त घटनाओं को रोकने हेतु कोई योजना बनाई जा रही है?

यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जी नहीं, प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बाघों द्वारा लोगों पर हमला करने की घटनाओं की संख्या में उतार–चढ़ाव होता रहता है।

इस सम्बन्ध में भारतीय वन्य जीव संस्थान से अध्ययन कराया गया है तथा तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है। नरभक्षी घोषित होने पर बाघ को पकड़ने तथा मारने की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

1—श्री मदन कौशिक—द्वितीय मंगलवार के अतारांकित 15 में स्थानान्तरित

राज्य में वन पंचायत नियमावली में संशोधन कर बेनाप भूमि को ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किये जाने पर विचार

2. श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में वन पंचायत नियमावली में संशोधन कर राज्य सरकार के नाम दर्ज बेनाप भूमि को ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किए जाने पर सरकार विचार कर रही है?

क्या सरकार द्वारा वर्ष 1996 में जारी शासनादेश में संशोधन कर वन नीति को नवीन स्वरूप दिया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात—

जी नहीं।

वर्तमान में वन नीति में संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

बेनाप भूमि को ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किए जाने का प्रश्न वन पंचायत नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत नहीं आता है।

जनपद उत्तरकाशी अन्तर्गत जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक पैदल मार्ग के निर्माण कार्य की जांच

3. श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी में श्री यमुनोत्री धाम जाने के लिये जानकी चट्टी से श्री यमुनोत्री धाम तक पैदल मार्ग निर्माणाधीन है?

क्या यह सत्य है कि 11 मई, 2005 को महामहिम श्री राज्यपाल उत्तरांचल शासन द्वारा उक्त पैदल मार्ग पर प्रयुक्त हो रही ईंटों व रेता, बजरी की जांच व कार्य की गुणवत्ता की जांच के आदेश दिये गये थे?

यदि हाँ, तो क्या जांच पूर्ण हो चुकी है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

मात्र इन्टरलाकिंग टाइल्स की जाँच के आदेश थे।

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में स्थित बुग्यालों के सम्वर्द्धन व संरक्षण हेतु योजना

4. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में स्थित विभिन्न बुग्यालों के सम्वर्द्धन व संरक्षण के लिये सरकार द्वारा कोई योजना बनायी गयी है?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

राज्य में स्थित बुग्यालों की पारिस्थिति के अध्ययन एवं उनके वैज्ञानिक प्रबन्धन हेतु परियोजनायें तैयार किए जाने के लिए मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तरांचल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।

समिति की संस्तुतियों के आधार पर निर्धारण किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

वन विभाग में योजनाओं एवं मरम्मत कार्य हेतु बिना निविदा आमन्त्रित किये कार्य करवाने की व्यय सीमा

5. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वन विभाग में योजनाओं एवं मरम्मत कार्यों हेतु बिना निविदा आमन्त्रित किये विभागीय रूप से कार्य करवाने को प्रभाग स्तर पर व्यय करने की कोई सीमा निर्धारित है?

यदि हाँ, तो कितनी?

क्या विभाग द्वारा निर्धारित व्यय सीमा से अधिक किया जा रहा है?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी वित्तीय अनियमितता रोकने हेतु कोई ठोस कदम उठायेंगे?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ।

1–वृक्षारोपण योजनायें–प्रभाग की सीमा रुपया 1,00,000–00 (एक लाख रुपये)

2–मरम्मत कार्य–प्रभाग की सीमा–रु0 शून्य।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

6–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–तृतीय मंगलवार तक के लिए स्थगित

जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 चौखुटिया–मासी मुख्य मोटर मार्ग का डामरीकरण व सुधारीकरण

7. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड चौखुटिया अन्तर्गत चौखुटिया–मासी मुख्य मोटर मार्ग अत्यधिक खराब होने के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है?

यदि हाँ, तो सरकार उक्त मोटर मार्ग का डामरीकरण व सुधारीकरण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करवायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मार्ग का 10 कि0मी0 भाग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत चौखुटिया एवं द्वाराहाट के मुख्य बाजार में वर्षा ऋतु में जल निकासी की व्यवस्था

8. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विकासखण्ड चौखुटिया एवं विकासखण्ड द्वाराहाट जनपद अल्मोड़ा के मुख्य बाजार में वर्षा ऋतु में वर्षा का जल भरने से जनता को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार मुख्य बाजार के जल निकासी हेतु नालों की क्षमता को बढ़ाये जाने की कार्यवाही करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

जी हाँ।

राष्ट्रीय राजमार्ग में पड़ता है। अतः स्वीकृति भारत सरकार पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग में कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटरों का नियमितीकरण

9. श्री नारायण सिंह जन्तवाल

एवं

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगी कि लोक निर्माण विभाग में कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था लागू होने पर वर्ष 2001 से लगभग 37 कम्प्यूटर आपरेटर विभिन्न खण्डों/वृत्तों में कार्य करते आ रहे हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार लगभग 05 वर्षों से कार्यरत इन कम्प्यूटर आपरेटरों का नियमितीकरण किये जाने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

राज्य में पत्रकार मान्यता समिति व विज्ञापन मान्यता समिति का गठन

10. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या सूचना मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि राज्य में पत्रकार मान्यता समिति व विज्ञापन मान्यता समिति का गठन कर लिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

राज्य में पत्रकार मान्यता समिति व विज्ञापन मान्यता समिति के गठन की कार्यवाही गतिमान है। वैकल्पिक आधार पर पत्रकारों के मान्यता सम्बन्धी प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु अधिशासी निदेशक सूचना की अध्यक्षता में चार सदस्यीय विभागीय कमेटी का गठन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में विभिन्न प्राणियों की प्रजातिवार संख्या पटल पर रखे जाने की मांग

11. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में विभिन्न वन्य प्राणियों की गणना की गयी है?

यदि हाँ, तो राज्य में पायी जाने वाली प्राणी जगत की प्रजातिवार संख्या क्या है? क्या सरकार ब्योरा/विवरण सदन के पटल पर रखेंगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ।

वर्ष 2005 में की गयी वन्यजन्तु गणना के अनुसार स्थिति निम्न प्रकार है:–

क्रमांक	प्रजाति	संरक्षित क्षेत्र में	संरक्षित क्षेत्र के बाहर	योग
1	बाघ	165	76	241
2	गुलदार	567	1538	2105
3	हाथी	1054	456	1510
4	बारह सिंघा	–	34	34
5	सांभर	7337	3551	10888
6	चीतल	46454	6932	53386
7	पाड़ा	170	120	290
8	काकड़	3046	7509	10555
9	कस्तूरी मृग	142	137	279
10	भरल	1898	93	1991
11	थार	1291	309	1600
12	घुरल	2181	7622	9803
13	मगर	16	–	16
14	घड़ियाल	98	–	98
15	नीलगाय	2368	7702	10070
16	हिमालयन भालू	259	1419	1678
17	भूरा भालू	19	11	30
18	स्लोथ बियर	82	158	240
19	सिराऊ	73	69	142
20	जंगली सूअर	8512	24101	32613
	योग:–	75642	61837	137479

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के वि०ख० नौगांव में रा०इ०का० के सभागार के पृष्ठ भाग की क्षतिग्रस्त दीवार का पुनर्निर्माण

12. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव में राजकीय इण्टर कॉलेज नौगांव के सभागार के पृष्ठभाग में नौगांव–राजगढ़ी मोटर मार्ग की दीवार ढहने से सभागार का पृष्ठभाग क्षतिग्रस्त हुआ है?

यदि हाँ, तो उक्त दीवार का निर्माण तथा सभागार के पृष्ठभाग में पड़े मलबे को कब तक उठा लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

शीघ्रताशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के वि०ख० नौगांव के दिल्ली यमुनोत्री मोटर मार्ग पर झरझरगाड़ में मोटर पुल का निर्माण

13. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव के दिल्ली–यमुनोत्री मोटर मार्ग के झरझरगाड़ में मोटर पुल न होने के कारण वर्षाकाल में अधिक पानी आ जाने से मार्ग अवरुद्ध हो जाता है फलस्वरूप तीर्थ यात्रियों व क्षेत्रीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में झरझरगाड़ पर मोटर पुल का निर्माण करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र होने के कारण सेतु निर्माण सुरक्षित नहीं है।

विकल्प के रूप में ह्यूम पाईप कल्वर्ट का निर्माण करवाया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागेश्वर के सुदूरवर्ती क्षेत्र पट्टी पल्ला कमस्यार घाटी में मोटर मार्ग का निर्माण

14. श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के सुदूरवर्ती क्षेत्र पट्टी पल्ला कमस्यार घाटी के लोग आज भी मोटर सुविधा से वंचित हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार, पुस्तोला, दाड़ीगाड़, नरगोली, तुषरैड़ा, दागा–ओलानी, नगराड़ी, देवतोली, भण्डरगांव, पढाव, ध्योली पटला, कोटभण्डार, खातीगांव तथा कोश्यारी गांव आदि गांवों को निकट भविष्य में सड़क मार्ग से जोड़ने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण।

नैनीताल के पटवाडॉंगर रोपड़ रोड के निर्माण की सरकार द्वारा स्वीकृति

15. श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगी कि पटवाडॉंगर–रोपड़ रोड निर्माण का (जिला नैनीताल) प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो क्या शासन द्वारा उक्त मार्ग हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 भटवाडी में मनेरी रैथल मोटर मार्ग पर द्वारी में नवला नदी पर मोटर पुल का निर्माण

16. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाडी में मनेरी–जखोली–द्वारी–रैथल मोटर मार्ग पर द्वारी में नवला नदी पर मोटर पुल निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

पुल स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के रा0इ0का0 चिन्यालीसौड़ परिसर में यूकेलिप्टस के पुराने वृक्षों के पातन हेतु वन विभाग द्वारा निस्तारण

17. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के राजकीय इण्टर कॉलेज चिन्यालीसौड के विद्यालय परिसर में यूकेलिप्टस के भारी तथा पुराने वृक्षों के उखड़ने का खतरा बना हुआ है? क्या यह सत्य है कि विद्यालय प्रशासन द्वारा इन वृक्षों के पातन के लिए वन विभाग से वर्ष 2002 से लगातार अनुरोध किया जा रहा है?

यदि हाँ, तो विभाग द्वारा इन वृक्षों का पातन विद्यालय हित में कब तक करा लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वन प्रभारी–

राजकीय इन्टर कॉलेज, चिन्यालीसौड के विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रशासन द्वारा यूकेलिप्टस पेड़ों के पातन हेतु वर्ष 2002 में आवेदन किया गया था परन्तु विद्यालय प्रशासन एवं वन विकास निगम के बीच सहमति न होने के कारण वन विकास निगम द्वारा लौट का निस्तारण उस समय नहीं किया जा सका।

पुनः अप्रैल, 2005 में पेड़ों के पातन के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी डुण्डा के माध्यम से अनुरोध प्राप्त होने पर छपान की कार्यवाही के उपरान्त वन विकास निगम द्वारा खतरनाक वृक्षों का पातन कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में जानकी चट्टी से यमुनोत्री पैदल मार्ग पर रेलिंग न होने से दुर्घटना का अंदेशा

18. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी में जानकी चट्टी से यमुनोत्री पैदल मार्ग के कई मोड़ों पर रेलिंग न होने से हर समय भयंकर दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार यात्रियों के हित में पैदल मार्ग के खतरे वाले स्थानों व मोड़ों पर रेलिंग स्थापित करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

पैदल मार्ग पर दुर्घटना होने की संभावना अति क्षीण होती है। फिर भी यथासम्भव सुरक्षात्मक दृष्टि से आवश्यक स्थानों पर रेलिंग लगाई जाती है।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में सड़क निर्माण हेतु केन्द्र से प्राप्त धन को खर्च करने की योजना

19. श्री मदन कौशिक–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि वर्ष 2005–2006 में राज्य को केन्द्र से सड़क निर्माण हेतु कितना धन प्राप्त हुआ है और कितना धन खर्च किया गया?

क्या सरकार द्वारा केन्द्र से सड़क निर्माण हेतु मिले सम्पूर्ण धन को ठीक तरह खर्च करने हेतु कोई योजना बनाई गई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

रु0 6169.03 लाख की प्राप्ति।

2/06 तक रु0 4575.85 लाख व्यय।

स्वीकृत धन का उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 नौगांव हनुमान चट्टी से जानकी चट्टी मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण

20. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव हनुमान चट्टी से जानकी चट्टी तक हल्के वाहन मार्ग का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण व डामरीकरण किया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

हनुमान चट्टी से जानकी चट्टी तक 10 किमी0 लम्बाई के मार्ग का फूल चट्टी तक 6 किमी0 मार्ग एन0एच0 94 की स्वीकृति भारत सरकार के निर्णय पर निर्भर है।

फूलचट्टी से जानकी चट्टी तक के मार्ग की स्वीकृति दी जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के तहसील बड़कोट के फूलचट्टी, तालुका तोक में सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गई भूमि के भूमिधरों को प्रतिकर भुगतान

21. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी के तहसील बड़कोट के फूलचट्टी तालुका तोक में खसरा संख्या 5920, 5921 व 5922 मध्ये लगभग 6 नाली कृषि भूमि सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहित की गयी थी?

क्या यह सत्य है कि उक्त भूमि के भूमिधरों को प्रतिकर भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया गया है?

यदि हाँ, तो प्रतिकर भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

जी हाँ।

शीघ्रताशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के श्री गंगोत्री धाम से गोमुख तपोवन में प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्य योजना

22. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के श्री गंगोत्री धाम से गोमुख–तपोवन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण तथा बढ़ते प्रदूषण को नियन्त्रित करने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्ययोजना बनाई गयी है?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या उपाय किये जा रहे हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

1. यह क्षेत्र गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के अन्तर्गत है। अतः राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण एवं विकास के लिए बनाई गयी प्रबन्ध योजना के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। उक्त योजना में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से शौचालयों का निर्माण, अजैविक कूड़े का एकत्रीकरण एवं पर्यटकों के भ्रमण की व्यवस्था आदि कार्य भी सम्मिलित हैं।
2. सरकार द्वारा पर्वतारोहण के सम्बन्ध में सुविचारित दिशा–निर्देश जारी किए गये हैं जिनका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण करना व प्रदूषण पर नियंत्रण रखना है।
3. उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष में एक बार गंगोत्री में भागीरथी के जल का परीक्षण किया जाता है।
4. भागीरथी के डाऊन स्ट्रीम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से बायो मानिटरिंग की जा रही है।
5. ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध हेतु बोर्ड द्वारा नगरीय निकायों का मार्गदर्शन किया जाता है। उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुश्रवण हेतु कार्यशाला आयोजन के अतिरिक्त पत्र व्यवहार एवं बैठकें भी की जाती हैं।
6. उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जन जागरण हेतु विशेष प्रयास किये जाते हैं।

7. क्षेत्र में गोमुख पर्यटन संवर्द्धन समिति के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाए जाते हैं एवं पर्यटकों, तीर्थ यात्रियों, कांवड़ियों आदि को पार्क क्षेत्र में व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में पेम्पलैट तथा मौखिक रूप से जागरूक कराया जाता है।

8. जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-17 के अधीन बोर्ड द्वारा सीवेज के समुचित शुद्धिकरण के पश्चात् ही निस्तारण करने के निर्देश समस्त नगर निकायों को जारी किए गये हैं।

1. उत्तरकाशी शहर में गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत शहर से जनित सीवेज ट्रीटमेन्ट हेतु प्लान्ट लगाया जाना प्रस्तावित है।

2. उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंगोत्री में भागीरथी के जल का नमूना लेकर परीक्षण किया जाता है।

3. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु श्रीनगर गढ़वाल में डेन्सिफिकेशन प्लान्ट लगाया गया है। गंगोत्री क्षेत्र से प्लास्टिक अपशिष्ट का एकत्रण कर उक्त प्लान्ट में सघनीकृत कर पुनर्चक्रण हेतु भेजा जाता है।

4. सरकार द्वारा पर्वतारोहण के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

5. गंगोत्री से गोमुख क्षेत्र गंगोत्री नेशनल पार्क के अन्तर्गत आता है यहां मार्ग सुविधा विकास, पार्क क्षेत्र में ठहरने की सुविधा गोमुख दर्शन स्थल आदि के विकास की योजना प्रस्तावित है। पर्यटक गाईड की व्यवस्था की जा रही है। सभी कार्यों में ई0डी0सी0 का सहयोग लिया जाना प्रस्तावित है।

6. गंगोत्री में पार्किंग स्थल में विकास की योजना को स्वीकृति दी गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

नैनीताल अन्तर्गत बजून-जोग्यूड़ा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ

23. श्री नारायण सिंह जन्तवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल अन्तर्गत बजून-जोग्यूड़ा मोटर निर्माण का कार्य एन0पी0वी0 की धनराशि जमा न होने के कारण प्रारम्भ नहीं हो पाया है?

यदि हाँ, तो सरकार कब तक एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कर देगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

जी हाँ।

रु0 18,40,000 की धनराशि जमा की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

नैनीताल स्थित भवन कैन्टल लॉज के स्थानान्तरित होने पर वैकल्पिक व्यवस्था

24. श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि विभाग के नैनीताल स्थित भवन कैन्टल लॉज को 31–8–2006 तक मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल को स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया जा चुका है?

यदि हाँ, तो कैन्टल लॉज स्थित कार्यालयों एवं आवासीय भवन के लिये वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गयी है?

यदि नहीं, तो क्या स्थानान्तरित अवधि से पूर्व वैकल्पिक स्थानों पर कार्यालय एवं आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जायेगी?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ।

कार्यालयों/आवासीय भवनों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु नये भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

इस सम्बन्ध में वांछित कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा प्रभावी योजना

25. श्री मदन कौशिक–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में राज्य गठन से आज तक जंगली जानवरों द्वारा कितने लोगों की मौत हो चुकी है?

जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाये जाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रभावी योजना बनायी गयी है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

माह फरवरी, 2006 तक की सूचना के अनुसार राज्य गठन के पश्चात् जंगली जानवरों के कारण 189 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

जंगली जानवरों के खतरे से मुक्ति पाने हेतु पॉवर फेन्सिंग लगाना, आवासीय ग्राम/बस्तियों के बाहर दिवार बनाना, विशेष कार्यदल व गश्त की कार्यवाही किया जाना तथा हिंसक पशुओं को मानवभक्षी घोषित किए जाने के उपरान्त उन्हें पकड़ने/मारने की कार्यवाही जैसे कदम उठाये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

26—श्री प्रीतम सिंह पंवार—दिनांक 03—04—2006 को अतारांकित 85 द्वारा उत्तरित

ऋषिकेश स्थित आई0डी0पी0एल0 को राज्य का बायोटैक्नोलॉजी पार्क बनाये जाने की योजना

27. श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ऋषिकेश स्थित आई0डी0पी0एल0 को राज्य का बायोटैक्नोलॉजी पार्क बनाये जाने की सरकार की कोई योजना विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो इस पर कब तक निर्णय लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में प्रश्नगत् भूमि का कब्जा आई0डी0पी0एल0 के पास है एवं आई0डी0पी0एल0 के बन्द होने के सम्बन्ध में मा0 बी0आई0एफ0आर0 में कार्यवाही गतिमान है। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि राज्य सरकार की भूमि को, जो कि लीज में दी गयी थी, अन्य उपयोग हेतु अवमुक्त कराई जाये। जब तक न्यायिक प्रक्रिया से यह भूमि राज्य सरकार के पक्ष में अवमुक्त नहीं होती है तब तक इस पर बायोटैक्नोलॉजी पार्क की स्थापना पर विचार सम्भव नहीं है।

जनपद उत्तरकाशी के गोमुख ग्लेशियर से आगे तपोवन स्थान में नेशनल पार्क की सीमा में बने होटलनुमा आश्रमों के सम्बन्ध में

28. श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के गोमुख ग्लेशियर को पार कर 6 किमी0 आगे तपोवन नामक स्थान में होटलनुमा आश्रम बन चुके हैं?

क्या यह सत्य है कि तथाकथित साधुओं द्वारा इस क्षेत्र में बगैर अनुमति के देश—विदेश के पर्यटकों को ठहराया जाता है जिनमें विदेशी पर्यटकों की संख्या अधिक होती है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार नेशनल पार्क की सीमा में बने इन होटलनुमा आश्रमों को हटवायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जनपद उत्तरकाशी के गोमुख ग्लेशियर को पार कर 06 किमी0 आगे तपोवन नामक स्थान में होटलनुमा आश्रम नहीं बने हैं। तपोवन में मौनी बाबा, शिमला बाबा एवं बंगाली माई नामक तीन साधु गुफाओं/कच्ची कुटियाओं में निवास करते थे जिनको गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है।

साधु–सन्तों द्वारा विदेशी पर्यटकों को तपोवन में ठहराने सम्बन्धी कोई घटना प्रकाश में नहीं आयी है और न ही इस हेतु पार्क प्रबन्धन द्वारा कोई अनुमति दी गई है।

तपोवन में रहने वाले तीन साधुओं को पार्क क्षेत्र से बाहर हटाया जा चुका है तथा उनके द्वारा पूर्व में उपयोग की जा रही गुफाओं/कुटियाओं का उपयोग क्षेत्र भ्रमण के समय वन कर्मियों द्वारा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु सरकार द्वारा संचालित योजनायें

29. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु सरकार द्वारा क्या योजनायें संचालित की गयी हैं?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में कुल कितनी वन पंचायतें हैं तथा इन वन पंचायतों को कुल कितनी भूमि रखरखाव व वानिकी उन्नयन हेतु हस्तगत की जा चुकी है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

शासन द्वारा प्रदेश के समस्त राजस्व ग्रामों में वन पंचायत गठित करने का निर्णय लिया गया है। अभी तक 12089 वन पंचायतों का गठन किया जा चुका है। वन पंचायतों द्वारा वन विकास अभिकरण की योजना, वन अग्नि नियंत्रण तथा रोजगारपरक वृक्षारोपण की योजनाओं के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है। सरकार द्वारा संशोधित "उत्तरांचल पंचायती वन नियमावली, 2005" जारी की गयी है।

उत्तरकाशी जनपद में 646 वन पंचायतों का गठन किया गया है तथा 7264.518 हे0 भूमि वन पंचायतों के प्रबन्धन में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 भटवाड़ी अन्तर्गत ग्राम दिलसौड़ से बड़ेथी के मध्य भागीरथी नदी पर पुल का निर्माण

30. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी अन्तर्गत ग्राम दिलसौड़ व चामकोट में 17 जुलाई, 2005 को अतिवृष्टि व भूस्खलन से दोनों गावों का आपसी सम्पर्क के साथ–साथ जिला मुख्यालय से भी सम्पर्क टूट गया था?

यदि हाँ, तो क्या सरकार दिलसौड़ से बड़ेथी के मध्य भागीरथी नदी पर पैदल पुल का निर्माण करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

दिलसौड़ तथा चामकोट के मध्य मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्रदत्त है। जिससे यह जिला मुख्यालय से जुड़ जायेंगे, जबकि बड़ेथी मुख्यालय से पूर्व से ही जुड़ा है।

जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 2002 में सानदेव में ननपापों तक सड़क स्वीकृति की जानकारी

31. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 2002 में सानदेव में ननपापों तक 2 किमी0 सड़क स्वीकृत की गयी?

यदि हाँ, तो अब तक उक्त सड़क न बनाये जाने का क्या कारण है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

2 किमी0 सर्वेक्षण कार्य की स्वीकृति दी गई थी।

निर्माण कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

जनपद पिथौरागढ़ में सानदेव-चौबाटी मोटर मार्ग का डामर नवीनीकरण हेतु धन की स्वीकृति

32. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को यह जानकारी है कि पिथौरागढ़ में सानदेव–चौबाटी मोटर मार्ग का डामर नवीनीकरण न होने के कारण सड़क में जगह–जगह से गढ्ढे बन गये है।?

फलस्वरूप यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग के नवीनीकरण हेतु वर्ष 2006 में धन स्वीकृत करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद नैनीताल में मुख्यमंत्री द्वारा भीमताल में लोक निर्माण विभाग का निरीक्षण भवन बनाये जाने की घोषणा

33. श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि दिनांक 10 नवम्बर, 2004 को भीमताल जनपद नैनीताल में विकास भवन के लोकार्पण के अवसर पर मा0 मुख्यमंत्री द्वारा भीमताल में लोक निर्माण विभाग का निरीक्षण भवन बनाये जाने की घोषणा की गयी थी?

यदि हाँ, तो निरीक्षण भवन निर्माण हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

तथा भवन कब तक निर्मित हो जायेगा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

यथाशीघ्र।

जनपद नैनीताल अन्तर्गत भीमताल वि0ख0 के तोक दानीजाला एवं सिमलखेत ग्राम पंचायत पसोली के गोला नदी पर झूला पुल का निर्माण

34. श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल अन्तर्गत भीमताल विकास खण्ड के तोक दानीजाला एवं सिमलखेत ग्राम पंचायत पसोली के ग्रामीणों को अपने दैनिक कार्यों हेतु गोला नदी पार कर जाना पड़ता है?

क्या यह सत्य है कि वर्षा ऋतु में गोला नदी में अधिक जलस्तर होने के कारण ग्रामीणों के सामने विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर झूला पुल का निर्माण करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण।

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 चिन्यालीसौड़ जोगथ लम्बगांव के मोटर मार्ग का निर्माण

35. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के चिन्यालीसौड़ जोगथ लम्बगांव मोटर मार्ग के किमी0 32 से आगे 03 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण कब तक करवाया जायेगा?

क्या यह सत्य है कि स्थानीय जनता व जनप्रतिनिधियों द्वारा 26–01–06 को मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्रमिक अनशन का निर्णय लिया गया है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त तीन किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

स्वीकृति के उपरान्त

जी हाँ।

स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में शहीद खड़क सिंह के नाम से भड़गांव तक चार किमी0 सड़क का निर्माण

36. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 1998–99 में शहीद खड़क सिंह के नाम से भड़गांव तक चार किमी0 सड़क स्वीकृत की गयी थी? क्या यह सत्य है कि उक्त सड़क निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार सड़क निर्माण शीघ्र आरम्भ करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

4 किमी0 सर्वेक्षण कार्य की स्वीकृति पूर्व में जिला योजना के अन्तर्गत प्रदत्त थी।

स्वीकृत सर्वेक्षण कार्य पूर्ण है। 2005–06 में 1 किमी0 मार्ग निर्माण की स्वीकृति जिला योजना के अन्तर्गत दी गई। वन भूमि हस्तान्तरण प्रपत्र तैयार किये जा रहे हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी में कोटद्वार अन्तर्गत खो नदी (गाडीघाट) में केन्द्रीय सड़क निधि से स्वीकृत पुल निर्माण कार्य आरम्भ न होने का कारण

37. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार के अन्तर्गत खो नदी (गाडीघाट) में केन्द्रीय सड़क निधि से स्वीकृत पुल का निर्माण कार्य आरम्भ न होने का क्या कारण है?

तथा कब तक इस पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

सी0आर0एफ0 के अन्तर्गत पुनरीक्षित स्वीकृति अपेक्षित है।

स्वीकृति के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के मड़ तथा प्रेमनगर के मध्य बरड़ नदी में झूला पुल का जीर्णोद्धार

38. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के मड़ तथा प्रेमनगर के मध्य बरड़ नदी में झूला पुल में लगे टीन के चादर में जंग लग जाने से चादरें टूट गई हैं जिस कारण यातायात बन्द है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त पुल का जीर्णोद्धार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय मार्ग लोक निर्माण विभाग का कार्यभार हस्तान्तरित किये जाने के आदेश

39. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग उत्तरकाशी का कार्यभार, निर्माण खण्ड निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के आदेश दिये गये हैं?

क्या इस खण्ड के सभी लेखों की लेखाबन्दी 31 मार्च, 2006 से पूर्व बन्द करना व समायोजित करना तकनीकी एवं वित्तीय नियमों के अन्तर्गत सम्भव है?

यदि नहीं, तो 31 मार्च, 2006 तक दोनों खण्डों की स्थिति सरकार पूर्ववत् रखेगी?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ। राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, उत्तरकाशी को निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग उत्तरकाशी एवं निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग बड़कोट को राष्ट्रीय मार्ग खण्ड बड़कोट के रूप में परिवर्तित किया गया है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून स्थित पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कार्यरत संविदा कार्मिकों का नियमितीकरण

40. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, देहरादून में कार्यरत कुछ संविदा कार्मिक नियमित नियुक्ति को लेकर पिछले चार माह से आन्दोलनरत हैं?

क्या मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आन्दोलरत कार्मिकों की नियमित नियुक्ति के आदेश संस्था प्रमुख को दिये गये हैं?

यदि हाँ, तो आन्दोलनरत कार्मिकों को कब तक नियमित नियुक्ति दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कोई संविदा कार्मिक नियमित नियुक्ति हेतु आन्दोलनरत नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के बांस–नगड़ से माला–कोटा तक अवशेष सड़क निर्माण की स्वीकृति

41. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के बांस–नगड़ से माला–कोटा तक तेरह किमी0 सड़क की वर्ष 2000 में वन विभाग से स्वीकृति मिली है?

क्या यह सत्य है कि अब तक मात्र पांच किमी0 सड़क का ही निर्माण हो पाया है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार शेष आठ किमी0 सड़क की वित्तीय वर्ष 2006 में स्वीकृति प्रदान करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ। हल्का वाहन मार्ग स्वीकृत था।

जी हाँ। 6.00 किमी0 पर पुल के फेब्रीकेशन का कार्य पूर्ण है।

जी नहीं। वर्तमान नीति के अनुसार हल्के वाहन मार्गों का निर्माण नहीं किया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के बूगाछीना, अलगड़ा तक सड़क का निर्माण

42. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के बूगाछीना, अलगड़ा तक पांच किमी0 सड़क स्वीकृत है?

जिसमें तीन किमी0 सड़क का निर्माण किया गया है?

क्या सरकार शेष दो किमी0 सड़क का निर्माण वर्ष 2005–06 तक करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पिथौरागढ़ के आदेचौरा कसिनड़ाला–धनघूरा की क्षतिग्रस्त सड़क का मरम्मत कार्य

43. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ के आदेचौरा कसिनड़ाला–धनघूरा सड़क क्षतिग्रस्त है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सड़क को ठीक करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में बुगाछीना अलगड़ा मोटर मार्ग के निर्माण में काश्तकारों की कटी नाप भूमि के मुआवजे का भुगतान

44. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पिथौरागढ़ में बुगाछीना अलगड़ा मोटर मार्ग का निर्माण वर्ष 2002–03 में किया गया?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी भिज्ञ हैं कि जिन काश्तकारों की नाप भूमि कटी उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्ष 2006 में मुआवजे का भुगतान करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 नौगांव अन्तर्गत राना–मदेश पैदल मार्ग पर बाढ़ में बहे पुल का पुनर्निर्माण

45. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव अन्तर्गत राना–मदेश पैदल मार्ग पर बना पैदल पुल वर्ष 1997 की बाढ़ में बह गया था?

क्या इस पुल के पुनर्निर्माण न होने से ग्रामीण जान जोखिम में डालकर गांवों तक पहुंच रहे हैं?

क्या यह सत्य है कि उक्त पुल के पुनर्निर्माण हेतु 32 लाख रुपये का आगणन शासन को स्वीकृति हेतु भेजा गया है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त पुल का पुनर्निर्माण कब तक करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

पुल के अभाव में ग्रामीणों को परेशानी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में गंगनानी–सिंगोट नाकुरी पैदल यात्रा मार्ग पर नन्दगांव और फलारचा के बीच पुल का पुनर्निर्माण

46. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी में गंगनानी–सिंगोट–नाकुरी पैदल यात्रा मार्ग पर नन्दगांव और फलारचा के बीच खड्ड पर यात्रा पैदल पुल क्षतिग्रस्त हुआ है?

क्या सरकार यात्रियों और ग्रामीणों के हित में उक्त पुल का पुनर्निर्माण करायेगी

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के अपर यमुना वन प्रभाग की विभिन्न रेंजों में सूखे/उखड़े व गिरे वृक्षों का छपान न होने के कारण करोड़ों रुपये की क्षति

47. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के अपर यमुना वन प्रभाग की विभिन्न रेंजों में सूखे, उखड़े व गिरे पड़े चीड़, देवदार, कैल एवं फर के वृक्षों का वर्ष 1998–99 से छपान न होने के कारण सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की आर्थिक क्षति हो रही है?

क्या सरकार द्वारा राज्य आर्थिकी हित में विभिन्न रेंजों में उखड़े, गिरे व सूखे पेड़ों की छपान करवाकर वन निगम को कटान हेतु दिया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जी नहीं, अपर यमुना वन प्रभाग के अन्तर्गत सूखे, उखड़े पेड़ों का वर्ष 1998–99 से छपान किया जाता रहा है।

उपलब्ध सूखे–उखड़े वृक्षों से पहले ग्रामवासियों की लघु मांग तथा हक–हकूक की आपूर्ति की जाती है तत्पश्चात् शेष वृक्षों का छपान कर वन विकास निगम को लॉट बनाकर आवंटन किया जाता है जिसकी रायल्टी उत्तरांचल वन विकास निगम से वसूल की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के नाकुरी–अठाली व डुण्डा रनाड़ी हेतु भागीरथी नदी पर पैदल झूला पुलों की मरम्मत

48. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के नाकुरी–अठाली व डुण्डा–रनाड़ी हेतु भागीरथी नदी पर बने पैदल झूला पुलों की जी०आई० सीटें व डामरीकरण उखड़ गया है, जिससे भारी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है?

क्या सरकार उक्त दोनों पैदल पुलों की मरम्मत करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

जी नहीं।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के नगर पंचायत बड़कोट में वन निगम की पृथक डिवीजन को पुनः स्थापित करने के सम्बन्ध में

49. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के नगर पंचायत बड़कोट में वन निगम की पृथक डिवीजन को वर्ष 1995 में बन्द कर दिया गया था?

क्या यह सत्य है कि उक्त प्रभाग से सरकार को प्रतिवर्ष राजस्व व स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होता था?

यदि हाँ, तो सरकार राज्य के आर्थिक लाभ व स्थानीय लोगों के रोजगार हेतु उक्त डिवीजन को पुनः स्थापित कब तक करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ।

जी हाँ।

वर्तमान परिस्थितियों में उक्त डिवीजन पुनर्जीवित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

पर्वतीय क्षेत्रों में किसी भी वन विकास प्रभाग को वित्तीय रूप से सक्षम व लाभप्रद स्थिति में रखने के लिए लगभग 10,000 से 12,000 घ0मी0 वार्षिक प्रकाष्ठ आवंटन की आवश्यकता होती है। पूर्ववर्ती यमुना लौगिंग प्रभाग में वृक्षों के आवंटन में भारी कमी होने से उक्त प्रभाग अलाभप्रद हो गया जिस कारण प्रभाग को बन्द करना पड़ा तथा उक्त लौगिंग प्रभाग के अधीन रहे समस्त क्षेत्र को टोंस वन विकास प्रभाग के अधीन कर दिया गया है।

जनपद चमोली के ग्राम पंचायत गंडासू में भोलागाड़ में झूला पुल के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति

50. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट के ग्राम पंचायत गंडासू में भोलागाड़ में झूला पुल का आगणन तैयार कर लिया गया है?

यदि हाँ, तो उक्त पुल निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

जी नहीं।

वित्तीय संसाधन की कमी के कारण।

51–श्री मदन कौशिक–विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त

राज्य के पर्वतीय जिलों में बेरोजगार काश्तकारों को रियायत देकर लीज बढ़ाने पर पुनर्विचार

52. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के पर्वतीय जिलों में गरीब व बेरोजगार काश्तकारों द्वारा अपनी आजीविका चलाने के उद्देश्य से लगभग कई वर्षों से वन भूमि को जोतकर उद्यान/नकदी फसलों का उत्पादन किया जा रहा है?

क्या सरकार काफी पुराने मामलों लगभग आजादी के पहले के कब्जेदारों अथवा किन्हीं कारणवश लीज न बढ़ा पाने वाले काश्तकारों को रियायत देकर लीज बढ़ाने पर पुनर्विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ।

सरकार द्वारा दिनांक 09 सितम्बर, 2005 को जारी शासनादेश द्वारा वन भूमि पर दी गई लीजों के नवीनीकरण, नयी लीजों की स्वीकृति तथा वन भूमि का मूल्य (प्रिमियम)/वार्षिक लीज रेन्ट के निर्धारण के सम्बन्ध में नीति निर्धारित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में सरकार की लीसा नीति

53. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में लीसा दोहन की लीसा नीति सरकार द्वारा बना ली गयी है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार लीसा नीति की प्रगति सुलभ करवायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

उत्तरांचल राज्य निर्माण के पश्चात् नये सिरे से लीसा दोहन के सम्बन्ध में नीति नहीं बनाई गयी है। वर्तमान में लीसा दोहन की कार्यवाही शासनादेश संख्या–10772/14–2–505/78, दिनांक 26 नवम्बर, 1978 द्वारा जारी किए गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप की जा रही है।

उक्त शासनादेश दिनांक 26–11–78 की प्रति संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या–134–139 पर)

राज्य में वन भूमि को लीज पर लिये जाने हेतु सरकार की निर्धारित नीति

54. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में वन भूमि को लीज पर लिये जाने हेतु नीति सरकार द्वारा निर्धारित की गई है?

यदि हाँ, तो वह नीति क्या है? क्या सरकार उक्त नीति की प्रति उपलब्ध करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ, वन भूमि पर दी गई लीजों के नवीनीकरण, नयी लीजों की स्वीकृति एवं वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम)/वार्षिक लीज रेन्ट का निर्धारण के सम्बन्ध में नीति निर्धारित की गई है।

नीति की प्रति संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ संख्या–140–144 पर)

नगर निकायों में कार्यरत कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति पेन्शन, सेवानिवृत्ति लाभ एवं अनुमन्य सुविधायें

55. श्री प्रकाश पंत–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगर निकायों में कार्यरत कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति पेन्शन, सेवानिवृत्ति लाभ एवं अनुमन्य सुविधायें प्रदान की जा रही हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

नगर निकायों में कार्यरत पालिका केन्द्रीयत सेवा के कर्मचारियों को "पालिका (केन्द्रीयत) सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1981" तथा अकेन्द्रीयत सेवा के कर्मचारियों को निहित प्राविधानों के अनुरूप पेन्शन, सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किये जा रहे हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग में कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों का नियमितीकरण

56. श्री प्रकाश पंत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि विभाग में कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया की जा रही है?

यदि हाँ, तो क्या वर्कचार्ज कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु वरिष्ठता सूची जनपदवार नहीं बनायी जा रही है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनपदवार वरिष्ठता सूची बनाये जाने की कर्मचारियों की मांग पर विचार करेंगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना से वन विभाग को प्राप्त कुल धन

57. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या वन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना से वन विभाग को वर्ष 2002–2003 में कुल कितना धन प्राप्त हुआ है?

उक्त धनराशि को किन–किन क्षेत्रों में किस–किस मद में खर्च किया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

वर्ष 2002–2003 में उक्त विद्युत परियोजना से पिथौरागढ़ वन प्रभाग को रु0 129.58 लाख की धनराशि प्राप्त हुयी।

उक्त धनराशि का उपयोग धौलीगंगा जलागम क्षेत्र में उपचार योजना के अन्तर्गत विभिन्न वानिकी एवं अन्य कार्यों में किया गया। विवरण संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ संख्या–145–148 पर)

जनपद पिथौरागढ़ के सानदेव–सौड़ापानी की सड़क से जोड़ने की योजना

58. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या वन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के सानदेव–सौड़ापानी की सड़क से जोड़ने की कोई योजना विचाराधीन है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

वन विभाग के अन्तर्गत इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

59–श्री नारायण सिंह जन्तवाल–दिनांक 03–04–2006 को अतारांकित 88 द्वारा उत्तरित

60–श्री नारायण सिंह जन्तवाल–दिनांक 03–04–2006 को अतारांकित 87 द्वारा उत्तरित

जनपद चमोली के वि0ख0 कर्णप्रयाग अन्तर्गत पिण्डर नदी पर सेरागाड, मथेरा आदि में झूला पुल निर्माण की स्वीकृति

61. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत पिण्डर नदी पर सेरागाड मथेरा आमसौड़ सेरागाड में 80 मी0

झूला पुल का आगणन अधीक्षण अभियन्ता 38वाँ वृत्त लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर द्वारा प0सं0 3467/20 यातायात 38/98 दिनांक 6 जुलाई, 1998 को मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग पौड़ी को भेजा गया था?

यदि हाँ, तो उक्त झूला पुल निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ न करने के क्या कारण हैं?

क्या सरकार उक्त झूला पुल निर्माण को प्राथमिकता देते हुए इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृति प्रदान करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

पूर्ववर्ती राज्य में स्वीकृति न होने के कारण।

जी नहीं।

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत डीडीहाट–आदेचौरा मोटर मार्ग से पमस्यारी तक सड़क की स्वीकृति

62. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत डीडीहाट–आदेचौरा मोटर मार्ग से पमस्यारी तक वर्ष 2002 में सड़क स्वीकृत की गयी थी?

यदि हाँ, तो उक्त मार्ग पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

यदि नहीं, तो क्यों

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

वर्ष 2002 में स्वीकृत न होकर वर्ष 2004 में स्वीकृत किया गया।

वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के बमूबैण्ड–धरोली सड़क निर्माण का प्रारम्भ

63. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पिथौरागढ़ के बमूबैण्ड–धरोली सड़क में कि0मी0 तीन में निर्माण कार्य किन कारणों से बन्द है?

क्या सरकार निर्माण कार्य प्रारम्भ करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

3.75 किमी0 के उपरान्त खड़ी कठोर चट्टान के कारण कार्य विलम्बित है।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के रानीखेत–चमाली के मध्य ह्लालीगाड़ में पैदल पुल पर पटालों की मरम्मत

64. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के रानीखेत–चमोली के मध्य ह्लालीगाड़ में पैदल पुल में लगे आर0सी0सी0 पटाल टूट जाने से आवागमन अवरुद्ध हो गया है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार पटालों का निर्माण यथाशीघ्र करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

आंशिक रूप से।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

65–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–दिनांक 23–03–2006 को अतारांकित 63 द्वारा उत्तरित

जनपद अल्मोड़ा में चापड़–बिल्लेख सड़क की स्वीकृति एवं कार्य प्रारम्भ न होने के कारण

66. श्री अजय भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद अल्मोड़ा में चापड़–बिल्लेख सड़क की स्वीकृति कब दी गयी थी?

तथा आज तक इस सड़क में कार्य प्रारम्भ न होने के क्या कारण हैं?

उक्त मोटर मार्ग में कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

प्रथम चरण हेतु दिनांक 31-03-2003 को।

वनभूमि हस्तान्तरण न होने के कारण।

वनभूमि हस्तान्तरण तथा द्वितीय चरण की स्वीकृति होने के उपरान्त।

रुद्रप्रयाग जिले के अन्तर्गत केदारनाथ धाम में सुलभ शौचालयों को ठीक करवाने हेतु व्यवस्था

67. श्री अजय भट्ट-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि रुद्रप्रयाग जिले के अन्तर्गत केदारनाथ धाम में सुलभ शौचालयों में अत्यधिक गन्दगी के कारण पर्यटकों को खुले स्थान में शौच इत्यादि के लिये बैठना पड़ रहा है?

क्या यह सत्य है कि इससे पवित्र धाम का वातावरण दूषित हो रहा है?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा सुलभ शौचालयों को ठीक करवाने हेतु क्या व्यवस्था की जा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था का कार्य, मूत्रालयों एवं शौचालयों की दैनिक सफाई के साथ ही कूड़े के निस्तारण का कार्य नगर पंचायत द्वारा किया जाता है।

जनपद नैनीताल अन्तर्गत बल्दियाखान, खुर्पाताल भवाली तथा भीमताल में स्वीकृत बाईपास मार्गों का निर्माण

68. श्री नारायण सिंह जन्तवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत स्थित बल्दियाखान, खुर्पाताल भवाली तथा भीमताल में अत्यधिक यातायात दबाव को नियंत्रित करने हेतु बाई-पास मार्ग की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है?

यदि हाँ, तो उक्त बाई–पास मार्ग के निर्माण हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा उक्त बाई–पास मार्ग का निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

जी हाँ।

भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। भूमि हस्तान्तरण के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग का पुनर्गठन एवं ढांचे के स्वरूप को सदन के पटल पर रखने की मांग

69. श्री प्रकाश पंत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग के ढांचे का पुनर्गठन कियां जा रहा है?

यदि हाँ, तो क्या ढांचे में मानचित्रकार संवर्ग को समाप्त कर दिया गया है?

क्या सरकार ढांचे के स्वरूप को सदन के पटल पर रखेगी?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

पुनर्गठन विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जी नहीं, अभी ढांचे का स्वरूप विचाराधीन है।

पत्रकारों को चिकित्सा सुविधा देने पर विचार

70. श्री अजय भट्ट–

क्या सूचना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार पत्रकारों को चिकित्सा सुविधा देने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो यह सुविधा कब तक लागू की जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

जी हाँ।

यथा समय।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के वि0ख0 द्वारीखाल में माण्डलू ग्वील मोटर मार्ग की वर्तमान प्रगति

71. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड द्वारीखाल में माण्डलू ग्वील मोटर मार्ग कब तथा कितने किमी0 स्वीकृत की गई थी एवं इस हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत हुई थी?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगी कि अब तक उक्त मोटर मार्ग पर कुल कितना व्यय किया जा चुका है तथा इस मार्ग की वर्तमान प्रगति क्या है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मार्च, 2003 में लम्बाई 0.70 किमी0 हेतु रु0 10.40 लाख।

रु0 2.95 लाख का व्यय एवं 450 मी0 में पहाड़ कटान कार्य पूर्ण।

जनपद पौड़ी गढ़वाल महादेव चट्टी गंगानदी में पैदल पुल का निर्माण

72. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत महादेव चट्टी गंगानदी में पैदल पुल का निर्माण कब किया गया था?

क्या मंत्री जी की जानकारी में है कि पैदल पुल अत्यन्त क्षतिग्रस्त है?

यदि हाँ, तो पुल की मरम्मत में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा पुल की मरम्मत इसी वित्तीय वर्ष में कर दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

वर्ष 1998 में।

जी हाँ, क्षतिग्रस्त था।

पुल की मरम्मत कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून स्थित शक्ति पीठों माण्डू सिद्ध एवं कालू सिद्ध को जाने वाली सड़कों का जीर्णोद्धार

73. श्री हरबंस कपूर–

क्या लोक निर्माण मंत्री देहरादून स्थित प्रसिद्ध शक्ति पीठों माण्डू सिद्ध एवं कालू सिद्ध को जाने वाले मार्गों की खराब सड़कों का जीर्णोद्धार करेंगे?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य के मोटर मार्गों के नियमित रख–रखाव हेतु पूर्व में व्यवस्था की पुनर्बहाली पर विचार

74. श्री प्रकाश पंत–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि राज्य के मोटर मार्गों के नियमित रखरखाव हेतु विभागीय अनुरक्षण पूर्व में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों व मजदूरों द्वारा किया जाता था?

यदि हाँ, तो क्या उक्त व्यवस्था की पुनर्बहाली के सम्बन्ध में सरकार विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

व्यवस्था यथावत है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

सरकार द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत रूकी सड़कों के निर्माण हेतु एन0पी0वी0 जमा करने का निर्णय

75. श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि वर्ष 2002–03 में सड़कों की स्वीकृति के पश्चात् सड़क निर्माण हेतु एन0पी0वी0 (नैट प्रैजेन्ट वैल्यू) जमा करने का प्राविधान नहीं था?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी अवगत हैं कि 2002–03 में जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कई सड़कें एन0पी0वी0 की धनराशि जमा न होने के कारण नहीं बन पा रही हैं?

क्या सरकार जिला योजना के अन्तर्गत रूकी सड़कों के निर्माण हेतु एन0पी0वी0 जमा करने का निर्णय ले चुकी है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

पर्वतीय क्षेत्रों में पातन पर लगे प्रतिबन्ध से वनों के घनत्व में वृद्धि

76. श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में पातन पर लगे प्रतिबन्ध से वनों के घनत्व में वृद्धि हो रही है?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या इस प्रतिबन्ध से चीड़ वनों के पुनरोत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है?

यदि हाँ, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्य कर रही है?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ।

जी हाँ।

इस सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन कराया जा रहा है।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत बन्द पड़े अदवानी–नाहसैंण–बहेड़ाखाल और सतपुली–ब्यासघाट तथा खाण्डा मोटर मार्ग को खोलने की मांग

77. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अदवानी–नाहसैंण–बहेड़ाखाल और सतपुली–ब्यासघाट तथा बहेड़ाखाल–खाण्डा मोटर मार्ग एक लम्बी अवधि से यातायात हेतु बन्द होने के कारण यात्रियों व क्षेत्रवासियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है?

यदि हाँ, तो उक्त बन्द पड़े मार्गों को यातायात हेतु कब तक खोल दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मार्ग यातायात हेतु बन्द नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चमोली के पोखरी ग्राम सभा में सोकरी अन्तर्गत सेम गांव के निकट झूला पुल की मांग

78. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के ग्राम सभा सोकरी के अन्तर्गत सेम गांव के निकट झूला पुल की मांग जनता द्वारा की जा रही है?

यदि हाँ, तो उक्त झूलापुल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

स्वीकृति दी जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी के श्रीगढ़ में झूला पुल निर्माण की स्वीकृति

79. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी के श्रीगढ़ में झूलापुल का आगणन शासन को प्राप्त हो गया है?

यदि हाँ, तो पुल निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चमोली अन्तर्गत अनुसूचित बाहुल्य ग्राम सभा बुरा को स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के मोटर मार्ग से जोड़ने पर विचार

80. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत अनुसूचित बाहुल्य ग्राम सभा बुरा को स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत मोटर मार्ग से जोड़ने पर विचार किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तरांचल में कार्यरत वनरक्षकों की प्रोन्नति

81. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि उत्तरांचल में कार्यरत वन रक्षकों को पिछले तीस वर्षों से प्रोन्नति नहीं दी गयी है?

यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

क्या सरकार वन रक्षकों को प्रोन्नति दिए जाने पर विचार करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

वन रक्षकों को नियमानुसार प्रोन्नति प्रदान की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में वन ग्रामों को राजस्व ग्राम तथा वन भूमि पर निवास कर रहे नागरिकों की भूमि के नियमितीकरण पर विचार

82. श्री प्रकाश पंत–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कितने वन ग्राम चिन्हित हैं तथा कितनी वन भूमि पर बस्तियां स्थापित हैं?

क्या सरकार वन ग्रामों को राजस्व ग्राम तथा वन भूमि पर निवास कर रहे नागरिकों की भूमि के नियमितीकरण पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

वन ग्रामों को चिन्हित करने की कार्यवाही की जा रही है।

वन भूमि पर अवस्थित खत्तों/गोठों/टिहरी बांध विस्थापितों/टोंगिया ग्रामों एवं कतिपय गूजर बस्तियों को राजस्व ग्राम घोषित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति हेतु सन्दर्भित किये गये थे। टिहरी बांध परियोजना के विस्थापितों एवं गूजर बस्तियों को राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु भारत सरकार की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त है। अन्य प्रकरणों में कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 भटवाड़ी स्थित नवला नदी पर द्वारी और नटीण के बीच पुल का निर्माण

83. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी के सौड़–जखोल–रैथल मोटर मार्ग के मध्य नवला नदी पर द्वारी और नटीण के बीच मोटर पुल का निर्माण कब तक करा लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

पुल स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में लाटा से आगे भटवाड़ी तक भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग का निर्माण

84. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी में लाटा से आगे भटवाड़ी तक मोटर मार्ग भूस्खलन की चपेट में है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार वैकल्पिक मोटर मार्ग का निर्माण करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

राज्य सरकार में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

मार्ग सीमा सड़क संगठन के अधीन है।

जनपद उत्तरकाशी वि०ख० भटवाड़ी के भटवाड़ी–बड़ेथी–रैथल मोटर मार्ग पर काश्तकारों का लम्बित व अवशेष प्रतिकर का भुगतान

85. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी के भटवाड़ी–बड़ेथी–रैथल मोटर मार्ग पर काश्तकारों का प्रतिकर भुगतान वर्ष 1999 से लम्बित है?

यदि हाँ, तो काश्तकारों का लम्बित व अवशेष प्रतिकर का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

शीघ्रताशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा नगर में बाईपास की योजना

86. श्री गोपाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा नगर के मध्य गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग अत्यन्त संकरा होने के कारण नगर में हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार के पास खटीमा बाईपास बनाये जाने की कोई योजना विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

राष्ट्रीय उद्यानों से जुड़े ''बफर जोन'' के जंगलों की स्थिति में सुधार लाने हेतु योजना

87. श्री अजय भट्ट–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राष्ट्रीय उद्यानों से जुड़े ''बफर जोन'' के जंगलों को भी राष्ट्रीय पार्क के जंगलों के समान रख-रखाव की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

क्या सरकार वन्य जीवों की संख्या में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि को देखते हुए ''बफर जोन'' के जंगलों की स्थिति में सुधार लाने हेतु दीर्घकालिक योजना लागू करने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ।

वर्ष 2006–07 में संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्य जीव प्रबन्धन योजना प्रस्तावित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्य जीवों के वास स्थल (हैबिटेट) सुधार का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जी हाँ।

नवगठित राज्य स्तरीय वन्य जीव सलाहकार बोर्ड की प्रथम बैठक में इस बिन्दु पर चर्चा की गयी है तथा एक दीर्घकालिक योजना बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में हरे वृक्षों के पातन पर प्रतिबन्ध के कारण निर्धारित हक–हकूक का आवंटन

88. श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में विगत पांच वर्षों में कुल निर्धारित हक–हकूक के विरुद्ध कितना हकूक बांटा गया है?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में हरे वृक्षों के पातन पर प्रतिबन्ध के कारण (यदि किसी स्थान पर सूखे उखड़े वृक्ष उपलब्ध न हों तो) हक–हकूक का आवंटन कैसे किया जा रहा है?

श्री नव प्रभात–

पर्वतीय क्षेत्रों (गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल) में अनुमन्य कुल 32000 घ0मी0 प्रकाष्ठ प्रति वर्ष के सापेक्ष विगत पांच वर्षों में कुल 74,868.062 घ0मी0 प्रकाष्ठ हक–हकूक के रूप में वितरित किया गया।

ग्राम प्रधानों द्वारा दिये गये वस्तु आदेश (इन्डैन्ट) के अनुसार हक–हकूक के वितरण हेतु निकटतम वन क्षेत्र में सूखे–गिरे पेड़ उपलब्ध न होने पर उसकी आपूर्ति सम्बन्धित ग्राम के निकटतम वन क्षेत्र, जहाँ पर गिरे–सूखे पेड़ उपलब्ध हों, से की जाती है। इसके अतिरिक्त यदि किसी स्थान पर सूखे–उखड़े वृक्ष उपलब्ध न हों तो वन वर्धनिक रूप से उपलब्ध सिल्विकल्चरली अवेलेबल हरे वृक्षों को भी कतिपय शर्तों के अधीन हक–हकूक में ग्रामीणों को आवंटित किया जा सकता है।

जनपद चमोली के अन्तर्गत ग्राम सिवाई को जोड़ने वाले झूला पुल का पुनर्निर्माण

89. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत ग्राम सिवाई को जोड़ने वाला झूलापुल जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पुल के पुनर्निर्माण पर विचार करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली में पोखरी के पेंढी कुजासू मोटर मार्ग के रिवाइज एस्टीमेट का शासनादेश

90. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी के पेंढी कुजासू मोटर मार्ग का रिवाइज एस्टीमेट का शासनादेश जारी कर दिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण।

जनपद चमोली के कर्णप्रयाग के डिम्मर लिंक मार्ग से बणसोली होते हुए कालूसैंण मोटर मार्ग के निर्माण की स्वीकृति

91. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के डिम्मर लिंक मार्ग से बणसोली होते हुए कालूसैंण मोटर मार्ग का आगणन शासन स्तर पर स्वीकृति हेतु लम्बित?

यदि हाँ, तो क्या उक्त मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

जी नहीं।

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण।

जनपद हरिद्वार की तहसील रुड़की अन्तर्गत ग्राम दढेढी ख्वाजीगीपुर में गाटा संख्या 216 में अवैध रूप से पेड़ों को काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई

92. मौ0 सहजाद

एवं

श्री तसलीम अहमद–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार की तहसील रुड़की के अन्तर्गत ग्राम दढेढी ख्वाजीगीपुर में गाटा संख्या 216 ग्राम समाज की भूमि है?

उक्त भूमि में कितने पेड़ किस–किस प्रजाति के कितनी संख्या में हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान समय में गाटा संख्या 216 में कितने पेड़ खड़े हैं?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि गाटा संख्या 216 में कितने पेड़ वैध तथा अवैध रूप से काटे गये हैं?

क्या सरकार अवैध रूप से पेड़ काटने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ, उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह ग्राम समाज की भूमि है।

उक्त भूमि पर जमोया के 40 पेड़, शीशम के 16 पेड़, सीरस के 17 पेड़, आम के 06 पेड़, पिलखन का 01 पेड़, पीपल का 01 पेड़, बरना का 01 पेड़, सेमल का 01 पेड़, एवं शहतूत के 03 पेड़, इस प्रकार कुल–86 पेड़ खड़े हैं।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2004 में 90 यूकेलिप्टस के वृक्ष तथा वर्ष 2005 में 02 वृक्ष अवैध रूप से काटे गये हैं।

ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से पेड़ काटने वालों के खिलाफ राजस्व विभाग के स्तर से कार्रवाई की जाती है। ग्रामवासियों द्वारा अवैध रूप से वृक्ष पातन की सूचना उप जिलाधिकारी, रुड़की को दी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत केदारनाथ में मोटर मार्गों के निर्माण का विवरण

93. श्रीमती आशा देवी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में वर्ष 2002 से अब तक किन–किन मोटर मार्गों का निर्माण किया गया है?

क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण सदन के सम्मुख रखेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में वर्ष 2002 से निम्न स्वीकृत मार्गों का कार्य पूर्ण किया गया।

राज्य योजना

1. जुगासू–मदमहेश्वर हल्का वाहन मार्ग।
2. कोटमा–जालमल्ला–चौमासी हल्का वाहन मार्ग।
3. त्रियुगीनारायण–तोषी हल्का वाहन मार्ग।

जिला योजना

4. पठाली–डुगर–सेमल हल्का वाहन मार्ग।

निम्न मार्गों पर कार्य प्रगति पर है:–

5. मोहनखाल–बदन हल्का वाहन मार्ग।
6. बीरों–बस्टी–डालसिंगी हल्का वाहन मार्ग।
7. उखीमठ–पठाली–पल्द्वाड़ी हल्का वाहन मार्ग।
8. कोटखाल–जगतोली हल्का वाहन मार्ग।
9. दुर्गाधार–बावई हल्का वाहन मार्ग।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 द्वाराहाट अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम नयाल सिलगसेरा के मध्य गगास नदी पर झूला पुल का निर्माण

94. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड द्वाराहाट अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम नयाल सिलगसेरा के मध्य धौरों नामक स्थान में गगास नदी पर झूला पुल का निर्माण कर लिया गया है?

यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

तथा निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

झूला पुल स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

रानीखेत छावनी परिषद् के सिविल एरिया को नगर पालिका बनाने हेतु प्रयास

95. श्री अजय भट्ट–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार रानीखेत छावनी परिषद् के सिविल एरिया को नगर पालिका बनाने हेतु कोई प्रयास कर रही है?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ।

रानीखेत छावनी परिषद् के सिविल एरिया को नगर पालिका बनाने के सम्बन्ध में अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के तहत जिलाधिकारी अल्मोड़ा से प्रस्ताव मांगा गया है तथा इस विषय में कार्यवाही गतिमान है।

जनपद टिहरी के प्रतापनगर क्षेत्र के गांवों को जोड़ने हेतु पुल व सड़क की स्वीकृति तथा खाद्यान्न ढुलान एवं यात्री भाड़े हेतु सब्सिडी

96. श्री अजय भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर क्षेत्र के गांवों को जोड़ने हेतु पुल एवं सड़क की स्वीकृति दे दी गयी है?

यदि हाँ, तो कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में इस क्षेत्र में आने-जाने हेतु सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है?

क्या दूरी बढ़ने के कारण सरकार ने खाद्यान्न ढुलान एवं यात्री भाड़े में कोई सब्सिडी देने की योजना बनाई है?

यदि हाँ, तो कितनी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

रु0 4792.53 लाख, यथाशीघ्र।

वर्तमान में पीपलडाली-झूला पुल एवं घनसाली से वैकल्पिक व्यवस्था है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मात्र किसी क्षेत्र विशेष के लिए सब्सिडी दिए जाने की योजना बनाया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत डोर बैण्ड से सैंणराथी तथा डिगोटी से घसाड़ तक सड़क निर्माण हेतु भारत सरकार की स्वीकृति

97. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत डोर बैण्ड से सैंणराथी सड़क तथा डिगोटी से घसाड़ सड़क निर्माण हेतु भारत सरकार से अक्टूबर, 2005 में सैद्धान्तिक स्वीकृति मिली हुई है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार एन0पी0वी0 का पैसा जमा करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

धनराशि जमा की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत भातड़–मसमोली–तड़ीगांव मोटर मार्ग पर शेष मिसिंग लिंक सड़क की स्वीकृति

98. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत भातड़–मसमोली–तड़ीगांव मोटर मार्ग की लम्बाई 13 किमी0 है?

क्या यह सत्य है कि मसमोली के बीच 02 किमी0 सड़क स्वीकृत नहीं है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार 02 किमी0 मिसिंग लिंक सड़क स्वीकृत करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल राज्य में बाज, बुरांस आदि पौधों का संरक्षण एवं संवर्द्धन

99. श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य में बाज, बुरांस आदि पौधों को संरक्षित एवं संवर्द्धन करने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई जा रही है?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ।

बांज तथा बूरांस के वृक्षों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु बांज बाहुल्य वन क्षेत्रों, जिनमें बूरांस सहचर प्रजाति के रूप में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, में ए0एन0आर0 (सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन) प्रक्रिया के अनुसार संरक्षण एवं संवर्द्धन का कार्य किया जा रहा है। इस योजना में रिक्त स्थानों पर बांज तथा बूरांस का रोपण भी किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून अन्तर्गत ऋषिकेश, मुनी की रेती, रायवाला तथा हरिद्वार जनपद के भूपतवाला क्षेत्रों में हाथियों के कहर से सुरक्षात्मक कार्रवाई

100. श्री हरबंस कपूर–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश, मुनी की रेती, रायवाला तथा हरिद्वार जनपद के भूपतवाला क्षेत्र तथा लेन्सडाउन जैसे क्षेत्रों में आक्रामक हाथियों का कहर व्याप्त है?

यदि हाँ, तो आम नागरिकों को इस कहर से बचाने हेतु विभाग द्वारा कोई सुरक्षात्मक कार्रवाई की गयी है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

उक्त क्षेत्रों में हाथियों का प्राकृतिक मार्ग आबादी क्षेत्र के निकट होने के कारण हाथियों द्वारा कभी–कभी आबादी क्षेत्र में क्षति पहुंचाई जाती है।

जी हाँ।

1. संवेदनशील क्षेत्रों में उरेडा के सहयोग से विद्युत तारबाड़ लगाई जा रही है।
2. ग्राम समितियां गठित की गयी हैं जो वन कर्मियों का सहयोग कर जंगली हाथियों को आबादी क्षेत्रों से बाहर करने में मदद करते हैं। इन समितियों को पटाखे आदि भी वितरित किए गये हैं तथा मानदेय भी दिया जा रहा है।
3. समय–समय पर, विशेष कर रात्रि में गश्त की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य की सड़कों में डेंजर जोन का चिन्हांकन तथा खतरनाक मोड़ों को सुदृढ़ किये जाने की योजना

101. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से राज्य की सड़कों के डेंजर जोन का चिन्हांकन तथा खतरनाक मोड़ों को सुदृढ़ किये जाने की कोई योजना प्रारम्भ की जायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

योजना पूर्व से ही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में राज्य कर्मचारियों हेतु निर्मित आवासों का विस्तार किये जाने का प्रस्ताव

102. श्री प्रकाश पंत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में राज्य कर्मचारियों हेतु निर्मित आवासों का विस्तार कर 2 कमरों का आवास निर्मित किये जाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्ष 2006–07 में कर्मचारियों के पूर्व के मकानों को उच्चीकृत करने हेतु धन स्वीकृत करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

जी नहीं।

पूर्व निर्मित भवनों का विस्तार तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

जनपद नैनीताल के वि0ख0 भीमताल ग्राम पंचायत पाण्डे गांव में "शहीद मोहन सिंह" के नाम से सड़क निर्माण हेतु शासन द्वारा स्वीकृति

103. श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विकासखण्ड भीमताल, ग्राम पंचायत पाण्डे गांव में "शहीद मोहन सिंह" के नाम से सड़क निर्माण हेतु शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

जी नहीं।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

देहरादून महानगर अन्तर्गत आवास विकास परिषद् उ0प्र0 तथा मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण द्वारा एक ही श्रेणी के निर्मित आवासों में भवन कर में विभिन्नता

104. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि देहरादून महानगर के अन्तर्गत आवास विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश तथा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित आवासीय कालोनियों में एक ही श्रेणी के अन्तर्गत रहने वाले भवन स्वामियों से अलग–अलग "भवन कर" वसूला जा रहा है?

यदि हाँ, तो क्यों?

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या सरकार सामान्य कर प्रणाली लागू करेगी?

श्री नव प्रभात–

सामान्यतः मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित एक ही श्रेणी के भवनों पर निगम द्वारा एक समान कर निर्धारण किया जाता है, परन्तु किसी भी भवन में यदि कोई किरायेदार हो तो भवन का कर निर्धारण किरायेदार द्वारा देय मासिक किरायेदारी के आधार पर किया जाता है, जिसके कारण एक ही श्रेणी के भवनों के कर निर्धारण में भिन्नता होती है।

उपरोक्तानुसार।

वर्तमान में समान कर प्रणाली लागू है।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 12:20 बजे पुनः आरम्भ हुई)

(भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समस्त माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर जोर–जोर से अपनी बात को कहने का प्रयास करने लगे।)

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, हमारी प्रार्थना है कि हमारी आज जो नियम–311 के अन्तर्गत सूचना दी गई है, उस पर सुनने की कृपा करें। सरकार जिस तरह से लाभ के पद का विधेयक लाना चाहती है वह नियमों की परिधि में नहीं है। सरकार सभी नियमों को ताक में रखकर डंडे के बल पर शासन चलाना चाहती है। यह ठीक नहीं है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आज जब सदन में यह विधेयक रखा जायेगा तब आप अपनी बात को रख सकते हैं। कृपया आसन ग्रहण करें।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुई। जिसमें पहली सूचना श्री प्रीतम सिंह पंवार, दूसरी डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, तीसरी सूचना श्री नारायण राम आर्य, चौथी सूचना श्री हरीदास, पाँचवी सूचना श्री पुष्पेश त्रिपाठी, छठीं सूचना श्री नारायण सिंह जन्तवाल, सातवीं सूचना श्री मातबर सिंह, आठवीं सूचना श्री प्रकाश पंत, नवीं सूचना श्रीमती आशा देवी, दसवीं सूचना श्री महेन्द्र भट्ट, ग्यारहवीं सूचना श्रीमती विजय बड़थ्वाल, बारहवीं सूचना श्री अनिल नौटियाल, तेरहवीं सूचना श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, चौदहवीं सूचना श्री बिशन सिंह चुफाल, पन्द्रहवीं सूचना श्री मालचन्द्र और सोलहवीं सूचना श्री बलबीर सिंह नेगी की है।

मैं इनमें से कुल सात सूचनाएं क्रमशः श्री नारायण राम आर्य, श्री नारायण सिंह जन्तवाल, श्रीमती आशा देवी, श्री महेन्द्र भट्ट, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री मालचन्द्र और श्री बलबीर सिंह नेगी की सूचना को नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सभी सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा श्री नारायण राम आर्य का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, पहले सदन को व्यवस्थित करें। हम नियमों के अन्तर्गत अपनी बात को कह रहे हैं। (घोर व्यवधान)

राजकीय हाई स्कूलों एवं इण्टर कॉलेजों में कार्यरत सी0टी0 ग्रेड के शिक्षकों को जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों से कम वेतन प्राप्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नारायण राम आर्य–

[मान्यवर, राजकीय हाई स्कूलों एवं इण्टर कॉलेजों में कार्यरत सी0टी0 ग्रेड के शिक्षकों को वर्तमान में जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों से कम वेतन प्राप्त हो रहा है। यह विसंगति इतनी गम्भीर है कि एक ही तिथि को जूनियर

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हाई स्कूल और इण्टर कॉलेजों में समान वेतन क्रम में नियुक्त अध्यापकों को अलग-अलग वेतन मिल रहा है। एक ही तिथि को नियुक्त जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक को अधिक वेतन प्राप्त हो रहा है। इण्टर कॉलेज व हाई स्कूलों में कार्यरत शिक्षक कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

महोदय, इस घोर विसंगति से राजकीय शिक्षकों में गहरा असंतोष व्याप्त है। इस विसंगति को तत्काल दूर करने की आवश्यकता है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं ध्यानाकर्षण हेतु प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री नारायण सिंह जन्तवाल का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य द्वारा अपनी सूचना नहीं पढ़ी गई।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्या श्रीमती आशा देवी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्या द्वारा अपनी सूचना नहीं पढ़ी गई।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री महेन्द्र भट्ट का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य द्वारा अपनी सूचना नहीं पढ़ी गई।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्या श्रीमती विजय बड़थ्वाल का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्या द्वारा अपनी सूचना नहीं पढ़ी गई।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री माल चन्द्र का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य द्वारा अपनी सूचना नहीं पढ़ी गई।)

(घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

[x x x]

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस अंश को न लिखा जाए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह नेगी का नाम पुकारे जाने पर)

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली तहसील के ग्राम सभा–थाती बूढ़ाकेदार के हेमलेट गांव घनसाली आदि गांवों में विद्युत लाइन न बिछाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली तहसील के ग्राम सभा–थाती बूढ़ाकेदार के हेमलेट गांव घनसाली आदि गांवों में विद्युत लाइन विगत 15 वर्षों से न बिछाये जाने के कारण स्थानीय जनता में व्यापक आक्रोश व्याप्त है। विगत 15–20 वर्षों में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उदासीनता बरती जा रही है और क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है।

अतः मेरा अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय, तात्कालिक व लोक महत्व की सूचना को नियम 301 के अन्तर्गत लिया जाय। सरकार को प्रभावी निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।

(नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री मातबर सिंह को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आकर जोर–जोर से नारे लगाने लगे–जोर जबरदस्ती की सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी।)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 2.00 बजे तक स्थगित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री मातबर सिंह को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में पूर्ववत् नारे लगाते रहे– "लाम का विधेयक–वापस लो, वापस लो"। "कांग्रेस सरकार– शर्म करो, शर्म करो"।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, हम आपका सहयोग करना चाहते हैं, कृपया हमें सुना जाय।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही अपराह्न 2.00 (दो) बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

नोट–*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 2.00 बजे पुनः आरम्भ हुई)

(भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समस्त माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर जोर-जोर से अपनी बात को कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद नैनीताल के ग्राम सड़ियाताल-ज्योलीकोट में हो रहे भारी भू-स्खलन का नियंत्रण एवं गांव की सुरक्षा के सम्बन्ध में याचिका

*श्री नारायण सिंह जंतवाल-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद नैनीताल के ग्राम सड़ियाताल-ज्योलीकोट में हो रहे भारी भू-स्खलन का नियंत्रण एवं गांव की सुरक्षा के सम्बन्ध में" श्री हरगोविन्द सिंह रावत एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद नैनीताल के राजकीय इण्टर कॉलेज ज्योलीकोट के पुराने भवनों के पुनः निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नारायण सिंह जंतवाल-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद नैनीताल के राजकीय इण्टर कॉलेज ज्योलीकोट के पुराने भवनों का पुनः निर्माण के सम्बन्ध में" श्रीमती मुन्नी चौहान एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चोपड़ा में आम पड़ाव से हैड़ा तक ट्रैक्टर रोड निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नारायण सिंह जंतवाल-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चोपड़ा में आम पड़ाव से हैड़ा तक ट्रैक्टर रोड निर्माण के सम्बन्ध में" श्री धीरेन्द्र सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मातबर सिंह-

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि हमने नियम-311 में सूचना दी है, तो उस पर चर्चा करा दें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा विधेयक, 2006

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करता हूँ।

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 03 अप्रैल, 2006 की बैठक में दिनांक 04 अप्रैल से 05 अप्रैल, 2006 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

अप्रैल, 2006

04 मंगलवार (1) उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] विधेयक, 2006 जो कि विधान सभा द्वारा 27 मार्च, 2006 को पारित किया गया और जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल द्वारा विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)

(2) पतंजलि विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)

(3) वित्तीय वर्ष, 2006–2007 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा।

05 बुधवार वित्तीय वर्ष, 2006–2007 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा। (अन्तिम दिवस)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि कार्यमंत्रणा समिति की जो सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने सदन में दी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज कार्यस्थगन के अन्तर्गत जितनी सूचनायें प्राप्त हुई हैं, मैं उन सभी सूचनाओं को अस्वीकृत करता हूँ।

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2006

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2006 जो उत्तरांचल विधान सभा द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2006 को पारित किया गया और जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल द्वारा विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2006 जो उत्तरांचल विधान सभा द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2006 को पारित किया गया और जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल द्वारा विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2006

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या———— सन् 2006)

(जैसा उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 में उत्तरांचल राज्य के परिपेक्ष्य में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ

1–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2006 है।

(2) यह 09 नवम्बर, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

मूल अधिनियम की धारा 2 में संशोधन

2– उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के खण्ड (क) में शब्द ''प्रतिकर भत्ता'' से पूर्व शब्द 'मानदेय' (चाहे उसके लिए 'वेतन', 'पारिश्रमिक' या अन्य कोई शब्द प्रयुक्त किया हो)'', रख दिये जायेंगे।

मूल अधिनियम की धारा 3 में संशोधन

3– मूल अधिनियम की धारा 3 में (क) खण्ड (भ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे:–

(भ) निम्नलिखित निकायों में से प्रत्येक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य (चाहे वह निदेशक या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) के पद, अर्थात्–

(1) राज्य आपदा राहत समिति।

(2) आपदा एवं न्यूनीकरण प्रबन्धन प्राधिकरण।

(3) भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण।

(4) उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद्।

(5) उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्।

(6) राज्य स्तरीय कृषक मित्र परिषद्।

(7) राज्य स्तरीय उद्योग मित्र परिषद्।

(8) उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग।

(9) उत्तरांचल बाल कल्याण बोर्ड।

(10) गढ़वाल मण्डल विकास निगम।

(11) कुमाऊँ मण्डल विकास निगम।

(12) चार धाम विकास परिषद्।

(13) श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ मन्दिर समिति।

(14) उत्तरांचल खादी ग्रामोद्योग बोर्ड।

(15) राज्य स्तरीय विशेष मात्राकरण योजना कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति।

(16) उत्तरांचल वाणिज्य कर सलाहकार समिति।

(17) उत्तरांचल अनुसूचित जाति–जनजाति आयोग।

(18) पर्यटन परामर्शदाता।

(19) गन्ना एवं चीनी विकास उद्योग बोर्ड।

(20) उत्तरांचल भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड।

(21) उत्तरांचल वन विकास निगम।

(22) बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति

(23) उत्तरांचल परिवहन निगम।

(24) राज्य युवा कल्याण परिषद्।

(25) राज्य योजना आयोग।

(26) हिलट्रान।

(27) मंत्रालयों / विभागों से सम्बन्धित सोसाइटी अथवा बोर्ड अथवा समिति इत्यादि।

(ख) खण्ड (घ) निकाल दिया जायेगा।

विधिमान्यकरण

4–इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरान्त किसी निकाय अथवा उनके प्राधिकारियों द्वारा मूल अधिनियम या उसके अधीन प्रदत्त अपनी अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग या तात्पर्यित प्रयोग करते हुए की गई कोई बात या कार्यवाई विधिमान्य रूप

से की गयी बात या कार्रवाई समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के सभी उपबन्ध तात्विक समयों पर प्रवृत्त रहे हों।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि खण्ड (भ) में प्रविष्टि 27 को विलुप्त कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड (भ) में प्रविष्टि 27 को विलुप्त कर दिया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2006 जो उत्तरांचल विधान सभा द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2006 को पारित किया गया और जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल द्वारा विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2006 जो उत्तरांचल विधान सभा द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2006 को पारित किया गया और जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल द्वारा विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

पतंजलि विश्वविद्यालय विधेयक, 2006

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि पतंजलि विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य संशोधन का प्रस्ताव रखना चाहते हैं?

(किसी भी माननीय सदस्य ने संशोधन का प्रस्ताव नहीं रखा)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि पतंजलि विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–51 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

पतंजलि विश्वविद्यालय विधेयक, 2006

(विधेयक संख्या– वर्ष 2006)

धाराएं	विषय	पृष्ठ संख्या
	अध्याय – 1 प्रारम्भिक	
1	संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ	1
2	परिभाषायें	1–3
	अध्याय – 2 विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य	
3	विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव	3–4
4	विश्वविद्यालय की स्थापना	4
5	विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता आदि के लिए हकदार न होना	5
6	किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना	5
7	विश्वविद्यालय के उद्देश्य	5–6
8	विश्वविद्यालय की शक्तियां	6–8
9	विश्वविद्यालय में सभी वर्ग, जाति एवं लिंग की पहुँच होगी	8–9
10	राष्ट्रीय प्रत्यायन	9
	अध्याय – 3 विश्वविद्यालय के अधिकारी	
11	विश्वविद्यालय के अधिकारी	9
12	कुलाध्यक्ष	9

धाराएं	विषय	पृष्ठ संख्या
13	कुलाधिपति	9–10
14	कुलपति	10
15	प्रति कुलपति	11
16	संकायाध्यक्ष	11
17	कुलसचिव	11
18	वित्त अधिकारी	11
19	अन्य अधिकारीगण	11
	अध्याय – 4 विश्वविद्यालय प्राधिकरण	
20	विश्वविद्यालय के प्राधिकारी	12
21	व्यवस्थापक मण्डल व उसकी शक्तियां	12–13
22	प्रबन्ध मण्डल	13
23	शैक्षिक (विद्या) परिषद्	13
24	वित्त समिति	13–14
25	अन्य प्राधिकरण	14
26	रिक्ति के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना	14
	अध्याय – 5 परिनियम व नियमावली	
27	परिनियम	14–15
28	परिनियम कैसे बनाये जायेंगे	15
29	परिनियम संशोधन करने की शक्ति	15
30	नियम	15–16
31	नियमावली कैसे बनाई जायेगी	16

धाराएं	विषय	पृष्ठ संख्या
32	नियमावली को संशोधित करने की शक्ति	16
	अध्याय – 6 प्रकीर्ण	
33	कर्मचारियों की सेवा शर्तें	16–17
34	अपील का अधिकार	17
35	भविष्य निधियां एवं पेंशन	17
36	विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकायों के गठन के बारे में विवाद	17
37	समितियों का गठन	17
38	आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति	17
39	सद्भावनापूर्ण की गयी कार्यवाही के लिये संरक्षण	17
40	संक्रमणकालीन उपबंध	18
41	स्थायी विन्यास निधि	18
42	सामान्य निधि	18
43	विकास निधि	19
44	निधि का अनुरक्षण	19
45	वार्षिक प्रतिवेदन	19
46	लेखा व लेखा परीक्षा	19–20
47	विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति	20
48	विश्वविद्यालय का विघटन	20–21
49	विश्वविद्यालय के विघटन के समय विश्वविद्यालय के व्यय	21
50	प्रवेश तथा शुल्क के लिए पारित विधि का लागू होना	21
51	कठिनाईयों का निराकरण	21

पतंजलि विश्वविद्यालय विधेयक, 2006

(विधेयक संख्या- वर्ष 2006)

राज्य में भारतीय प्राचीन संस्कृति एवं वैदिक विज्ञान आधारित योग, आयुर्वेद एवं अन्य कृषि जड़ी-बूटीकरण के क्षेत्र में गहन शिक्षण-प्रशिक्षण एवं शोधकार्य आदि की सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में न्यास/ट्रस्ट अधिनियम के अधीन पंजीकृत पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) द्वारा प्रायोजित "पतंजलि विश्वविद्यालय" नामक विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसे निगमित करने एवं उससे सम्बन्धित या आनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने हेतु यह

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय - 1

प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 है। — संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ

(2) यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. (1) जब तक प्रसंग के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में — परिभाषाएं

(क) 'विद्या परिषद्' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की शिक्षा परिषद् से है,

(ख) व्यवस्थापक मण्डल का तात्पर्य विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मण्डल से है;

(ग) 'कुलाधिपति' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से है;

(घ) घटक महाविद्यालय का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय, या संस्था से है;

(ङ) 'तकनीकी शिक्षा परिषद्' का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 3 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से है;

(च) 'दूरस्थ शिक्षा पद्धति' का तात्पर्य शिक्षा की उस पद्धति से है जिसमें शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यमों, जैसे मल्टीमीडिया, प्रसारण, दूर–दृश्य प्रसारण (टेलीकॉस्टिंग), इन्टरनेट पर ऑनलाइन, अन्य पारस्परिक विधियां, ई–मेल, इन्टरनेट, कम्प्यूटर, पारस्परिक संवाद, ई–लर्निंग पत्राचार पाठ्यक्रम, गोष्ठी, सम्पर्क कार्यक्रम, या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो;

(छ) 'कर्मचारी' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी से है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय, या किसी संघटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारी भी सम्मिलित हैं;

(ज) 'संकाय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की संकाय से है;

(झ) 'वित्त समिति' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की वित्त समिति से है;

(ञ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है;

(ट) 'हाल अथवा छात्रनिवास का तात्पर्य विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा मान्य छात्रों के आवास की इकाई से है;

(ठ) 'विहित' का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ड) किसी संघटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में 'प्राचार्य' का तात्पर्य संघटक महाविद्यालय के प्रधान से है और इसमें जहां प्राचार्य नहीं है, उप–प्राचार्य या तत्समय प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित है;

(ढ) 'कुल सचिव' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुल सचिव से है;

(ण) क्षेत्रीय 'केन्द्र' का तात्पर्य ऐसे केन्द्र से है जिसकी स्थापना या अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किसी क्षेत्र में स्थित अध्ययन केन्द्रों के समन्वय, पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदत्त कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से किया गया हो;

(त) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य से है;

(थ) 'परिनियमों और नियमावली' का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियमों और नियमावलियों से है;

(द) 'अध्ययन' केन्द्र का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे केन्द्र से है जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया हो;

(ध) 'अध्यापक' का तात्पर्य आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य / व्याख्याता ऐसे अन्य व्यक्ति से है जिसे विश्वविद्यालय या किसी संगठक महाविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने, या शोध कार्य के संचालन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अनुरूप नियुक्त किया जाये और इसके अन्तर्गत किसी संगठक महाविद्यालय का प्राचार्य भी आता है;

(न) 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग', का तात्पर्य उस संस्थान से है जिसकी स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत की गयी है;

(प) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन प्रस्तावित पतंजलि विश्वविद्यालय से है;

(फ) 'कुलाध्यक्ष' (विजिटर) का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष से है।

(ब) "भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्" से तात्पर्य भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 के अधीन स्थापित भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् से है।

अध्याय – 2

विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव

3\. (1) पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।

(2) पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) राज्य सरकार को विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव सहित एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत करेगी। इस आवेदन–पत्र के प्रस्ताव में निम्न विवरण प्रस्तुत किये जायेंगे:–

(क) पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) का पूर्ण विवरण सहित विश्वविद्यालय के उद्देश्य

(ख) विश्वविद्यालय की प्रास्थिति, विस्तार और भूमि की उपलब्धता;

(ग) आगामी पांच वर्षों में विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले शैक्षणिक एवं अनुसंधान कार्यक्रमों की प्रकृति तथा प्रकार;

(घ) संकायों की प्रकृति, पाठ्यक्रम तथा आरम्भ किया जाने वाला प्रस्तावित शोध कार्य;

(च) विश्वविद्यालय परिसर का विकास जैसे–भवन, उपस्कर तथा संरचनात्मक सुख–सुविधायें;

(छ) आगामी पांच वर्षों के लिए पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध परिव्यय;

(ज) मदवार आवर्ती व्यय, वित्तीय स्रोत एवं प्रत्येक छात्र के लिए अनुमानित व्यय;

(झ) संसाधन जुटाने की योजना तथा उसकी पूंजीगत लागत और उन्हें चुकाने के तरीके;

(ट) आन्तरिक संसाधनों–विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क, परामर्श एवं अन्य विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों से प्रत्याशित राजस्व एवं अन्य प्रत्याशित आय द्वारा आन्तरिक निधियों के सृजन की योजना;

(ठ) संस्था की लागत पर आने वाले व्यय, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए शिक्षण शुल्कों में दी जाने वाले रियायतों या छूटों की सीमा निःशुल्कता और छात्रवृत्तियां तथा अप्रवासी भारतीयों एवं विदेश से आने वाले विद्यार्थियों से विभिन्न दरों पर, यदि कोई हों, लिये जाने वाले शुल्कों के स्वरूप का ब्यौरा;

(ड) पतंजलि योगपीठ में उपलब्ध सम्बन्धित विषयों में विशेषज्ञता एवं अनुभव की अवधि तथा वित्तीय संसाधन

(ढ) विश्वविद्यालय में छात्रों की चयन पद्धति

(त) विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व ऐसी अन्य शर्तों की, जिनकी पूर्ति प्रदेश सरकार द्वारा अपेक्षित हो, पूर्ति की प्रास्थिति।

4. (1) यदि राज्य सरकार आवश्यक ऐसी जांच करने के उपरान्त जिसे वह आवश्यक समझे, का समाधान हो जाये कि धारा 3 की उपधारा (2) की निर्दिष्ट शर्तें पूर्ण कर ली गई हैं तो पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) दिल्ली, सम्पर्क कार्यालय–कृपालु बाग आश्रम, कनखल, हरिद्वार (उत्तरांचल) को स्थायी विन्यास निधि स्थापित करने के लिए निर्देश देगी, विश्वविद्यालय की स्थापना

(2) स्थायी विन्यास निधि की स्थापना के उपरान्त राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित कर विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान कर प्रमाण–पत्र निर्गत करेगी।

(3) पतंजलि विश्वविद्यालय का मुख्यालय उत्तरांचल हरिद्वार, में स्थिति होगा तथा जैसा समय–समय पर वह अपनी अधिकारता के अन्दर अन्य स्थानों पर भी परिसर अथवा क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों एवं योग प्रशिक्षण केन्द्रों, अनुसंधान संस्थान आदि की स्थापना कर सकेगा, परन्तु इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य संवैधानिक संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना होगा।

(4) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति एवं व्यवस्थापक मण्डल, प्रबन्ध मंडल एवं विद्या परिषद् के सदस्य इस प्रकार स्थापित विश्वविद्यालय में तत्समय उक्त पदों पर कार्य करते हुए निगमित निकाय गठित कर सकेंगे और विश्वविद्यालय के नाम से वाद दायर कर सकेंगे एवं उन पर वाद चलाया जा सकता है।

(5) उपधारा (2) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने पर विश्वविद्यालय के प्रयोजन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अधिग्रहीत निर्मित, सृजित, व्यवस्थित अथवा निर्मित भूमि, चल एवं अचल सम्पत्तियां भी लिए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) एवं दिव्य योग मन्दिर (ट्रस्ट) की सम्पत्तियों को छोड़कर विश्वविद्यालय को अन्तरित एवं उसमें निहित हो जायेगी।

(6) विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहीत भूमि, भवन एवं अन्य सम्पत्तियों का उस प्रयोजन से भिन्न, जिसके लिए उन्हें अधिग्रहीत किया गया है, उपयोग नहीं किया जायेगा।

विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता आदि के लिए हकदार न होना

5. विश्वविद्यालय स्वतः वित्त पोषक होगा और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय, या निगम से किसी सहायता, अनुदान या किसी अन्य वित्तीय सहायता की न तो कोई मांग करेगा, और न ही उसके लिए हकदार होगा।

किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना

6. विश्वविद्यालय में संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र एवं योग प्रशिक्षण व अनुसंधान केन्द्र हो सकते हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय अन्य अनुसंधान संस्थान व अन्य विश्वविद्यालय के साथ सामूहिक अनुसंधान कार्य आदि कर सकता है। किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी। परिसर के बाहर केन्द्र या अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालय मानकों की स्थापना और उनके अनुरक्षण सम्बन्धी) विनियम का भी पालन किया जाना होगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

7. (1) जिन उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी वे निम्नलिखित हैं:–

(क) पतंजलि विश्वविद्यालय का उद्देश्य प्राचीन ऋषि–महर्षियों द्वारा निर्दिष्ट मौलिक तत्व ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में व्यापक अध्ययन–शिक्षण एवं गहन शोध अनुसंधान का सुव्यवस्थित तथा विश्व स्तर की विद्या को स्थापित करना है।

(ख) राष्ट्रधर्म, स्वदेश प्रेम, स्वदेशी खानपान, आहार–शुचिता, जड़ी–बूटी व आयुर्वेद के संरक्षण व संवर्द्धन के विषय में युवाओं को जागृत करके रोजगारपरक शिक्षा को उपलब्ध कराना।

(ग) योग, आयुर्वेद सहित वेद–वेदांग आदि सभी प्राचीन विद्याओं पर आधारित विविध महाविद्यालयों की स्थापना एवं पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करना। विश्वविद्यालय को अपने उद्देश्यों के प्रोत्साहन हेतु नये अन्य डिप्लोमा और प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम आरम्भ करने का अधिकार होगा।

(घ) उपरोक्त (ग) में उल्लिखित पाठ्यक्रमों के लिए दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षण प्रदान करने के लिए अनवरत शिक्षा के अधीन संघटक केन्द्र की स्थापना।

(2) भारतीय संस्कृति योग, आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवीन परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना और उसके द्वारा:–

(क) ज्ञान की ऐसी सम्बन्धित शाखाओं में शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, जिन्हें वह आवश्यक समझे;

(ख) विद्यालयों में ज्ञान की उत्पत्ति और प्रचार के लिए शोध कार्य की व्यवस्था करना जिससे विश्व पटल पर इन विधाओं को स्थापित किया जा सके तथा छात्र/छात्राओं को रोजगार भी सहज उपलब्ध हो सके।

(ग) योग, आयुर्वेद सम्बन्धी अध्ययन और ऐसी अन्य गतिविधियां आरम्भ करना जिससे आम जनता को योग, आयुर्वेद का लाभ मिल सके जिससे रोगमुक्त स्वस्थ एवं समृद्ध समाज व राष्ट्र की सोच को विकसित किया जा सके।

8. (1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी; अर्थात् — विश्वविद्यालय की शक्तियां

(क) भारतीय संस्कृति, मानविकी, सूचना प्रौद्योगिकी, सहबद्ध क्षेत्रों तथा सम्बन्धित सभी विषयों में शिक्षण व्यवस्था करना तथा अनुसंधान एवं ज्ञान के अभिवर्द्धन और प्रसार का प्राविधान करना;

(ख) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसी अन्य समस्त गतिविधियां सम्पादित करना जो आवश्यक अथवा साध्य हों;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षायें आयोजित करना तथा उन्हें उपाधियां या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें संस्थित और प्रदान करना जिन्होंने:–

(1) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय या दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों या योग प्रशिक्षण केन्द्रों में शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो; या

(2) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में, या किसी दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन शोध कार्य किया हो।

(घ) परिनियमों/प्राविधानों में अभिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद उपाधियों, या अन्य शैक्षिक विशेषताएं प्रदान करना;

(ड) परिनियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां तथा पुरस्कार संस्थित एवं प्रदान करना।

(च) ऐसी फीस, बिल, बीजक की मांग करना और प्राप्त करना तथा प्रभार संग्रह करना जो यथास्थिति, परिनियमों या नियमों द्वारा नियत किया जाये;

(छ) धारा (7) में उल्लेखित योग, आयुर्वेद और अन्य क्षेत्र में शिक्षा की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था करना;

(ज) विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए शिक्षा के अतिरिक्त (पाठ्येत्तर) अन्य गतिविधियों की व्यवस्था करना;

(झ) विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों तथा योग प्रशिक्षण केन्द्रों में संकाय अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना;

(ञ) पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों और योग प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रयोजनार्थ संदान और किसी प्रकार के उपहार प्राप्त करना तथा न्यास और विन्यास की सम्पत्तियों सहित किसी चल, अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण धारण, अनुरक्षण और निपटारा करना;

(ट) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के छात्रों के लिए हाल/छात्रावास आदि स्थापना और उनका अनुरक्षण करना और निवास स्थानों को निश्चित करना;

(ठ) आवास का नियन्त्रण, पर्यवेक्षण और समस्त श्रेणी के कर्मचारियों एवं छात्रों के मध्य अनुशासन पर नियंत्रण रखना तथा आचार संहिता सहित ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तें विनिर्दिष्ट करना;

(ड) प्रशासनिक, प्रबन्धन एवं सहायक कर्मचारियों और अन्य आवश्यक पदों का सृजन;

(ढ) अन्य विश्वविद्यालय से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य या सहयोग करना, जिन्हें विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करें;

(ण) दूरस्थ शिक्षा पद्धति और ऐसी रीति की व्यवस्था करना जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के अनुसार दूरस्थ शिक्षा को आयोजित किया जा सके;

(त) अध्यापकों, पाठ लेखकों, मूल्यॉककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम कार्यशालाएं, संगोष्ठियाँ और अन्य कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना;

(थ) विश्वविद्यालय या किसी संगठक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र और योग प्रशिक्षण केन्द्रों में विशिष्ट समितियों के माध्यम से एवं विद्या परिषद् के अनुमोदन से प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना;

(द) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, और योग प्रशिक्षण केन्द्रों में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उत्तरांचल राज्य के छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था करना;

(ध) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए यथा आवश्यक ऐसे अन्य सभी कार्य करना चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के प्रासंगिक हों या न हों;

(न) योग आयुर्वेद तथा सम्बन्धित विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध के लिए ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारित करना तथा डिप्लोमा और प्रमाण–पत्र आदि के लिए पाठ्यक्रम आरम्भ करना जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा आच्छादित हो परन्तु डिप्लोमा सर्टिफिकेट आदि दिये जाने के सम्बन्ध में अपना पाठ्यक्रम लागू करने हेतु विश्वविद्यालय को स्वतन्त्रता होगी।

(प) फिल्म कैसेट, टेप, वीडियो कैसेट, सी०डी०, वी०सी०डी० और अन्य सॉफ्टवेयर इत्यादि सहित शैक्षिक सामग्री तैयार करने की व्यवस्था करना;

(फ) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं एवं उच्च शिक्षा केन्द्रों की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि (पूर्ण या आंशिक) को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि के समतुल्य मान्यता प्रदान करना और उनको दी गई मान्यता किसी भी समय समाप्त करना;

(ब) व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या उसके बिना विश्वविद्यालय के लिए धन जुटाना, संग्रह करना, स्वीकार करना और ऋण प्राप्त करना;

(भ) संविदा करना उसका निष्पादन करना, उसमें परिवर्तन करना या उसे समाप्त करना।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी लेकिन उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों को प्रोत्साहित करने तथा ऐसी प्रणालियों में शिक्षण, मूल्यांकन और शोध मानक निर्धारित करने के लिए वे सभी उपाय करना विश्वविद्यालय का कर्तव्य होगा जो वह उचित समझे और इस कार्य के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों और योग प्रशिक्षण केन्द्रों को चाहे उन्हें विशेषाधिकार स्वीकृत हो अथवा नहीं अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्था को अनुदानों के आवंटन एवं संवितरण की शक्ति सहित ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो संविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें।

विश्वविद्यालय में सभी वर्ग, जाति एवं लिंग की पहुँच होगी

9. विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए चाहे वे किसी भी वर्ग, जाति या लिंग के हों, के प्रवेश के लिए खुला रहेगा:-

परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तरांचल के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए विशेष प्राविधान करने पर प्रतिबन्ध है। परन्तु और यह भी इस धारा के किसी बात के होते हुए भी यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों या योग प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में परिनियमों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश देना अपेक्षित है।

राष्ट्रीय प्रत्यायन

10 विश्वविद्यालय विभिन्न राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्थाओं से मान्यता प्राप्त करेगा।

अध्याय – 3

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

11. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:-

(क) कुलाध्यक्ष (विजिटर)

(ख) कुलाधिपति

(ग) कुलपति

(घ) प्रति-कुलपति (प्रो-वाइस चांसलर)

(च) संकायाध्यक्ष

(छ) कुल सचिव

(ज) वित्त अधिकारी और

(झ) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें संविधियों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किया जाय।

12 (1) उत्तरांचल के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे। कुलाध्यक्ष (विजिटर)

(2) कुलाध्यक्ष, जब उपस्थित हों, तो उपाधियाँ एवं डिप्लोमा प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(3) कुलाध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय के मामलों से सम्बन्धित किसी भी अभिलेख, पत्र या सूचना को मंगाना;

(ख) कुलाध्यक्ष को प्राप्त सूचना के आधार पर यदि कुलाध्यक्ष उसका समाधान हो जाता है कि कोई आदेश, कार्यवृत्त या निर्णय चाहे विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय, अधिनियम, विनियम, अध्यादेश अथवा नियमावली के अनुरूप नहीं है तो वह ऐसे निर्देश जारी कर सकते हैं जिन्हें वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझें, निर्देश दे सकेंगे और इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों का सभी सम्बन्धितों द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

(4) मानक उपाधि या विशिष्टता प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाध्यक्ष के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

13. (1) योगऋषि स्वामी रामदेव अध्यक्ष पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) एवं दिव्य योग मन्दिर (ट्रस्ट) कनखल, हरिद्वार इस पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति होंगे, जिनका कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा। तत्पश्चात् पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) अपने ही ट्रस्टियों में से कुलाध्यक्ष की पूर्व सहमति से कुलाधिपति नियुक्त करेगी। कुलाधिपति

(2) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियां होंगी जो उसे उस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा प्रदान की जायं।

14. (1) कुलाधिपति द्वारा उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कुलपति की नियुक्ति की जायेगी। कुलपति

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थातः–

(क) कुलाध्यक्ष तथा कुलाधिपति द्वारा नामित एक–एक सदस्य;

(ख) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव;

(ग) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा मनोनीत तीन सदस्य, जिनमें से एक को व्यवस्थापक मण्डल द्वारा समिति के संयोजक के रूप में नामित किया जायेगा।

(3) समिति योग्यता के आधार पर उप कुलाधिपति के पद के योग्य तीन व्यक्तियों का पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक योग्यताओं तथा अन्य विशिष्टताओं के संक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपति को भेज देगी;

(4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, जो कि विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को लागू करेगा।

(5) जहां अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्रवाई करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्रवाई करने के लिये इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविधालय के किसी सशक्त अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्रवाई न की जा सके तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कुलपति ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह उचित समझे।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या नियमावली द्वारा अधिकथित किये जायें।

(7) कुलाधिपति को सम्यक् जाँच के बाद कुलपति को हटाने का अधिकार प्राप्त है। कुलाधिपति, जाँच के दौरान आरोपों की गम्भीरता को दृष्टिगत् रखते हुए, जैसा वह उचित समझे, कुलपति को निलम्बित कर सकेंगे।

प्रति–कुलपति

15 प्रति–कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जा सकेगी, जैसी कि परिनियमों में विहित की जाये और प्रति–कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

16. संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी कि परिनियमों द्वारा वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करें जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें। संकायाध्यक्ष

17. (1) कुल सचिव की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जाएगी, जैसे कि विहित की जाए। कुल सचिव

(2) कुल सचिव, विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

(3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जायें, या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों।

(4) कुल सचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएं और दस्तावेज, जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों, प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

18. वित्त अधिकारी कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग अथवा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि विहित किये जायें। वित्त अधिकारी

19. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के निबन्धन और शर्तें, तथा शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जो विहित किये जायें। अन्य अधिकारीगण

अध्याय – 4

विश्वविद्यालय प्राधिकरण

20. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे:– विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

(क) व्यवस्थापक मण्डल

(ख) प्रबन्धक मण्डल

(ग) शैक्षिक (विद्या) परिषद्

(घ) वित्त समिति, और

(च) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें सविधियों द्वारा विश्वविद्यालय के परिनियमों में प्राधिकारी घोषित किया जाय।

व्यवस्थापक मण्डल व उसकी शक्तियां

21. (1) व्यवस्थापक मण्डल में निम्नलिखित होंगे

(क) कुलाधिपति – अध्यक्ष

(ख) कुलपति – सदस्य–सचिव

(ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव या राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य सरकार का सचिव

(घ) राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव या राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य सरकार का सचिव

(च) पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) द्वारा नामित पांच सदस्य

(छ) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित तीन शिक्षा विद्

(ज) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित एक सदस्य

(झ) योग, आयुर्वेद के क्षेत्र में अग्रणी कार्य करने वाले संस्थान के वैज्ञानिक या अधिकारी में से कुलाधिपति द्वारा नामित तीन अधिकारी।

(2) व्यवस्थापक मण्डल, विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासनिक संस्था होगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी:–

(क) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण

(ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का, यदि वे ऐसे अधिनियम या परिनियमों या नियमावली के उपबन्धों के अनुरूप न हो का पुनर्विलोकन;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन;

(घ) नई अथवा अतिरिक्त परिनियमों को बनाना या पूर्व में बने परिनियमों अथवा नियमावलियों का संशोधन या निरसन;

(च) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक समापन के सम्बन्ध में विनिश्चय करना;

(छ) राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों को अनुमोदन; और

(ज) ऐसे निर्णय एवं प्रयास करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के प्रभावी ढंग से निष्पादन के लिए वांछनीय पाये गये हैं।

(ञ) एक या अधिक पर्यवेक्षक नामित करना जो कि समय–समय पर कुलाधिपति की सलाह एवं निर्देशों के अन्तर्गत नीति एवं ढांचा निर्धारित करेगा/करेंगे, जिसके अन्तर्गत प्रबन्धक मण्डल, विद्या परिषद्, वित्त समिति एवं अन्य ऐसे प्राधिकरण जो कि परिनियमों द्वारा घोषित हों, विश्वविद्यालय के उचित प्रशासन के लिए कार्य करेंगे एवं प्रस्ताव करेंगे।

(3) व्यवस्थापक मण्डल की वर्ष में न्यूनतम तीन बैठकें ऐसे समय और स्थान पर होंगी जैसा कि कुलाधिपति उचित समझें।

22. (1) प्रबन्ध मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होंगे:– प्रबन्ध मण्डल

(क) कुलपति;

(ख) कुलाधिपति द्वारा नामित एक अधिकारी;

(ग) पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) द्वारा नामित पांच सदस्य;

(घ) एक वर्ष की अवधि के लिए ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के दो प्राध्यापक;

(च) कुलाधिपति द्वारा नामित दो संकायाध्यक्ष;

(छ) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिसका पद राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से निम्न पद का न हो।

कुलपति प्रबन्ध मण्डल का सभापति एवं कुल सचिव इसके सचिव होंगे।

(2) प्रबन्ध मण्डल की शक्तियां एवं कृत्य वही होंगे जो विहित किये जायें।

23. (1) शैक्षिक (विद्या) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे:– शैक्षिक (विद्या) परिषद्

(क) कुलपति	–	सभापति
(ख) कुल सचिव	–	सचिव;
(ग) ऐसे अन्य सदस्य	–	जैसा परिनियमों के विहित किया जाये।

(2) शैक्षिक (विद्या) परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक संस्था होगी और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अन्तर्गत रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों में समन्वय स्थापित करेगी और उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

वित्त समिति 24. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:–

(क) कुलपति – सभापति;

(ख) वित्त अधिकारी;

(ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिसका पद राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के पद से कम न हो;

(घ) राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिसका पद राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के पद से कम न हो;

(च) ऐसे अन्य सदस्य, जो परिनियम में विहित किये जायें।

(2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्तीय संस्था होगी, जो वित्तीय मामलों की देख–भाल करेगी, और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अध्यधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों में समन्वय स्थापित करेगी एवं उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

अन्य प्राधिकरण 25. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे कि विहित किये जायें।

रिक्ति के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना 26. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि प्राधिकरण के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान थी।

अध्याय – 5

परिनियम और नियमावली

परिनियम 27. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए विश्वविद्यालय तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध में किसी विषय के लिए परिनियम और नियमावली द्वारा व्यवस्था की जा सकती है, जो निम्नवत् है:–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य–सम्पादन और ऐसी इकाइयों के गठन की प्रक्रिया जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं की गई है;

(ख) स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का संचालन;

(ग) कुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति की शर्तें, तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;

(घ) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की भर्ती की रीति और सेवा शर्तें

(च) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, संकाय के सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवादों के निराकरण की प्रक्रिया;

(छ) विभागों और संकायों का सृजन, उत्सादन और उसकी पुनर्संरचना;

(ज) अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं के साथ सहयोग की रीति;

(झ) मानद् उपाधियों को प्रदान करने की प्रक्रिया;

(ट) निःशुल्कता और छात्रवृत्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध में उपबन्ध

(ठ) विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या तथा ऐसे पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की, जिसमें स्थानों का आरक्षण भी सम्मिलित है तथा उत्तरांचल के विद्यार्थियों के लिए स्थानों के आरक्षण की प्रक्रिया;

(ड) विभिन्न शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क

(ढ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, फीस माफी, पदकों और पुरस्कारों की स्थापना;

(त) पदों का सृजन और समापन की प्रक्रिया;

(थ) अन्य मामले जो विहित किये जायें।

28. (1) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाये गये परिनियमों को राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे, जो उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के परिनियमों की प्राप्ति के दिनांक के तीन माह के अन्दर अपना अनुमोदन दे सकेगी। परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में परिनियमों के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है, वहाँ यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने परिनियमों को अनुमोदित कर दिया है।

परिनियम संशोधन करने की शक्ति

29. व्यवस्थापक मण्डल राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

नियम

30. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, नियमों में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपलब्ध किये जा सकेंगे, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, उनका नामांकन और इस रूप में बने रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) उपाधियों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं को प्रदान करना;

(घ) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें;

(ङ) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा लेने वाले निकायों, परीक्षकों, अन्तरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य;

(छ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं में प्रवेश करने के लिए लिया जाने वाला शुल्क;

(ज) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना;

(ट) अन्य सभी विषय जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों या परिनियमों में प्राबधान किया जाये।

नियमावली कैसे बनायी जायेगी

31. (1) नियमावली व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनायी जायेगी और इस प्रकार बनायी गई नियमावली राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जायेगी, जो कि नियमावली की प्राप्ति के दिनांक से 2 माह के अन्दर उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के साथ अपना अनुमोदन दे सकेगी।

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में नियमावली के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई भी विनिश्चय

करने में असमर्थ रहती है वहाँ यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने नियमावली को अनुमोदित कर दिया है।

32. राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए और प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन से शैक्षिक (विद्या) परिषद् नये तथा अतिरिक्त नियम बना सकेगी या नियमावली को संशोधित या निरस्त कर सकेगी। नियमावली को संशोधित करने की शक्ति

अध्याय – 6

प्रकीर्ण

33. (1) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जायेगी, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी। कर्मचारियों की सेवा शर्तें

(2) छात्रों या कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई विश्वविद्यालय परिनियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार नियन्त्रित होगी।

(3) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर माध्यस्थम (आर्बिटेशन) अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसमें प्रबन्ध मण्डल द्वारा नियुक्त एक सदस्य, सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होंगे।

(4) ऐसे मामलों में अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) अधिकरण के कार्यों को विनियमत करने की प्रक्रिया इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी विहित की जाये।

34. विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, योग प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रत्येक कर्मचारी को विश्वविद्यालय या किसी ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य, क्षेत्रीय केन्द्र, योग प्रशिक्षण केन्द्र के किसी अधिकारी या प्राधिकारी, यथास्थिति विनिश्चय के विरुद्ध प्रबन्ध मण्डल को, ऐसे समय के अन्दर, जो विहित किया जाये, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबन्ध मण्डल ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि, उपान्तरित या परिवर्तित कर सकेगा। अपील का अधिकार

35. विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो विहित की जायें, ऐसे भविष्य निधियों एवं पेंशन

भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा और ऐसी बीमा योजना की व्यवस्था करेगा, जैसा वह उचित समझे।

विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकायों के गठन के बारे में विवाद

36. यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अन्य निकाय का सदस्य के रूप में विधिवत् निर्वाचित या नियुक्त किया गया है, या उसका सदस्य होने का हकदार है, तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

समितियों का गठन

37. जब भी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को, इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियां नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई हो, वहां ऐसी समितियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी का कोई, समस्त सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्तियों यदि कोई हो, जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, सम्मिलित होंगे।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

38. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में से किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता है।

सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण

39. कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाई, किसी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या परिनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई है, या की जाने के लिए आशयित है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित नहीं होगी।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

40. इस अधिनियम और परिनियमों के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी:—

(क) प्रथम कुलपति एवं प्रति कुलपति (प्रो0 वाइस चांसलर), यदि कोई है, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि तक उस पद पर कार्य करेगा;

(ख) प्रथम कुल सचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी जो तीन वर्ष की अवधि तक उस पद पर कार्य करेंगे;

(ग) प्रथम व्यवस्थापक मण्डल में तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पद धारण करेगा;

(घ) प्रथम प्रबन्धक मण्डल, प्रथम वित्त समिति और प्रथम विद्या परिषद् का गठन, कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा।

41. (1) विश्वविद्यालय द्वारा कम से कम तीन करोड़ रुपये स्थायी विन्यास निधि स्थापित की जायेगी जिसे वह आवश्यकता पड़ने पर स्वयमेव ही बढ़ा सकेगा, परन्तु घटा नहीं सकता; स्थायी विन्यास निधि

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को विहित रीति से निवेश करने की शक्ति होगी;

(3) विश्वविद्यालय द्वारा सामान्य निधि या विकास निधि से कोई भी धनराशि स्थायी विन्यास निधि में अन्तरित की जा सकती है। विश्वविद्यालय के समापन के अतिरिक्त किसी भी अन्य परिस्थिति में अन्य प्रयोजनों के लिए कोई धनराशि विन्यास निधि की राशि से अन्तरित नहीं की जा सकती;

(4) स्थायी विन्यास निधि की राशि से प्राप्त आय का 75 प्रतिशत से अनधिक विश्वविद्यालय के विकास कार्यों के लिए उपयोग में लाया जायेगा और शेष 25 प्रतिशत को स्थायी विन्यास निधि में पुनर्निवेशित कर दिया जायेगा।

42. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक सामान्य निधि स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात्:– सामान्य निधि

(क) विश्वविद्यालय द्वारा लिए जाने वाले सभी शुल्क;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;

(ग) पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) द्वारा किये गये सभी अंशदान और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान।

(2) सामान्य निधि हेतु आशयित निधि का प्रयोग वि0वि0 के सभी आवर्तक व्ययों की पूर्ति के लिए किया जायेगा।

विकास निधि

43. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक विकास निधि भी स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित निधियां जमा की जायेंगी, अर्थात्:-

(क) विकास शुल्क, जिसे छात्रों में प्रभारित किया जाये;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;

(ग) पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) द्वारा किये गये सभी अंशदान और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान।

(च) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त समस्त आय।

(2) समय-समय पर विकास निधि में जमा की गयी निधियों का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

44. धारा 41, 42 और 43 के अधीन स्थापित निधियों को, व्यवस्थापक मण्डल के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, विहित रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा।

वार्षिक प्रतिवेदन

45. (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किया जायेगा और उसे व्यवस्थापक मण्डल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) व्यवस्थापक मण्डल, अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और वह उसे उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदित कर सकता है।

(3) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा विधिवत् अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, प्रति वर्ष 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।

लेखा व लेखा परीक्षा

46. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र प्रबन्धक मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि की, जिनका संवितरण या भुगतान किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा रखे गये लेखों में प्रविष्टि की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं की प्रति वर्ष लेखा-परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा की जायेगी जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया (आई0सी0ए0आई0) के सदस्य हों।

(3) लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखाओं और तुलन–पत्र की एक प्रति प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से काफी पहले व्यवस्थापक मण्डल को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा वार्षिक लेखों, तुलन–पत्र और लेखा–परीक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जायेगा और व्यवस्थापक मण्डल उन्हें उन पर अपनी अभ्युक्तियों के साथ प्रति वर्ष 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

(5) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और लेखा–परीक्षा पर राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देश विश्वविद्यालय के लिए बाध्यकारी होंगे।

47. विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से विधिवत् रखी गई किसी पूँजी की कोई प्रविष्टि यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या पंजिका में प्रविष्ट होने के प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और संव्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई हो, तो वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार होगी। विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

48. (1) यदि पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) द्वारा विश्वविद्यालय के गठन और निगमन नियंत्रित करने वाली विधि के अनुसार उसके समापन का प्रस्ताव रखती हो तो उसे राज्य सरकार को कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देना होगा। विश्वविद्यालय का विघटन

(2) विश्वविद्यालय की प्रबन्ध प्रणालियों में कुप्रबन्ध, कुप्रशासन, अनुशासनहीनता, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति में विफल होना एवं आर्थिक कठिनाइयों की पहचान किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के प्रबन्ध व्यवस्था को निर्देश जारी करेगी, जिनका ऐसी समय सीमा के अधीन जैसी विहित की जाये, अनुपालन न होने पर विश्वविद्यालय के परिसमापन का निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।

(3) विश्वविद्यालय का परिसमापन ऐसी रीति से किया जायेगा जो इस विषय राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये, परन्तु उसके लिए पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) द्वारा कारण बताओ नोटिस के लिए समुचित अवसर प्रदान किये बगैर ऐसी कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की जायेगी।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं तत्सम्बन्धी संवैधानिक संस्था से परामर्श करके पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) द्वारा विश्वविद्यालय के प्रस्तावित दिनांक से, और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रमों में छात्रों का अंतिम बैच अपने पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

विश्वविद्यालय के विघटन के समय विश्वविद्यालय के व्यय

49. (1) धारा 48 के अधीन विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिये होने वाला व्यय स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से पूरा किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियां, विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिए पर्याप्त नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों अथवा आस्तियों के निस्तारण द्वारा की जा सकती है।

प्रवेश तथा शुल्क के लिए पारित विधि का लागू होना

50. निजी क्षेत्र में स्थापित संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश एवं शुल्क के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जो विधि पारित की जायेगी वह इस विश्वविद्यालय में भी लागू होगी।

कठिनाईयों का निराकरण

51. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचना या आदेश द्वारा, ऐसे प्राविधान कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के अधीन कोई अधिनियम या आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से 3 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है खण्ड–2 से खण्ड–51 तक खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि पतंजलि विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि पतंजलि विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन का बहिर्गमन करता हूँ।

(भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

*श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, जिस तरह से सरकार लोकतंत्र का गलाघोट कर अपना बिजनेस कर रही है, इसके विरोध में मैं अपने दल के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूँ।

(उत्तराखण्ड क्रान्ति दल ने सदन से बहिर्गमन किया)

वित्तीय वर्ष 2006–2007 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा

*डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, आपने वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया उसमें अगर हम दो बिन्दुओं पर ध्यान दें तो राज्य की प्रगति चार साल में हुई है वह अपने आप परिलक्षित हो जायेगा। राज्य की विकास की दर कहीं अधिक बढ़ी है।

मान्यवर, और इसके साथ साथ जो हमारी औद्योगिक विकास की दर है वह 20 प्रतिशत रही है। इससे पता चलता है कि राज्य प्रगति की राह पर चल रहा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राजस्व कर संग्रह में लगभग 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। खास तौर से वाणिज्य कर विभाग द्वारा 39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। वैट का कानून राज्य में लागू किया गया। बड़ी असमंजस की स्थिति थी लेकिन 39 प्रतिशत की इसमें वृद्धि दर्ज की गयी है। यह स्वागत योग्य है। इससे हमारे प्रदेश का काफी विकास होगा। मान्यवर, छात्रवृत्ति, विभिन्न पदों की पेंशन को दुगना करने का निर्णय सरकार ने किया है और हर पात्र को यह सुविधा दी जायेगी। इससे गरीब से गरीब व्यक्ति तक विकास की किरण उसके घर पहुँचेगी।

मान्यवर, मैं कुछ अपने सुझाव जरूर देना चाहूँगा। नगरीय विकास में जो वृद्धि नियोजन ने की, वह दुगने से ज्यादा है, यह स्वागत योग्य कदम है। हमारी 36 प्रतिशत आबादी नगरीय क्षेत्रों में रहती है। नगरीय क्षेत्रों के लिए राशि दुगनी कर दी गयी है। इससे शहरी क्षेत्रों में विकास होगा। किन्तु जो ग्रामीण अंचल है उसके लिए पिछले साल 200 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी थी और इस साल केवल 220 करोड़ रुपया ग्राम्य विकास के लिए इस बजट में रखा। यह वृद्धि केवल 15 प्रतिशत हुई। अगर हम किसी भी मद को उठाकर देखें स्वास्थ्य, पर्यटन, शहरी विकास, वन विभाग तो ग्राम्य विकास में केवल 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमारे पूरे उत्तरांचल की 60 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और गांव हमारे विकास से वंचित हैं। इसमें केवल 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैं मांग करता हूँ कि ग्राम्य विकास का बजट 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये होना चाहिए। मान्यवर, एक और परेशानी ग्रामीण अंचल में देखने को मिल रही है। राज्य वित्त आयोग या 12वें वित्त आयोग से पैसा मिल रहा है जिसे सी०सी० सड़क बनाने के लिए मान्य किया जा रहा है, इससे खड़ंजा नहीं लगाया जा सकता है।

मान्यवर, थोड़े पैसे से कितनी सी०सी० रोड बनायी जा सकती है, जबकि खड़ंजा पूरा लगाया जा सकता है। मान्यवर, इससे विसंगति पैदा हो रही है। विद्युत के क्षेत्र में सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किया है। उत्पादन के क्षेत्र में भी और वितरण के क्षेत्र में भी परन्तु जितना ज्यादा सुधारीकरण का कार्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हुआ उसके बावजूद नये लाईन मैन और मीटर रीडर के पद सृजित नहीं किये गये। एक प्रश्न के जवाब में मुझे बताया गया कि 66 लाईन मैन के पद रिक्त पड़े हुए हैं। आज जिस तरह से विस्तारीकरण हो रहा है मैं समझता हूँ कि और ज्यादा लाईन मैन और मीटर रीडर रखने की आवश्यकता है। ग्रामीण अंचल में बहुत बड़ी संख्या में बिना रीडिंग के बिल भेजे जा रहे हैं। इससे बहुत बड़ी विसंगति पैदा हो रही है।

मान्यवर, सरकार द्वारा गरीब लोगों के लिए जन श्री योजना चलाई जा रही है, लेकिन इसका लाभ उन्हीं को दिया जा रहा है जिनका नाम वर्ष 1997 के आर्थिक

रजिस्टर में है। मेरा सुझाव है इस योजना का पूर्ण लाभ हमारी गरीब जनता को तभी मिल सकता है जब कि इसका लाभ बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को मिलेगा। इस पर भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। श्रीमन्, इसके अतिरिक्त जो गरीबी रेखा के ऊपर निवास करने वाले लोग हैं उनके भी ए0पी0एल0 कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। यह कार्ड उनके आइडेंटिटी के काम आते हैं, लेकिन कई जगहों पर यह नहीं बन पा रहे हैं, ए0पी0एल0 कार्ड बनाने के लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

मान्यवर, वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार ने कई मदों में धन आवंटित किया है, हमारा प्रदेश वन्य जीव सम्पदा में काफी अग्रणी राज्य है तो हमारे यहा आवश्यकता है वन्य जीव अनुसंधान संस्थान बनाने की। आज हमारे पास कोई डाक्टर ऐसा नहीं है कि जब किसी जानवर को बेहोश करना हो तो उसे ट्रैंकुलाइजर देने की क्षमता रखने वाला डाक्टर हमारे पास नहीं है। आज हमारे प्रदेश में गिद्ध खत्म हो गये हैं, इसी प्रकार से वन्य जीवों को जो भी बीमारियां आदि होती हैं तो उनके इलाज के लिए इस संस्थान की आवश्यकता आज प्रदेश को है। क्यों न हम अपने प्रदेश को इस क्षेत्र में भी अग्रणी बनाने का प्रयास करें। दूसरी बात वृक्षारोपण नीति की है, अनेकों जगहों पर वृक्षारोपण किया गया है, यह अच्छी बात है।

*वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, वन्य जीवों के बारे में दिया गया माननीय सदस्य का सुझाव मान लिया गया है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, यहां पर लोक निर्माण मंत्री जी भी बैठी हैं, मैं आपके माध्यम से उन्हें अवगत कराना चाहता हूँ कि आज हमारे प्रदेश में सड़कें बन रही हैं, गांव–गांव में सड़कें बनी हैं, हजारों किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही हैं। यह खुशी की बात है लेकिन इसके साथ ही साथ उन सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना भी बहुत आवश्यक है। मान्यवर, जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो वहां पर हमने देखा कि सड़क बनने के साथ ही पीछे से वन विभाग भी आता था और वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। मान्यवर, यदि इस प्रकार से पेड़ लगाये जायेंगे तो सड़कों के किनारे होने वाले अतिक्रमण पर भी रोक लगेगी। उत्तर प्रदेश जो हमारा पूर्ववर्ती और निकटवर्ती राज्य है, यह नियम वहां पर आज भी लागू है। तो हमारे प्रदेश में यह लागू क्यों नहीं हो रहा है? क्या हमारे यहां इस नीति को वापस ले लिया गया है या इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? यह बहुत आवश्यक कार्य है सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, औद्योगिकीकरण हमारे प्रदेश में हो रहा है और खूब हो रहा है, जो हमारी 20 प्रतिशत की विकास दर आज आई है यह उसे ही प्रदर्शित कर रही है। आज यह उद्योग रोजाना लाखों लीटर भूमिगत जल का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन किसी ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ओर ध्यान नहीं दिया। चाहे हमारे सरकारी उद्योग हों या प्राइवेट उद्योग हों, हमें दोनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं री यूजेज ऑफ वाटर की व्यवस्था सभी उद्योगों में करनी चाहिए। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि इस तरह के सिस्टम किसी उद्योग में लगे हैं या नहीं, इस ओर उद्योग विभाग को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो हमारा तराई का क्षेत्र है जहां पर व्यापक पैमाने पर औद्योगिकीकरण हो रहा है, वह मरूस्थल में न बदल जाये। मान्यवर, हमारा प्रदेश कृषि विविधीकरण के क्षेत्र में भी अग्रणी स्थान रखता है। इसके अन्तर्गत हम इसी तराई क्षेत्र में बीजों और कृषि उत्पादों के उत्पादन करते हैं तो भूमिगत जल का संरक्षण इस क्षेत्र में किया जाना बहुत आवश्यक है।

मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग ने अभूतपूर्व कार्य किये हैं। कई डाक्टरों को यहां पर सेवा में रखा गया है और इन्वेस्टीगेशन की फैसेलिटी बनाई गई है। आज जनता को इसका लाभ मिल रहा है, आम जनता इलाज के लिए हमारे चिकित्सालयों में आ रही है, ओ0पी0डी0 में यह संख्या 2 से 3 गुनी बढ़ गई है, जो आगे और बढ़ेगी। दूर दराज के चिकित्सालयों में चिकित्सक भेजे गये हैं। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि जो हमारे डाक्टर रिमोट प्लेसेस में कार्य कर रहे हैं। उन्हें भी सेमिनार और वर्कशॉप एटेंड करने के लिए सरकार को बजट में प्राविधान करना चाहिए, जिससे वह लोग भी अपने आप को आधुनिक तकनीक से जोड़ सकें।

मान्यवर, हम अपने डाक्टरों को, जो रिमोट प्लेसेज में हैं, उनको आधुनिक प्रशिक्षण देंगे तो इससे हमें काफी लाभ मिलेगा। मैं आशा करता हूँ कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर भाषण देंगे तो उसमें इसको अवश्य सम्मिलित किया जाएगा। इसके लिए भी बजट का प्राविधान किया जाना आवश्यक है। इससे चिकित्सा जगत में सूचना की क्रान्ति आएगी और ज्यादा अच्छे डाक्टर हमारे यहां आएंगे। मान्यवर, शिक्षा के बारे में सदन में चर्चा होती रहती है। प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाईस्कूल और इण्टर कॉलेज सरकार ने खोले हैं और 15–20 हजार लोगों को इसमें रोजगार दिया। यह स्वागत योग्य कदम है। इसमें अभूतपूर्व क्रान्ति हुई है। लेकिन आज स्थिति क्या है? हम क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन तो पा चुके हैं। आज जसपुर में 98 प्रतिशत बच्चे शिक्षा ले रहे हैं लेकिन हम क्वालिटी में पीछे रह गये हैं। टीचर्स को और अधिक ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। डायट में जो लोग प्रशिक्षण देते हैं, वह खुद अप्रशिक्षित हैं। ये लोग स्टैण्डर्ड शिक्षा नहीं देते हैं। आज इनको प्रभावशाली तरीके से को–एजुकेट करने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि माननीय शिक्षा

मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे। इससे उत्तरांचल के नवयुवकों का भला होगा। जब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी तब तक हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है।

खनन नीति की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हमारे उत्तरांचल में रेत, बजरी निकल रही है लेकिन ज्यादातर खनन उत्तरांचल से बाहर चला जा रहा है। आज 4 हजार करोड़ रुपये योजना आयोग से मिले हैं, पिछले साल 2700 करोड़ रुपये मिले थे और विकास की राह पर उत्तरांचल चल रहा है, तो बजरी रेत और पत्थर की हमारे यहां जो आवश्यकता है, पहले उसको पूरा करना चाहिए। हमारे ही राज्य में पैदा होता है लेकिन हमारे यहां के लोगों को मैटीरियल नहीं मिलता है। इससे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि हम पैदा तो कर रहे हैं लेकिन हमको मिल नहीं रहा है। पी0डब्लू0डी0, आर0ई0एस0 और ब्लाक के वर्क्स सफर कर रहे हैं, उनको रेत नहीं मिल रही है इस पर मिल-जुलकर विचार करने की आवश्यकता है कि कितने प्रतिशत खनन उत्तरांचल में प्रयुक्त होगा और कितना प्रतिशत बाहर भेजा जाय। विभिन्न विभागों के माननीय मंत्रीगण यहां पर बैठे हुए हैं। पी0डब्लू0डी0, आर0ई0एस0 सबसे यह पूछा जा सकता है कि आपको कितनी आवश्यकता है। हर विभाग के लिए परसेंटेज रिजर्व किया जा सकता है।

मान्यवर, चीनी मिलों के बारे में कहना चाहता हूँ, टिश्यू कल्चर की बात सरकार ने कही है। टिश्यू कल्चर अपनाने से क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ेगी। हमारी जो सहकारी चीनी मिलें हैं, उनका आधुनिकीकरण हुआ है, लेकिन उनकी ओर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी प्राइवेट चीनी मिल को एक बोरी चीनी बनाने में 50 रुपये खर्च होते हैं तो हमारी सहकारी चीनी मिल को एक बोरी चीनी बनाने में 220 रुपये का खर्च आता है। ये चीनी मिलें रुग्ण अवस्था में पहुँच गयी हैं। इनको दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें साल-दो साल में नहीं बल्कि महीनों में काम करना है। इसको पिछली बार के बजट में भी रखा गया था और उससे पिछली बार के बजट में भी रखा गया था। लेकिन आज इनका कितना आधुनिकीकरण हुआ है, यह तो सरकार समझेगी। इसमें और अधिक सुधार करने की आवश्यकता है। इन चीनी मिलों में कई ऐसे कर्मचारी भी हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है।

मान्यवर, नादेही शुगर मिल में लगभग 75 से 100 व्यक्ति ऐसे हैं जो बिना किसी काम के दस हजार से पन्द्रह हजार तक वेतन ले रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वी0आर0एस0 स्कीम लाए। इससे जो वहाँ पर अतिरिक्त कर्मी हैं, उनको एक अच्छा पैकेज मिले और जो अनावश्यक रूप से अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है वह नियंत्रित हो। मान्यवर, हमारे यहाँ 6 चीनी मिलों में अलग-अलग समय पर शीरा उत्पादित होता है। उसके दाम कभी कम और कभी ठीक मिल जाते हैं। इसमें

नीति ही ऐसी है जिससे काफी नुकसान होता है। 6 मिलों के शीरे से यदि गैस होल बनता और उसे पेट्रोलियम विभाग को देते तो इससे चीनी मिलें आर्थिक रूप से सुदृढ़ होती। मान्यवर, सिंचाई के बारे में कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में काफी अच्छा काम हुआ है खास तौर से कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट के अन्तर्गत काफी कार्य हुए हैं। मेरे क्षेत्र में भी 13 किमी0 की गूल बनी जिससे वहाँ के काश्तकारों और आम लोगों को पानी की हो रही परेशानी से थोड़ी बहुत निजात अवश्य मिली है। हमारे यहाँ तुमड़िया जलाशय सिंचाई का एक मात्र साधन है। इसके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है तथा उसकी कैपिसिटी बढ़ाने की आवश्यकता है, इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, मेरे विधान सभा जसपुर में क्षेत्र के लोगों द्वारा बहुत समय से स्टेडियम की माँग की जा रही है। इस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से कोई बात नहीं की गई। सरकार को वहाँ पर एक स्टेडियम बनाने के बारे में सोचना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा में बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, बजट भाषण के पृष्ठ-93 में उत्तरांचल के समग्र विकास के लिए जो विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया गया है और जो बजट है वह कर रहित है। इससे उत्तरांचल राज्य का चहुंमुखी विकास होगा। विशेष रूप से उत्तरांचल के मुखिया पण्डित नारायण दत्त तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। गरीब परिवार जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं और हमारी वृद्ध महिलाओं, विकलांगों के लिए पेंशन में वृद्धि करके जहाँ उन्हें आर्थिक रूप से सहारा प्रदान किया है और उन्हें रोजगार देने का भी निर्णय लिया है। वहीं छोटे-छोटे गरीब परिवारों के लिए कुटीर ज्योति के माध्यम से विद्युत देने का बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और सरकार का लक्ष्य है कि सुदूर क्षेत्रों में विद्युत पहुंचाई जाए, यह बहुत ही अभूतपूर्व निर्णय है। मान्यवर, आज पूरे उत्तरांचल में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य हुए हैं।

मान्यवर, उत्तरांचल की स्वास्थ्य व्यवस्था अपने आप में एक पहचान बन गयी है। मान्यवर, केन्द्र सरकार की "भारत निर्माण" योजना के आधार पर महत्वाकांक्षी लक्ष्य सन् 2009 तक निर्धारण के अधीन सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए0आई0बी0पी0), त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ए0आर0डब्ल्यू0एस0पी0), ग्रामीण सड़क कार्यक्रम ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाएं चलायी जा रही हैं। मान्यवर, इसके साथ-साथ हमारी सरकार द्वारा आठ अग्रगामी (फ्लैगशिप) कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं, जिनमें सर्वशिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन योजना, राजीव गांधी पेयजल मिशन,

सम्पूर्ण सफाई अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय ग्रामीण नवीकरण मिशन हैं, को हमारी सरकार ने भी लागू किया है, जो कि सरकार का प्रशंसनीय कदम है। इससे ग्रामीण क्षेत्र का बहुमुखी विकास होगा। मान्यवर, उत्तरांचल जैसे नवोदित राज्य के महत्वपूर्ण योजना स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के तहत उसके बजट में 133 प्रतिशत की वृद्धि की हैं, जिससे अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों का बहुमुखी विकास होगा। यही नहीं इसके साथ ही सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के सभी विद्यार्थियों को दी जा रही छात्रवृति को दुगनी करने का संकल्प भी सराहनीय है। मान्यवर, बेरोजगारों की स्थिति को सुधारने के लिये केन्द्रीय राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम प्रदेश के तीन जनपदों में लागू किया गया था और इस वर्ष इस कार्यक्रम को प्रदेश के 06 जनपदों में लागू करने का प्रयास किया है, जो कि प्रशंसनीय है।

मान्यवर, हमारी सरकार ने राजकीय व परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 तक निःशुल्क किताबें उपलब्ध करायी हैं साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में भोजन उपलब्ध कराया है। इसके साथ गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की छात्रा जिसने कक्षा 08 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, नवीं कक्षा में प्रवेश करने पर 3000 रु0 उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। मान्यवर, हमारी सरकार ने वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन में भी बढ़ोत्तरी कर उनको सहारा देने का प्रयास किया है। मान्यवर, यही नहीं पूरे उत्तरांचल में विद्यालयों का उच्चीकरण किया है, नये विद्यालय खोले हैं। नये विद्यालय खोलने की स्वीकृतियां दी हैं। मान्यवर, चाहे वह प्राइमरी विद्यालय हो या उच्च शिक्षा विद्यालय हो। हमारी सरकार ने छात्र-छात्राओं को नजदीकी क्षेत्र में ही शिक्षा सुलभ कराने का प्रयास किया है। इस क्षेत्र में हमारी सरकार ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसके लिए माननीय मंत्री जी को बधाई है। मान्यवर, हमारी सरकार ने उद्योग के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किये हैं। मान्यवर, सितारगंज, ऊधमसिंह नगर में सिडकुल के माध्यम से छोटे-बड़े कई उद्योगों की स्थापना की है, निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका लाभ उत्तरांचल की जनता को मिलेगा। मान्यवर, शासन की यह नीति भी है कि हमारी औद्योगिक नीति के अनुरूप तकनीकी शिक्षा पर भी जोर दिया है। इससे हमारे प्रदेश के नवयुवकों को इस क्षेत्र में अधिकाधिक लाभ मिलेगा, बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार मिलेगा। मान्यवर, हमारी सरकार को चार साल हो गये हैं, इन चार सालों में केवल ढाई-तीन साल काम करने का अवसर मिला, क्योंकि बाकी समय में चुनाव हुए हैं। मान्यवर, जो 4000 करोड़ रु0 वार्षिक योजना में पंडित नारायण दत्त तिवारी के अथक प्रयास से हमें मिला है, इससे प्रदेश के विकास की गति तेज होगी और प्रदेश की आम जनता को इसका लाभ मिलेगा।

मान्यवर, आज उत्तरांचल की सड़कों को देखते हुए अन्य प्रदेशों से जो लोग यहाँ पर आते हैं, वह भी इनकी प्रशंसा करते हैं। उत्तरांचल की विद्युत व्यवस्था को देखते हुए लोग कहते हैं आप तो प्रगतिशील राज्य के निवासी हैं। आज उत्तरांचल में हर क्षेत्र में प्रगति हो रही है, यह आम जनता की मंशा है। मान्यवर, मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का विस्तार हुआ है, पर्वतीय क्षेत्रों में इनका विस्तार मैदानी क्षेत्र की तुलना में कुछ कम हुआ है। क्योंकि इन क्षेत्रों में कुछ कठिनाइयां भी हैं, इसका उल्लेख महामहिम के अभिभाषण में भी किया गया है।

मान्यवर, कुछ कठिनाई रही सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा में एन0पी0वी0 जमा करने में कठिनाई रही, उसमें भी शासन ने सुधार किया, इसके लिए भी माननीय लोक निर्माण मंत्री धन्यवाद की पात्र हैं। मान्यवर, दूध विकास के क्षेत्र में स्वरोजगार की सम्भावना है, उसके लिए भी बजट में प्राविधान किया है। माननीय नेता सदन ने स्वयं कहा है कि इसमें और बजट दिया जाए ताकि उत्तरांचल में भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप अधिक उत्पादन कर सकें। मान्यवर, यहाँ के पर्वतीय क्षेत्र भांवरी क्षेत्र और तराई क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक निर्णय है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मान्यवर, आज ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात हो रही है उसमें महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया था, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मान्यवर, 450 करोड़ की ग्राम्या पी0 विश्व बैंक की पोषित योजना जो हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने तैयार की उसका लाभ उत्तरांचल के जनपदों में मिल रहा है। मैंने देखा कि वहाँ इस योजना का लाभ मिला। वहाँ विभागों के माध्यम से लाभ मिलेगा और सभी ग्राम सभाओं को कम से कम 20 लाख और अधिक से अधिक 75 लाख खाते में दिया जायेगा और साथ ही साथ एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। मान्यवर, मेरी विधान सभा में भी रोजगार मिला है तो पूरे उत्तरांचल में हजारों–हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। मान्यवर, सिंचाई के क्षेत्र में निश्चित रूप से काम हुआ है, आज तराई और भांवर क्षेत्रों में सिंचाई का काम हो रहा है वह चाहे कृषि क्षेत्र में धान की फसल हो, चाहे गेहूँ की फसल हो, चाहे गन्ना की फसल हो।

मान्यवर, अभी हमारे माननीय सिंघल जी ने कहा कि जिस कल्चर के माध्यम से हम आज प्रजाति पैदा करना चाहते हैं उससे ज्यादा फसल होगी। मान्यवर, हमारे प्रदेश में 10 से भी ज्यादा चीनी मिलें हैं और उन चीनी मिलों को अच्छी प्रजाति का गन्ना देंगे और गन्ना मूल्य भुगतान में भी किसी प्रकार की दिक्कत किसानों को नहीं आई है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मान्यवर, किसानों की विभिन्न समस्यायें चाहे सिंचाई में हो, चाहे पेयजल में हो, चाहे गेहूँ खरीद हो, चाहे धान खरीद हो, चाहे गन्ना खरीद हो उसमें सरकार ने किसानों के

हित को देखते हुए ऐतिहासिक निर्णय दिये हैं। मान्यवर, पेयजल के बारे में आज सरकार के निर्णय से अनेकों-अनेक इण्डिया हैण्डपम्प लगाये। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई है, वहीं तराई क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था की है, यह सराहनीय कदम है। मान्यवर, विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि पर्यटन के क्षेत्र में बहुत करने की आवश्यकता है। मान्यवर, पर्वतीय दृष्टिकोण से नये आयाम जोड़े जा सकते हैं। मान्यवर, पर्यटन में और अधिक काम की आवश्यकता है जिससे कि बाहर के लोगों को पर्यटन क्षेत्र पसन्द आये। मान्यवर, ज्यादा से ज्यादा पर्यटन को चिन्हित करें। जिससे पर्यटक वहाँ जायें और इससे उत्तरांचल शासन को आर्थिक लाभ मिले। साथ-साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पर्यटन की दृष्टि से उत्तरांचल का नाम आज भारत के नक्शे में है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम में उत्तरांचल का नाम भारत के नक्शे में है।

मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय वन मंत्री जी को उनका ऐतिहासिक निर्णय उनकी एक सोच, उनका एक विचार, हमारे जो हजारों-हजार लोग हमारे खत्तों में रहते हैं चाहे बिन्दु खत्ता, बौड खत्ता, खगारी-डौली, सायंकठानी, हुरई सहित कई खत्ते हैं और कई छोटी बस्तियाँ हैं, जहाँ सरकार इनके समग्र विकास के लिए प्रयत्नशील है। हमारे नेता सदन प्रयत्नशील हैं इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मान्यवर, पर्वतीय अंचल के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि सड़कों का जो जाल बिछाया जा रहा है पर्वतीय सड़कों की अलग पहचान बनायें, यहाँ की अलग तरह की सड़कें हों। मेरा सुझाव के साथ निवेदन है कि इसके लिए विशेष जानकारी वाली टीम बनाकर जिनके पास विशाल अनुभव है उनका ज्ञान प्राप्त करके हमारा प्रदेश पर्यटन सड़कों के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकता है। विधायक होने के नाते मेरा निवेदन है कि विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में जहाँ स्वरोजगार की अपार सम्भावनायें हैं, पर्वतीय क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, भांवर क्षेत्र में जो दुग्ध विकास संगठन की स्थापना हुई है, उनके विकास करने की आवश्यकता है। पर्वतीय क्षेत्र में चारे की दिक्कत है वहाँ पर चारा पहुँचाने की आवश्यकता है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार के सफल प्रयासों से जहाँ हमारे उत्तरांचल में एक नई सम्भावनायें विकास की जुड़ी हैं वहीं हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जो लक्ष्य हमारी उत्तरांचल की जनता ने हमारे सामने रखा, उन लोगों ने उत्तरांचल के निर्माण में बलिदान किया है उनकी भावनाओं के अनुरूप जो लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है इसमें हम सबका अभूतपूर्व योगदान होना चाहिए। मैं अध्यक्ष जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने मुझे वर्ष 2006-07 के बजट अनुमानों पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा उस पर बोलने का अवसर

दिया और विशेष रूप से मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह से प्रगति हो रही है, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी के कार्यों का भी उल्लेख करना चाहूँगा कि निश्चित रूप से जहाँ एक ओर कई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और मेडिकल कॉलेज खुले हैं वहीं दुरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सकों की तैनाती की है, फार्मासिस्टों की तैनाती की। एक निर्णय आपने लिया शासन ने लिया है कि प्रत्येक विकास खण्ड में एक स्वास्थ्य केन्द्र खुलेगा।

मान्यवर, मैं माननीय गन्ना मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं माननीय साधूराम जी को साधुवाद देना चाहता हूँ। आपने गन्ने के क्षेत्र में बहुत से काम किये हैं। गन्ना मूल्य भुगतान के क्षेत्र में आपने काफी काम किया है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मान्यवर, मैं माननीय खेल मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। खेल जगत में युवाओं को आगे बढाने के लिए कई स्टेडियम, मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा की गयी है। मेरा निवेदन है कि धारी विधान सभा क्षेत्र में भी एक स्टेडियम बना दिया जाये। मैं माननीय कृषि मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हार्टिकल्चर का हमारे उत्तरांचल में बहुत महत्व है। मान्यवर, हमारे यहाँ बहुत सी वैराइटियाँ विलुप्त हो रही हैं। मेरा निवेदन है कि इनकी भरपाई के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता है। मैं ऊर्जा मंत्री माननीय श्रीमती अमृता रावत जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं। तोकों तक बिजली पहुँचाई गयी है, मनेरी भाली परियोजना में भी विद्युत उत्पादन प्रारम्भ होने वाला है। इससे विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को अनेकों बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रत्येक विद्यालय को कम्प्यूटर देकर शिक्षा जगत में क्रान्ति लायी गयी है। आज इण्टरनेट का जमाना है।

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ आपने बहुत समय दिया इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। उत्तरांचल की सड़कें, उत्तरांचल की बिजली, उत्तरांचल का पर्यटन, उत्तरांचल की कृषि, उत्तरांचल की शिक्षा, उत्तरांचल का बहुँमुखी विकास का जो दर्पण 94 पृष्ठों में माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने रखा है, मैं इसके लिए उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।

श्री जोत सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ।

मान्यवर, सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज 2006-07 के आय-व्ययक के रूप में इस सदन के सम्मुख लाया गया है। जिसमें प्रत्येक मदवार लगभग 20 से

लेकर 50 प्रतिशत की गत वर्ष के आय–व्ययक में वृद्धि की गई है, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। मान्यवर, सदैव इस प्रकार का आय–व्ययक यहां पर सरकार द्वारा रखा गया और यह प्रयास किया गया कि जो हमारी 4 योजनायें हैं, उन योजनाओं के बारे में और विकास किया जायेगा तथा आने वाले समय में नई योजनाओं को भी सम्मिलित करने का प्रयास हमारी सरकार करेगी, यह मेरी आशा और विश्वास है। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपनी सरकार को इस बजट के लिए जिसमें माननीय खेलमंत्री जी द्वारा युवाओं को प्रोत्साहन दिया गया है जिससे वह राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर में प्रतिभाग कर सकेंगे, इसकी व्यवस्था की गई है और यह भी कहा है कि तमाम स्टेडियमों के निर्माण में कुछ निर्मित हैं और कुछ निमार्णाधीन हैं। इसके अलावा कुछ आने वाले समय में भी निर्मित किये जायेंगे। यह स्वागत योग्य तो है ही, लेकिन माननीय खेल मंत्री जी से मैं एक अनुरोध भी करना चाहूँगा कि देहरादून शहर में परेड ग्राउण्ड जिसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम के रूप में बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और आप सब लोगों ने शिलान्यास किया था। उसे समय पर पूरा किया जाना चाहिए।

वर्ष 2010 में हमारे देश में कामन वेल्थ गेम्स होने वाले हैं, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजित किये जायेंगे। तो कम से कम यह स्टेडियम जल्दी तैयार हो जाये तो हमारे उत्तरांचल की भी खेल प्रतिभायें इसके द्वारा निखर कर उन कामन वेल्थ खेलों में प्रतिभाग कर सकें और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तरांचल का नाम रोशन कर सकें। ऐसी आशा मैं माननीय खेल मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से करता हूँ। साथ ही एक बड़ा ही स्वागत योग्य कदम है कि जहाँ एक ओर हमारी सरकार ने माननीय ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों, जिला पंचायत अध्यक्षों को और सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों इन सब को मानदेय दिये जाने की व्यवस्था बजट में की है। जो कि स्वागत योग्य कदम है। मैं समझता हूँ कि यह लोकतान्त्रिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसकी सराहना सर्वत्र की जा रही है लेकिन मैं अपनी सरकार से ही इसी के सापेक्ष एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो हमारी नगर पालिका परिषद् और नगर पंचायतें हैं, जो उनके माननीय चेयरमैन तथा माननीय सभासदगण हैं, उनके लिए भी मानदेय की व्यवस्था होनी चाहिए। जनता के बीच से वह लोग भी चुनकर आ रहे हैं, मैं आग्रह करूँगा कि नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों के सम्मानित अध्यक्षों और सम्मानित सदस्यों को भी मानदेय देने की व्यवस्था सरकार इस बजट के माध्यम से करे। यह मेरा विनम्र आग्रह है।

मान्यवर, किसी प्रदेश के सर्वांगीण विकास में पेयजल एक महत्वपूर्ण अंग है। चाहे वह शहरी क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, पुरानी पेयजल योजनाओं के नवीनीकरण और पुनर्गठन को तथा नयी योजनाओं को भी इस बजट में सम्मिलित

किया गया है। इसके लिए पहले 450 करोड़ रुपये, फिर 62 करोड़ रुपया और फिर 118 करोड़ रुपये की व्यवस्था तमाम साधनों के लिए की गयी है। जिसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन मान्यवर, मैं एक छोटा सा अनुरोध माननीय पेयजल मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूँ। मसूरी में हार्डीफार्म पेयजल योजना जो कि पूर्व में भारत सरकार को प्रेषित की गयी थी, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा उसका परीक्षण कराकर उसको वापस प्रदेश में भेज दिया गया है। यह बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, इससे मसूरी में आने वाले पर्यटकों को काफी सुविधा होगी। इससे 4 एम०एल०डी० पानी अतिरिक्त मिल जाएगा। इसका रिवाइज्ड इस्टीमेट 8 करोड़ रुपये का है। मैं चाहूँगा कि इसको भी इस बजट में सम्मिलित करने का कष्ट करें। मान्यवर, आज चाहे हरिद्वार हो, चाहे ऊधमसिंह नगर हो, चाहे सेलाकुई हो, चाहे देहरादून हो, चाहे कोटद्वार हो, चाहे चम्पावत हो, चाहे खटीमा हो, सब जगह औद्योगिक आस्थान बन रहे हैं। हमारे यहाँ नयी औद्योगिक नीति अपनाई गयी और विभिन्न औद्योगिक आस्थान यहाँ पर आए। ये लोग इस प्रदेश के चौमुखी विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। इसके लिए माननीय नारायण दत्त तिवारी जी और उनके अन्य सहयोगियों को बधाई देना चाहता हूँ। यह क्रान्तिकारी कदम है, जिससे यह औद्योगिक आस्थान यहाँ पर आ रहे हैं। इन औद्योगिक आस्थानों के बारे में हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया है, वह स्वागत योग्य है।

सरकार ने कहा है कि इन आस्थानों में 70 प्रतिशत स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने की व्यवस्था होगी। यह सराहनीय कदम है। सर्वत्र इसका स्वागत किया गया। मेरा अनुरोध है कि इन 70 प्रतिशत बेरोजगारों को रोजगार देने की प्रक्रिया को सरकार अपने नियंत्रण में पुख्ता तरीके से करे। हमारी सरकार ने कहा है कि डेढ़ लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और 3 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, यह स्वागत योग्य है। इसको सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार का है। मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि इसका पालन कड़ाई से हो। मान्यवर, सरकार ने प्रत्येक विकास खण्ड में एक आई०टी०आई० की स्थापना करने का निर्णय लिया है। यह बहुत बड़ा स्वागत योग्य कदम है। हम अपनी सरकार से अपेक्षा करते हैं कि इन आई०टी०आई० में वर्तमान परिदृश्य में रहते हुए पुराने ट्रेडों के साथ नये ट्रेडों को जोड़ने की भी आवश्यकता है।

मान्यवर, नये ट्रेडों के साथ पुराने ट्रेडों के जोड़ने की आवश्यकता है जिसका परीक्षण आज के औद्यानिक अवस्थापना से जोड़कर किया जाना चाहिए। वर्तमान परिवेश के हिसाब से इसमें ट्रेड सम्मिलित किये जाने चाहिए। मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा जहाँ एक ओर नगरीय क्षेत्रों और स्वायत्तशासी क्षेत्रों की ओर, शायद इससे पूर्व किसी भी समय में नगर विकास के लिए, नगरीय क्षेत्रों के सार्वभौमिक विकास के लिए इतना बड़ा बजट जो 500 करोड़ का है, पहली बार दिया

गया। हमारी सरकार ने नगरीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए 500 करोड़ की व्यवस्था की है। जो कि बहुत ही स्वागत योग्य कदम है किन्तु मेरा एक और आग्रह है कि उसकी मॉनटरिंग भी होनी चाहिए। मान्यवर, परिवहन के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। आज पूरे देश में अच्छे परिवहन की सुविधा जनता को मुहैया कराने की वजह से एक अलग पहचान हमारी बनी है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय परिवहन मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। आज हमारे यहाँ वाल्वों, हाईटैक बसों, साधारण किराये की बसों और छोटी बसों के द्वारा जनता को बहुत ही अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और उत्तरांचल को देश के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जोड़ने का काम किया जा रहा है। परिवहन विभाग को और अधिक सुदृढ़ और आर्थिक रूप से मजबूत करने और यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है, जो कि स्वागत योग्य कदम है। किन्तु आज भी ऐसे बहुत से दुर्गम और अतिदुर्गम क्षेत्र हैं जिन्हें परिवहन की सुविधा से जोड़ा जाना शेष है। मान्यवर, पर्यटन के क्षेत्र में भी ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। माननीय पर्यटन मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं उन्हें धन्यवाद दूँगा।

मान्यवर, पर्यटन की दृष्टि से देहरादून, मसूरी, धनौल्टी, टिहरी और श्रीनगर को पर्यटन ग्रिड के रूप में जोड़ा जाए। इसके लिए एक योजना बनाई जाए। इससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। विश्वस्तरीय अवस्थापना सुविधाओं को सृजित करने की दृष्टि से तैयार किये गए विभिन्न मास्टर प्लान प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। सरकार द्वारा इस बजट के माध्यम से चाहे चार धाम क्षेत्र हों, चाहे नैनीताल का क्षेत्र हो या फिर अल्मोड़ा, रानीखेत और हल्द्वानी का क्षेत्र हो, नये पर्यटन परिपथों से सम्बन्धित मास्टर प्लान भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित किये जा रहे हैं। मान्यवर, इस राज्य के बेरोजगार नवयुवकों को पर्यटन से रोजगार मिलने की अपार संभावनाएं हैं। वे आत्म निर्भर बन सकते हैं और पर्यटन को और अधिक विकसित करने के लिए इस बजट में काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं।

मान्यवर, जैसी व्यवस्था इस बजट में की गयी है कि पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए यातायात मार्गों का विस्तारीकरण किया जायेगा। मान्यवर, यह तो अच्छी बात है, लेकिन मैं एक और यातायात मार्ग की बात कर रहा हूँ जिसे रज्जू मार्ग कहते हैं। चाहे यह मार्ग राजपुर से मसूरी का हो, चाहे कद्दूखाल से सुरकण्डा का हो, चाहे रामबाड़ा से केदारनाथ का हो या प्रदेश के अन्य जगहों के ऐसे मार्ग हों। इनका विस्तार होना चाहिए, जैसा कि माननीय मंत्री जी द्वारा इसका निर्णय पूर्व में लिया गया था।

मान्यवर, मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार इन मार्गों के विस्तारीकरण हेतु इस बजट में कोई व्यवस्था करेगी। मान्यवर, हमारी

सरकार द्वारा जौलीग्रांट, पंतनगर में हवाई पट्टी का विस्तारीकरण किया गया। इनके विस्तारीकरण से प्रदेश में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक आयेंगे, इससे प्रदेश को राजस्व की प्राप्ति होगी। मान्यवर, इसके साथ ही साथ हमारी सरकार ने चिन्यालीसौड और नैनी-सैनी, गौचर हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का निर्णय लिया था, इनका विस्तारीकरण होना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि जो तीर्थ यात्री चार धाम की यात्रा पर आते हैं, यदि इन हवाई अड्डों का विस्तारीकरण हो जाता है तो यहाँ पर यात्री ज्यादा संख्या में आयेंगे, इससे इनके समय में काफी बचत होगी। मान्यवर, गौचर हवाई अड्डा बनने से हेमकुण्ड साहिब और बद्रीनाथ-केदारनाथ धाम की यात्रा पर ज्यादा यात्री आयेंगे। इससे प्रदेश को राजस्व की प्राप्ति होगी और स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा। मान्यवर, साहसिक पर्यटन के बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने गंगा नदी, शारदा, सरयू नदी और अन्य नदियों पर रिवर राफ्टिंग के लाइसेंस दिये हैं, जोकि एक स्वागत योग्य कदम है। मान्यवर, मसूरी से लगे पड़ोसी क्षेत्र में यमुना नदी नैनबाग से जमुनापुल जो 12 किलो मीटर की दूरी पर है, मैं चाहता हूँ इस पर भी रिवर राफ्टिंग का लाइसेंस दिया जाय, यदि यह लाइसेंस मिल जाता है, तो इससे स्थानीय बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार मिलेगा।

मान्यवर, स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहता हूँ इस क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है, और इस सम्बन्ध में तमाम सुविधाओं को इस बजट में सम्मिलित किया गया है। मान्यवर, कहीं पर जिला स्तर पर अस्पताल खोलने और कहीं पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की बात कही गयी है। मान्यवर, श्रीनगर के बेस अस्पताल, श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर के मेडिकल कॉलेज और हिमालयन इंस्टीट्यूट जौलीग्रांट, महंत इन्दयेश अस्पताल से लेकर तमाम मेडिकल कॉलेजों को इस बजट में पुख्ता तरीके से रखा गया है। मान्यवर, उन पर धन की व्यवस्था की गई है, मैं इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, मसूरी एक पर्यटक नगर है यहाँ पर सेंट मैरी हास्पिटल है जो बहुत पुराना हास्पिटल के नाम से जाना जाता है। जहाँ एक ओर सरकार ने डॉक्टरों की व्यवस्था की है, वहीं पर कुछ अस्पताल के भवनों को पुनर्निर्माण की व्यवस्था व उपकरणों की आवश्यकता हो रही है क्योंकि मसूरी पर्यटकों का केन्द्र है और समय-समय पर पर्यटकों को उस अस्पताल में सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है, तो मैं चाहता हूँ कि अस्पतालों का उच्चीकरण करते हुए उसकी व्यवस्था इस बजट में सम्मिलित करें। मान्यवर, शायद जिस दिन हम लोग चुनकर आये थे तो एक कल्पना थी, कुछ लोग हम को कहते भी थे कि आप लोग नई विधान सभा में चुनकर जा रहे हैं तो आप लोग कर्मचारियों और अधिकारियों को तनख्वाह भी शायद न दे पायें, लेकिन 4 वर्ष के इस कार्यकाल में साबित कर दिया और माननीय पं0 नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में तनख्वाह तो क्या विकास

की भी कोई योजना रोकी नहीं गई, हो सकता है कि कोई योजना फलीभूत न हो सकी हो।

मान्यवर, आई0टी0 के क्षेत्र में 40 करोड़ की व्यवस्था इस बजट के अन्तर्गत की गई है, जो कि सहस्त्रधारा रोड़ में आई0टी0 हब और अन्य जगह पर बनने की है। जिस दिन यह आई0टी0 हब बन जायेंगे तो उस दिन नौजवानों को रोजगार देने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और हमारी आर्थिक सम्पदा को राष्ट्र में पहुँच दिलाने का महत्वपूर्ण कदम होगा। मान्यवर, इन सब के लिए आवश्यकता होती है इन्फ्रास्ट्रक्चर की और इसमें सड़क, ऊर्जा प्रमुख है। मान्यवर, मैं समझता हूँ कि सड़कों का यह जाल पिछले 2 वर्षों में आकार लेने लगा है और इसके बाद इस राज्य की जनता स्वयं कह रही है कि माननीय तिवारी जी के नेतृत्व में इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने की क्षमता है, जो सब के सामने है। मान्यवर, कई हजार किलोमीटर की सड़क चाहे डामरीकरण की हो, चाहे सुधारीकरण की हो या नई सड़कों का जाल इस राज्य की सीमाओं के अन्दर फैला है और मैं माननीय तिवारी जी को, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को, माननीय ग्राम विकास मंत्री जी को और तमाम लोगों को उसके लिए धन्यवाद करता हूँ और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि इन योजनाओं को समयबद्ध पूरा होना तो नितान्त आवश्यक है अन्यथा यह तमाम योजनायें जो स्वीकृत हुई हैं वह अपना आकार नहीं ले पायेंगी और आकार नहीं हुआ तो वैरिएशन होने के बाद शायद हम और आप इसके लिए जनता के सामने जवाबदार हो जायेंगे, तो मैं सरकार से अपेक्षा करता हूँ और सुझाव भी देता हूँ कि जो भी योजनायें हैं, जो भी सड़कें हैं, जो पेयजल की योजनायें हैं, जो पानी से लेकर बिजली और अन्य योजनायें हैं उनको समय से पूरा होना चाहिए तभी इस राज्य की अलग कार्य संस्कृति परिलक्षित होगी। माननीय अध्यक्ष जी, जिन तमाम लोगों ने इस राज्य के लिए शहादत दी वे सदा इस बात को सोचते थे और नियोजन की परिकल्पना करते थे कि हमारा राज्य होगा हम स्वयं इसका नियोजन करेंगे। मान्यवर, राज्य सरकार के निर्णय लेने से ही यह पुख्ता हो सकता है, मैं समझता हूँ कि कई हजार रुपये बजट के घाटे को कम कर सकते हैं, समय से योजना पूरी हो जाय, समय पर बजट यूटिलाइज हो जाय।

मान्यवर, जिला योजना समय पर स्वरूप नहीं ले पा रही है, यह कार्यसंस्कृति बदलनी होगी, हम सब लोग नये राज्य की कार्यसंस्कृति की जवाबदेही के साथ इस नये राज्य के लिए कार्य करें। मान्यवर, कार्य करने के लिए मैं समझता हूँ कि पर्वतीय परिवेश का जो यह राज्य है यह राज्य अपने में, तिवारी जी के नेतृत्व में पूरे भारत वर्ष में आने वाले 5–7 साल में रियल मॉडल स्टेट बन सकता है। यहाँ पर इतनी प्राकृतिक सम्पदायें हैं जिनका नियोजन वैज्ञानिक तरीके से हो, चाहे वह वन सम्पदा हो चाहे खनिज सम्पदा हो जो यहाँ से बह कर बंगाल की खाड़ी तक जा रही है।

इससे राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। यह एक ऐसा सुझाव है जिस पर सरकार को भी और हम सबको मनन करना चाहिए।

मान्यवर, यह पर्यटन नगरी है स्वाभाविक है कि पर्यटक आयेगा, एक तीर्थाटन है जिसका अपना एक अलग आवागमन होता है उसका उद्देश्य अलग होता है, वह तीर्थाटन करके स्वयं उसके नजदीकी दृश्यों को देखते हुए वापस चला जाता है, दूसरा पर्यटक जो एक सप्ताह 10 दिन 15 दिन के लिए प्रवेश करता है किसी एक शहर किसी एक क्षेत्र में रहकर उसके चारों तरफ दृश्यावलोकन का लाभ लेता है। पर्यटन के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ कि पर्यटकों के लिए बहुत बेहतर देशी और विदेशी मदिरा का यहाँ पर एक उल्लेख किया है। यह नहीं कि उसका हर कोई सेवन करे। मान्यवर, इसमें पर्यटक पैसा देने में भी कोताही नहीं करता है।

मान्यवर, देशी, विदेशी मदिरा की उपलब्धता होनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि जब हमारे यहाँ देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं तो उनको वे तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए। मान्यवर, मैं समझता हूँ कि पर्यटन को हर्बल से जोड़ दिया जाये। हर्बल मसाज बहुत बड़ी मेडीक्योर है और उत्तरांचल जड़ी–बूटियों का केन्द्र है तो इसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। इससे देशी और विदेशी पर्यटक आकर्षित होंगे। इसके लिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। यदि सरकार इसके प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी तो इससे हमारे युवाओं को रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री जोत सिंह–

मान्यवर, यह महत्वाकांक्षी बजट है और मैं समझता हूँ कि इसके बाद शायद ही कहीं पर इस बजट के विरोध की आवश्यकता महसूस होगी। इसके लिए मैं अपनी सरकार से यह अपेक्षा करूँगा कि इस बजट का सदुपयोग अवश्य हो और एक सुझाव है कि जो लोग अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने पद के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, उनको हमारे राज्य की सरकार प्रोत्साहित करे, उनको अवार्ड दे और जो लोग अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे हैं, उनको अवश्य पनिश्मेन्ट दे। तभी यह राज्य सबसे ऊपर होगा और रियल मॉडल स्टेट के रूप में जाना जायेगा। मैं अपनी सरकार को इस बजट के लिए बधाई देता हूँ और आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया।

*श्री शूरवीर सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अथक प्रयासों से इस देश का निर्माण हुआ है। पूज्य बापू महात्मा गाँधी जी का सपना था कि देश में सुराज्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो, उसको साकार करने के लिए पं0 जवाहर लाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के विकास की नींव डाली। "जय जवान, जय किसान" का नारा देकर शास्त्री जी ने इस देश को आगे बढ़ाया। इन्दिरा जी ने देश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनेकों, करोड़ों लोगों के लिए विकास योजनाएं बनायीं, जो आज तक लागू हैं और राजीव जी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। पूज्य बापू का जो सपना था कि इस देश में पंचायतों को सीधा लाभ हो, उसके लाभ के लिए उन्होंने 73वाँ और 74वाँ संशोधन करके इस देश की पंचायतों को मजबूत बनाया, सुदृढ़ बनाया। और हमारी सरकार ने 14 विभागों का कार्यभार पंचायतों को दिया है और 29 विभाग को और पंचायतों को देने वाले हैं। जब पंचायतों को कार्य करने का अनुभव हो जायेगा तो इन विभागों के अधिकार भी पंचायतों को दे दिये जायेंगे। यह सही है कि आज जो लोग उन विभागों पर कुंडली मार कर बैठे हैं और पंचायतों को इन विभागों के अधिकार नहीं देना चाहते हैं, इस ओर हमारी सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए।

श्रीमती सोनिया गाँधी जी जब हिमाचल प्रदेश में आई थी और उन्होंने वहाँ पर भी इस बात पर बल दिया था और पिछली बार लोक सभा में भी इस बात पर बल दिया था कि पंचायतों को पूरा अधिकार मिलना चाहिए। इस प्रदेश का निर्माण भी ठीक उसी तरह हुआ है। इस प्रदेश के वासियों ने चाहे वह इस प्रदेश में रहते हों या अन्य प्रदेशों में रहते हों या फिर विदेशों में रहते हों, उन्होंने इस प्रदेश के निर्माण के लिए जेहाद छेड़ दिया था, आन्दोलन किया, जेलों की यात्रायें की और लाठियां भी झेलीं तथा यहाँ तक कि अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। तब इस प्रदेश का निर्माण हुआ। इस प्रदेश की स्थापना के बाद जो पहली-पहली सरकार यहाँ पर आई, उस सरकार के कार्यकाल में, इस प्रदेश के विकास के लिए जो पैसा आया था उसका कितना दुरुपयोग हुआ वह सबने देखा था। फिर जब हमारे यहाँ पर चुनाव हुये और हमारी सरकार चुनकर यहाँ पर आई तो हम सब लोगों ने और प्रदेश की जनता ने माननीय सोनिया गाँधी जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को जिनके पास बहुत बड़ा अनुभव विकास और नेतृत्व का था, उन्हें हमारे प्रदेश में भेजा और पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने एक कुशल राज मिस्त्री के रूप में प्रदेश की मजबूत नींव डाली। इसका नतीजा यह है कि आज सारा हिन्दुस्तान और दुनिया जानती है, दिल्ली और दूसरे प्रदेशों में जब हम जाते हैं तो वहाँ भी सब लोग जानते हैं कि पंडित नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश ने कितना विकास किया है। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के बजट में कितनी वृद्धि हुई है। हमारे प्रदेश में दीर्घकालीन योजनाओं को सरकार द्वारा चलाया गया है।

हमारे माननीय सदस्यों ने भी लम्बी फेहरिस्त समस्याओं की यहाँ पर गिनाई है। आज पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पंडित नारायण दत्त तिवारी और माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को कि दूर दराज के वह क्षेत्र जहाँ पर खच्चर मार्ग भी नहीं थे, पहाड़ों में पगडंडियों में चलते हुये लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे, उन गाँवों तक भी सड़कें पहुँचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। निश्चित रूप से अपेक्षायें भी बढ़ी हैं क्योंकि जहाँ पर कार्य अधिक होता है वहाँ पर अपेक्षायें भी अधिक ही होती हैं। हमारी सरकार के कार्यों के आधार पर हमारी जनता की भी अपेक्षायें बढ़ी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पं0 नारायण दत्त तिवारी जी को कि उन्होंने प्रदेश में नियोजन का जो ढाँचा तैयार किया है वह सर्वविदित है। शिक्षा के क्षेत्र में आमूल–चूल परिवर्तन हुये हैं। हमारी सरकार ने दीर्घकालिक शिक्षा की योजना बनाई है। जो हमारे यहाँ पर दीर्घकालिक फायदे वाले महाविद्यालय खोले गये हैं, उनका फायदा हमारी आने वाली पीढ़ियों को अवश्य ही होगा। इसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में कई हाई स्कूल और इन्टर कॉलेजों की स्थापना की गई है।

मान्यवर, मैं बधाई देना चाहता हूँ, माननीय शिक्षा मंत्री जी को कि हमने लोगों के साथ जो वादे किये थे कि हम लोगों को रोजगार देंगे। बहुत से शिक्षित और प्रशिक्षित बेरोजगार इस प्रदेश में थे। इस प्रदेश के सैकड़ों शिक्षित और प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देकर आपने सरकार का मान–सम्मान बढ़ाया है। प्राइमरी शिक्षा के बारे में कहना चाहूँगा कि पहले जहाँ पगडण्डियां नहीं थीं, जहाँ पर अध्यापक जाना नहीं चाहते थे, वहाँ आज सड़कें बनी हुई हैं। वहाँ पर अध्यापक जाना चाहते हैं और अध्यापक वहाँ पर रह रहे हैं। जिन स्थानों में प्राइमरी स्कूलों की माँग की गयी थी, वहाँ पर प्राइमरी स्कूल खोल दिये गये हैं। इसी प्रकार जूनियर हाईस्कूलों की भी स्थापना हुई है। टेक्निकल एजुकेशन के बारे में कहूँगा, हमारी सरकार ने कई जगहों पर आई0टी0आई0 और पॉलीटेक्निक की स्थापना की है, जहाँ पर हमारा नौजवान अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तैयार होगा। मान्यवर, आज हम इस प्रदेश की जनता को संदेश देना चाहते हैं कि हमारी सरकार उत्तराखण्ड की आन्दोलनकारी शक्तियों का सम्मान करती है। जिन शक्तियों के योगदान से हमारे प्रदेश का गठन हुआ है। इन आन्दोलनकारी शक्तियों में से उन लोगों को चिन्हित किया गया, जो आन्दोलन के दौरान जेल में रहे। इनको चिन्हित कर रोजगार भी दिया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग रह गये हैं, जो जेल तो नहीं गये लेकिन जिन्होंने 10–12 वर्ष तक अपने परिवार को छोड़ कर आन्दोलन किया। धरने पर बैठे रहे और लाठियां खाई, उनको भी चिन्हित किया जाना चाहिए और शनैः शनैः उनको भी उचित सम्मान दिया जाना चाहिए।

आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि हम इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। हमारे प्रदेश में जितनी योजनाएं बन रही हैं, उनमें हजारों–हजार लोगों को प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। आज हजारों लोग अपने परिवारों का भरण–पोषण इन योजनाओं के माध्यम से कर रहे हैं। इस सदन को यह जानकारी देते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि टिहरी बांध का निर्माण जो वर्षों से चल रहा था, उसकी दो टर्बाइन परसों से चालू हो गयी हैं और एक महीने में एक और टर्बाइन चालू हो जाएगी। इस प्रकार हमारा जो वर्षों का सपना था, वह साकार हो गया है। हम बिजली के क्षेत्र में अपने पैरों पर तो खड़े होंगे ही साथ ही दूसरे प्रदेशों को भी हम बिजली का लाभ देंगे। मैं केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत हमारे प्रदेश के 3 जनपदों का चयन किया है। आने वाले वर्षों में हम अपेक्षा करते हैं कि इसके लिए हमारे और अधिक जनपदों का चयन होगा। इन योजनाओं को देखने के लिए पर्यवेक्षक आ रहे हैं और वे बहुत संतुष्ट हैं कि यहाँ पर ये योजनाएं द्रुत गति से लागू हुई हैं। मान्यवर, हम खाद्यान्न के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं।

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है खाद्यान्न, मिट्टी का तेल और विशेषकर चीनी जो प्रत्येक यूनिट में पहले जिस मात्रा में दी जाती थी, ग्रामीण क्षेत्रों में जब मैं गया था तो वहाँ के लोगों की अपेक्षा थी कि जो चीनी की मात्रा कम की गई है उसे बढ़ाया जाय। प्रत्येक यूनिट पर एक किलो चीनी की माँग ग्रामीण क्षेत्रों की जनता द्वारा की गई। सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र की कानून व्यवस्था को चुस्त–दुरुस्त करने के लिए पर्वतीय पटवारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनको मैदानी क्षेत्र में जो हमारे थानेदार हैं, या सिपाही हैं उन्हीं के बराबर सुविधा और भत्ता दिया जाना चाहिए। मान्यवर, जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो भी वर्षों से चली आ रही उनकी इस माँग को उठाते रहे। माननीय संसदीय कार्यमंत्री इन्दिरा जी यहाँ पर बैठी हैं, उन्होंने भी उनकी इस माँग को उठाया था और उनकी तकलीफों से भी वहाँ की सरकार को अवगत कराया था।

मान्यवर, जहाँ एक ओर हमने इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है वहीं हमारी सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में चौमुखी विकास की बागडोर संभाली है। चारों धामों को विकसित किया जा रहा है। वहीं जो हमारे रमणीक पर्यटक स्थल हैं, उनको विकसित करने का सरकार ने संकल्प लिया है। द्वारा बुग्याल को पर्यटन के रूप में विकसित करने की माँग वर्षों से वहाँ के लोगों द्वारा होती रही है। जब हम उत्तर प्रदेश में थे तब भी इसको विकसित करने की माँग उठती रही ताकि अधिक से अधिक बाहर के लोग सुदूर रमणीक क्षेत्रों में जाएं और पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिलें और यहाँ के रमणीक स्थलों की चर्चा देश के बाहर भी होती रहे।

अभी हमारे एक माननीय साथी ने कहा कि जब प्रदेश की पहली पहल सरकार चुनकर आई और उस समय जनता पूर्व की सरकार की दुर्दशा को देख रही थी तो यहाँ की जनता यह सोच रही थी कि जब काफी संख्या में उत्तर प्रदेश से अधिकारी/कर्मचारी आयेंगे तो सरकार इतनी बडी संख्या में लोगों को वेतन किस प्रकार देगी। किन्तु माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में और उनके अनुभवों से आज पूरे देश में मात्र हमारे प्रदेश की ही एक ऐसी सरकार है जिसने कभी ओवर ड्रॉफ्टिंग नहीं की। आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि हम अपने कर्मचारियों/अधिकारियों को बढा हुआ वेतन और भत्ते दे रहे हैं और अन्य राज्यों से अधिक सुविधायें दे रहे हैं। हमारी सरकार हमेशा कर्मचारियों/अधिकारियों की हिमायती रही है। हम अपने अधिकारियों को भरपूर सम्मान देते हैं। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि किसी प्रदेश को, किसी देश को, किसी परिवार को, किसी संस्था को, अगर मजबूत बनाना है तो अधिकारियों और कर्मचारियों का सहयोग बहुत आवश्यक है।

मान्यवर, हमारे ब्यूरोक्रेट्स जिनसे सरकार काम लेती है, उनको निश्चित रूप से सरकार को सहयोग देना चाहिए। मान्यवर, हम इनसे अपेक्षा करते हैं कि आम जनता में कोई ऐसा संदेश न जाय कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बातों को ये लोग नहीं मान रहे हैं। मान्यवर, यह प्रतिनिधि चाहे ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो, बी०डी०सी० मेम्बर हो, माननीय विधायकगण हो या कोई अन्य जनप्रतिनिधि हो। मान्यवर, इनकी बातों को अधिकारियों/कर्मचारियों को सुनना चाहिए। मान्यवर, ये लोग जनप्रतिनिधियों की बातों को नहीं सुनते हैं तो तब मन को बडा कष्ट होता है। मान्यवर, जब माननीय जनप्रतिनिधियों के कोई भी पत्र अधिकारियों/कर्मचारियों के पास आते हैं तो निश्चित रूप से इस पर कोई कार्यवाही होनी चाहिए। मान्यवर, जब सरकार और शासन के अधिकारियों में अच्छा तालमेल होता है तो अच्छी नीतियां बनती हैं, जिनसे आम जनता को लाभ पहुँचता है। मान्यवर, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं पहले उत्तर प्रदेश में पवित्र तीर्थनगरी देवप्रयाग से विधायक रहा।

मान्यवर, जिस टिहरी बांध के निर्माण के लिए लोगों ने त्याग और बलिदान दिया है, अपने नाते रिश्तेदारों से अलग हुए, देश की प्रगति के लिए इन लोगों को अन्यत्र दूसरी जगह बसना पडा, यह एक मिसाल है। मान्यवर, फिर मुझे तीर्थनगरी, जिसका नाम गणेश प्रयाग था, जहाँ पर गंगा, भिलंगना और सरस्वती का संगम था वहाँ का नेतृत्व करने का मौका मिला। मान्यवर, जब हमारा अलग राज्य बना तो उन दो विधान सभा सीटों से बढकर उसकी 07 विधान सभा सीटें हो गयीं। मान्यवर, इन 07 विधान सभा सीटों को छोडकर मुझे अन्यत्र ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्र से विधायक बनने का मौका मिला।

मान्यवर, मैं केन्द्र सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर एम्स बनाने का निर्णय लिया। मान्यवर, यहाँ पर एम्स अस्पताल बनने से राज्य की जनता और राज्य के बाहर उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों को भी इसका फायदा होगा। मान्यवर, जिन चिकित्सकों को पहले हम यहाँ पर सुविधाएं नहीं दे पाते थे, जिसके कारण वह पलायन कर जाते थे। मान्यवर, हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया, इनको सुविधाएं दी, जिसके कारण आज प्रदेश में बहुत अच्छे-अच्छे चिकित्सक उपलब्ध हैं। मान्यवर, इनके अनुभवों का लाभ आम जनता को मिल रहा है। ऋषिकेश क्षेत्र में हमारी सरकार ने गंगा के तटबंध का निर्माण किया। मान्यवर, पर्यटकों की सुविधा के लिए यहाँ पर मरीन ड्राइव का निर्माण किया गया। इसके बनने से यहाँ पर हजारों की संख्या में तीर्थयात्री स्नान के लिए आते हैं, इससे प्रदेश को बहुत लाभ हुआ। मान्यवर, कुम्भ क्षेत्र होने से यहाँ की सड़कों का विस्तार हुआ है और अनेक योजनाएं इस क्षेत्र में लागू हुई हैं। मान्यवर, मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ और माँग करता हूँ कि टिहरी बाँध से प्रभावित परिवारों को चाहे वे परिवार ऋषिकेश में रह रहे हों या देहरादून में या अन्य जगहों पर इन्हें बसाया गया हो। मान्यवर, चाहे हरिद्वार जनपद में बसाया गया हो उनके विस्थापन की समुचित व्यवस्था नहीं हुई है। सरकार ने वायदा किया था कि जहाँ उन लोगों को बसाया जायेगा वहाँ आधुनिक सुविधाओं के साथ बसाया जायेगा, उनको स्कूल, अस्पताल, सड़क, नहर आदि तमाम सुविधा उपलब्ध कराई जायेंगी। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता है तो तिनके के सहारे के रूप में उनकी मदद करें।

मान्यवर, हमारी सरकार ने आई0टी0 के क्षेत्र में अच्छे काम किये हैं। मान्यवर, जब हम किसी जनपद के अधिकारी को टेलीफोन करते थे तो घण्टों उनको टेलीफोन नहीं मिल पाता था, आज हर विभाग में आधुनिक तकनीक के माध्यम से हम उसकी प्रगतियाँ एक मिनट में पूछ सकते हैं। मान्यवर, परिवहन के क्षेत्र में हमारी सरकार ने नई-नई और वातानुकूलित बसों की व्यवस्था की है, जो देश के सभी प्रान्तों में, यहाँ के यात्रियों को, पर्यटकों को सुविधा दे रही हैं। मान्यवर, हमारी सरकार ने इस प्रदेश को सर्वांगीण विकास दिया है।

मान्यवर, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी बजट भाषण पढ़ रहे थे, तो जो सदन में थे और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग अचम्भित हो गये, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 घण्टे 18 मिनट तक बिना पानी पिये बजट पढ़ा और विस्तारपूर्वक चर्चा की, प्रतिपक्ष के लोगों ने सराहना की। मान्यवर, मैंने उनसे कहा कि आपने यह विद्वतापूर्ण बजट देखा कि कोई बिन्दु छूटा नहीं है, प्रत्येक के बारे में विकास की योजना बनाई है, मैं उनकी इच्छा शक्ति को धन्यवाद देता हूँ और इन विकास की योजना का क्रियान्वयन होगा जो बजट में प्राविधान हुआ है, उसको सही समय पर

अमल किया जाना चाहिए। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार को, सरकार के मुखिया पं0 नारायण दत्त तिवारी को और अपनी सरकार में बैठे सभी माननीय मंत्रीगणों का आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रदेश के चहुँमुखी विकास की जो सोच डेवलप की है, आने वाली पीढ़ियाँ याद करती रहेंगी और हम लोग जो सदन में हैं और कल को जो नहीं रहेंगे वह भी याद रखेंगे कि जो काँग्रेस सरकार ने बजट रखा वह ऐतिहासिक बजट था, इस ऐतिहासिक बजट के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

(श्री अध्यक्ष जी द्वारा माननीय सदस्य श्री मंत्री प्रसाद नैथानी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

प्रदेश के औद्योगिक इकाइयों एवं प्रदेश की बाहर की इकाइयों को शीरे के आवंटन के अनुबन्ध के सम्बन्ध में दि0 21 अक्टूबर, 2005 को डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल द्वारा पूछे गये अल्पसूचित प्र0सं0–1 के विषय पर नियम 49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मेरे द्वारा रखे गये शीरा नीति पर नियम 49 के अन्तर्गत सरकार ने इस नीति पर चर्चा स्वीकार की और आज उस पर चर्चा का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मान्यवर, यह शीरा नीति तत्कालीन उत्तर प्रदेश के समय में बनी थी और उसके बाद उत्तरांचल बनने के बाद इस तरह की शीरा नीति उत्तरांचल में बनी। शीरा नीति के अन्तर्गत 70 प्रतिशत सहकारी और निजी चीनी मिलें उत्तरांचल की शीरा उत्पादित करती हैं। उत्तरांचल में 70 प्रतिशत शीरा को बेचने के लिए उनको आरक्षण मिला है और 10 प्रतिशत शीरा उत्तरांचल की डिस्टलरी को बेचने का प्राविधान है, 20 प्रतिशत शीरा उत्तरांचल की चीनी मिलों और अन्य रासायनिक उद्योगों को बेचा जा सकता है। इस शीरा नीति के त्रुटिपूर्ण होने के कारण हमारे राज्य में चीनी मिलों का दोहन हुआ है। मान्यवर, हमारे रूग्ण हुए सहकारी मिलों में पिछले वर्ष 8 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। मान्यवर, दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जहाँ हम उत्तरांचल के अन्दर शीरा उद्योग को बचाने की बात करते हैं, उसमें कुछ उत्तरांचल के बाहर ऐसे उद्योग भी हैं जिनको हमने उत्तरांचल का ही उद्योग माना है, उदाहरण के तौर पर गजरोला, धामपुर की कैमिकल यूनिट को भी हमारी सरकार उत्तरांचल का उद्योग मानती है इनके पुनर्वीक्षण की आवश्यकता है।

मान्यवर, मैं आपको कुछ चौंकाने वाले तथ्य पेश करना चाहूँगा। वर्ष 2004–2005 में जब शीरा की बहुत कमी उद्योगों के सामने थी उस समय अगर हम सहकारी चीनी मिलों की बात करें तो 70 प्रतिशत आरक्षित शीरा है। मान्यवर, उत्तरांचल के उद्योगों को 155 रुपये में बेचा और उत्तरांचल के बाहर 325 रुपये में बेचा। अगर हम सहकारी की बात करें तो 8 लाख कुन्तल उत्पादित करते हैं उसका 70 प्रतिशत लें तो 5 लाख 60 हजार हुआ जो 10 लाख का आँकड़ा बनता है। मान्यवर, हमें इसमें नुकसान हुआ है।

मान्यवर, इसी प्रकार 2003–2004 की बात करें, इसमें भी फर्क है और जो 10 प्रतिशत हमने डिस्टलरी को आरक्षित किया तो उनको ब्राजील से अल्कोहल लाने की इजाजत है। यदि हम पिछले तीन सालों के आंकड़े देखें तो इसमें 20 प्रतिशत का फर्क है। बहुत सी ऐसी यूनिटें हैं जो उत्तरांचल का भी शीरा लेती हैं और डिस्टलरी का भी शीरा लेती हैं। तो इसमें 20 प्रतिशत का फर्क रहा है। प्राइवेट चीनी मिलों और सहकारी चीनी मिलों का विवरण लें तो आरक्षित शीरा जो 70 प्रतिशत है वह 2003–2004 में 117 रुपये और 120 रुपये का रेट शीरे का मिला। जो प्राइवेट चीनी मिलें हैं उनको 166 रुपये का मूल्य मिला। 2004–2005 की बात करें तो 155 रुपये और 160 रुपये 70 प्रतिशत के रेट में मिला और जो प्राइवेट चीनी मिलें हैं उनको 250 रुपये का रेट मिला। इसको भी अगर हम कम्पेयर करें तो जो नुकसान की मात्रा है वह 10 करोड़ से कहीं ज्यादा है। मैं आज सदन का ध्यान इस त्रुटिपूर्ण शीरे की नीति की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ इस चर्चा के माध्यम से और मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो हमारी शीरा नीति है, उस पर क्या सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ताकि आने वाले समय में जो इस तरह की विसंगतियाँ हैं, उनको दूर किया जा सके और विगत वर्षों में जो फर्क रहा है 155 और 323 का यह क्यों रहा? क्या इसके लिए सरकार द्वारा किसी तरह की कोई कार्यवाही की गयी या करने जा रही है? इसको मैं जानना चाहता हूँ। अगर डिस्टलरी की बात करें तो अगर वे ब्राजील से निर्यात कर सकती हैं तो क्यों नहीं हमारी चीनी मिलें इसे ओपन मार्केट में बेच सकती हैं?

पर्यटन एवं आबकारी मंत्री (श्री तेजपाल सिंह रावत)–

मान्यवर, शीरा वर्ष 2002–2003 की शीरा नीति का संक्षेप निम्नानुसार है:– चीनी मिलों में उत्पादित शीरे का 10 प्रतिशत अंश उत्तरांचल की देशी मदिरा की उत्पादक आसवनियों के लिए आरक्षित किया गया था। उत्पादित शीरे का 10 प्रतिशत भाग प्रदेश से बाहर निर्यात करने की छूट दी गयी थी। शेष 80 प्रतिशत शीरा उत्तरांचल की इकाइयों एवं उत्तर प्रदेश की शीरा, अल्कोहल आधारित रासायनिक उद्योगों के लिए आरक्षित था। चीनी मिलों द्वारा अनुरोध करने पर शीरा निर्यात की

मात्रा को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करते हुए शीरा वर्ष 2003–2004, 2004–2005 तथा 2005–2006 में उत्पादित शीरे का आरक्षण इस प्रकार कर दिया गया है। चीनी मिलों में उत्पादित शीरे का 10 प्रतिशत अंश उत्तरांचल की देशी मदिरा की उत्पादक आसवनियों के लिए आरक्षित किया गया है।

उत्पादित शीरे का 20 प्रतिशत भाग प्रदेश से बाहर निर्यात करने की छूट दी गई है। शेष 70 प्रतिशत शीरा उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश के शीरा/अल्कोहल आधारित रासायनिक उद्योगों के लिए आरक्षित किया गया है। आसवनियों के लिए 10 प्रतिशत शीरा आरक्षित करने का जो औचित्य है वह यह है कि वर्ष 2004–05 में प्रदेश में देशी मदिरा की खपत 51,11,603.8 अल्कोहल लीटर रही है, जो 94 प्रतिशत आयतन/आयतन के 54,37,876 बल्क लीटर रेक्टीफाइड स्प्रिट के बराबर है। 01 कुन्तल शीरे से औसतन 23 बल्क लीटर रेक्टीफाइड स्प्रिट के उत्पादन के आधार पर इस स्प्रिट के निर्माण हेतु 2,36,429 कुन्तल शीरे की आवश्यकता होगी। प्रदेश में चार वर्षों में शीरे का उत्पादन 16,28,859.0 कुन्तल से 25,68,911 कुन्तल के मध्य रहा है। इसलिए प्रदेश में उत्पादित शीरे का 10 प्रतिशत भाग देशी मदिरा को उत्पादन हेतु आरक्षित किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश में देशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन से वर्ष 2005–06 में 119.79 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति अपेक्षित है, जिसकी वसूली के लिए देशी मदिरा के अनुज्ञापियों को उनकी माँग के अनुसार देशी मदिरा की लगातार सप्लाई आवश्यक है।

उल्लेखनीय है कि विगत तीन वर्षों एवं चलित वर्ष में देशी मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन से प्राप्त होने वाला राजस्व निम्नानुसार रहा है। वर्ष 2002–03 में देशी मदिरा से प्राप्त होने वाला राजस्व 89.32 करोड़, वर्ष 2003–04 में 104.52 करोड़, वर्ष 2004–05 में 104.87 करोड़ तथा वर्ष 2005–06 में 119.79 करोड़ रुपया रहा है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मदिरा की दुकानों पर देशी मदिरा की सप्लाई माँग के अनुसार पूरी होती रहने के कारण ही देशी मदिरा की दुकानों से प्राप्त होने वाले राजस्व में उत्तरोत्तर निरन्तर वृद्धि होती रही है। इस राजस्व की सुरक्षा के लिए प्रदेश में उत्पादित शीरे का 10 प्रतिशत भाग प्रदेश की देशी मदिरा बनाने वाली आसवनियों के लिए आरक्षित करना आवश्यक है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो शीरा आपने आवंटित किया है क्या आसवनियों ने वह शीरा उठा लिया है और इस वर्ष में कितना शीरा उनके द्वारा उठाया जा चुका है?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, इस साल का टोटल डाटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो शीरा उन्हें आवंटित किया गया है वह उसे उठा रहे हैं, इसमें हमने व्यवस्था की थी क्वाटरली शीरा देने की तो वे उसे उठा रहे हैं।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, क्या यह सुनिश्चित है कि वे लोग शीरा उठा रहे हैं।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, उन्होंने उठा लिया होगा, क्योंकि अगर वह शीरा नहीं उठायेंगे तो हमारे पास इसकी रिपोर्ट आयेगी। जो जो शीरा उनको लेना है, जो उनका कोटा है, उनको लेना पड़ेगा। हमने उनके लिए क्वाटरली आवंटन की व्यवस्था की है।

*श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, क्या यह बाध्यता है कि उन्हें लेना ही पड़ेगा?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, उन्हें आवंटित किया गया है तो लेना चाहिए।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, लेना चाहिए और लेना पड़ेगा में बहुत अन्तर है, मेरा प्रश्न है कि क्या जो शीरा आवंटित किया गया है उसे उठाने की उनकी बाध्यता है?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, अगर वह नहीं उठा रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट हमारे पास आयेगी और रिपोर्ट आने के बाद आसवनी को कहा जायेगा कि अगर आप नहीं लेना चाहते तो इसे ओपन मार्केट में दे दिया जायेगा।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, इसमें एक प्रश्न यह भी है कि यदि नहीं उठ रहा है तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है? उनका आवंटन खत्म कर रही है या नहीं?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, जो उनको उठाना चाहिए, वह तो उठ ही रहा है। इस वर्ष 52 हजार 788 कुन्तल आवंटित हुआ और 17 हजार 656 कुन्तल ये उठा चुके हैं।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, आपने बताया कि 52 हजार कुन्तल आवंटित हुआ और केवल 17 हजार कुन्तल उठा है। इस प्रकार यह केवल 30 प्रतिशत हुआ। 20 प्रतिशत रेट हमारे यहां तो रहते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, रेट के बारे में बताना चाहता हूँ कि पहले शीरे की मात्रा 10 प्रतिशत थी तब 220 रुपये प्रति कुन्तल के हिसाब से उठाया गया है। जो 70 प्रतिशत बच गया है, उसका रेट 265 रुपये प्रति कुन्तल कर दिया है। 2002–03 की शीरा नीति में चीनी मिलों में उत्पादित शीरे के केवल 10 प्रतिशत अंश को प्रदेश के बाहर निर्यात करने की छूट थी। इस निर्यात के अंश को शीरा नीति 2003–04 से 20 प्रतिशत किया गया है। 20 प्रतिशत करना इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि हमारे यहाँ शीरे की टोटल रिक्वायरमेंट 43.13 लाख कुन्तल है किन्तु प्रोडक्शन वैरी करता रहता है। प्रोडक्शन 18 लाख से 25 लाख कुन्तल के बीच होता है। इस प्रकार एवरेज 22 लाख कुन्तल प्रोडक्शन होता है। बाकी हमको यू0पी0 से लेना पड़ता है, यू0पी0 के साथ हम हर साल एम0ओ0यू0 साईन करते हैं। इस बार यू0पी0 से एम0ओ0यू0 हुआ है कि हम रेसीप्रोकल बेसिस पर 25 लाख कुन्तल शीरा उठाएंगे। यू0पी0 के साथ हमारी पुरानी अण्डर स्टैंडिंग है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन लोगों ने उत्तरांचल से किस रेट पर शीरा खरीदा है और बाहर से किस रेट पर गन्ना खरीदा है? बाहर से गन्ना खरीदने पर वाहन कर भी देना होता है।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, शीरे के रेट फ्लेक्चुएट होते रहते हैं। पहले यह 60–65 रुपया था। बाद में यह 250 और 300 रुपया भी हुआ है। शीरे के रेट इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि गन्ने का उत्पादन कितना हुआ है और दूसरे प्रदेशों से किस रेट पर शीरा मिलेगा।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, 2004–05 में 155 रुपये का रेट मिला है और जो शीरा हम निर्यात करते हैं, वह 325 रुपये में मिला है।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, इसके अलग–अलग रेट मिल रहे हैं। 300 रुपये का रेट भी मिला है। 2005–06 में यह कम हुआ है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, हमारी नीति ही चर्चा का विषय रही है। हमारा उत्तरांचल के अन्दर अलग रेट है और उत्तरांचल के बाहर का अलग रेट है। दुगने से ज्यादा का फर्क है।

ऐसी हालत में यह नीति सार्थक नहीं कही जा सकती है। 100 प्रतिशत का फर्क है। 155 रुपये में यहाँ और 323 रुपये वहाँ। इसको रोकने के लिए सरकार ने कोई नीति बनाई है? सहकारी चीनी मिलों को करीब 10 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है।

*श्री रणजीत सिंह रावत–

मान्यवर, जो राज्य के बाहर जा रहा है क्या उससे राज्य को लाभ हो रहा है या इससे हमारे प्रदेश के नौजवानों को रोजगार प्राप्त हो रहा है? जो मूल्य एम0ओ0यू0 में 212 रुपये प्रति कुन्तल मिल रहा है। खुले बाजार में 350 से 500 रुपये प्रति कुन्तल मिल रहा है। इससे सहकारी मिलों को नुकसान हो रहा है। मान्यवर, देशी शराब से 130 करोड़ का राजस्व प्राप्त हो रहा है।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, शीरे की कमी रहेगी तो सरकार को बीच में आना पड़ेगा। सरकार को शीरे का जो कन्ट्रोल है उससे लाभ हो रहा है। 10 प्रतिशत शीरा आसवनियों के लिए आरक्षित है उससे हमें 120 करोड़ का लाभ हो रहा है। अगर हम आरक्षित नहीं करेंगे तो हम आसवनियों को शीरा कहाँ से देंगे। मैं फिर से अवगत करा दूं कि हमारी शीरे की रिक्वायरमेंट 43.13 लाख कुन्तल है और हमारा शीरे का उत्पादन 22 लाख कुन्तल है। 25 लाख कुन्तल शीरा हमें उत्तर प्रदेश से रैसीप्रोकल बेसिस पर जो एम0ओ0यू0 किया हुआ है, के माध्यम से प्राप्त होता है।

श्री रणजीत सिंह रावत–

मान्यवर, देशी शराब से 130 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हो रही है यह राजस्व की प्राप्ति शराब बेचकर हो रही है या शराब बनाकर हो रही है? शीरा नीति का इससे क्या सम्बन्ध है?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, ट्रेडिंग से लाभ हो रहा है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के समय में एक एम0ओ0यू0 साईन हुआ था, उसी के मुताबिक कार्य किया जा रहा है।

श्री रणजीत सिंह रावत–

मान्यवर, जो सरकारी और निजी क्षेत्र की प्राइवेट मिलें हैं। जैसा कि शीरा कुछ चुनिंदा उद्योगों को ही दिया जा रहा है, इससे प्रदेश की सरकार और निजी क्षेत्र की मिलों को हानि हो रही है। मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस नीति पर पुनर्विचार कीजिए और इसमें एक कमेटी गठित

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की जाय। और इस कमेटी में केवल सरकार के मंत्री ही नहीं बल्कि विधान सभा के सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाय। मान्यवर, प्रदेश हित में इस नीति पर निश्चित रूप से पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, इसमें कमेटी पहले बन चुकी है।

*श्री हेमेश खर्कवाल–

मान्यवर, गजरौला यूनिट के बारे में बतायें।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, हमारी आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। जो एम0ओ0यू0 उत्तर प्रदेश के साथ हुआ है, उसी के मुताबिक हमें यह बाहर से भी लेना होगा, और बाहर भी देना होगा। मान्यवर, चीनी मिलों में उत्पादित शीरे का 10 प्रतिशत अंश उत्तरांचल की देशी मदिरा की उत्पादक आसवनियों के लिये आरक्षित किया गया था। मान्यवर, उत्पादित शीरे का 10 प्रतिशत भाग प्रदेश से बाहर निर्यात करने की छूट दी गयी थी, शेष 80 प्रतिशत शीरा उत्तरांचल की इकाईयों एवं उत्तर प्रदेश की शीरा आधारित रासायनिक उद्योगों के लिये आरक्षित था।

श्री रणजीत सिंह रावत–

मान्यवर, हम उन्हें सस्ते दाम पर दे रहे हैं। हमने 212 रु0 कु0 का एम0ओ0यू0 कर रखा है। मान्यवर, कोई भी एम0ओ0यू0 और कांट्रेक्ट अंतिम नहीं होता है, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, प्रत्येक वर्ष इसकी समीक्षा की जाती है, इसके लिए कमेटी बनी हुई है। कमेटी के माध्यम से इसकी नीति निर्धारित की जाती है।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने 10 करोड़ के नुकसान की बात कही है, यह कोई छोटी-मोटी रकम नहीं है। यदि यह आरोप माननीय सदस्य का सही है तो यह गम्भीर मामला है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या यह सही है, यदि यह सही है तो इस पर जांच की जानी चाहिए।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, आपको 10 करोड़ रु0 का नुकसान दिखाई दे रहा है, यह सही नहीं है। मान्यवर, हमें नुकसान नहीं बल्कि लाभ हो रहा है। मान्यवर, वर्ष 2004–2005 में हमें 5.07 करोड़ रु0 की राजस्व प्राप्ति हुई है और वर्ष 2005–2006 में यह बढ़कर 5.81 करोड़ रु0 जनवरी, 2006 तक हो गयी। मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं कि आप बोल रहे हैं।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, क्या सरकार ने निर्णय लिया है कि स्थानीय लोगों को आधे पैसे में रॉ–मैटीरियल दिया जायेगा?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, आपने कहा कि लाभ भी होता है तो हानि भी होती है, अगर एक प्रोजेक्ट में लाभ ही होता है तो वह अलग है, तो जब लाभ की बात करेंगे तो हानि की बात नहीं आयेगी। मान्यवर, मैं 10 करोड़ की बात कह रहा हूँ।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, अगर ओपेन मार्केट में छूट दे दी होती तो उनको लाभ हो सकता था, लेकिन हमने नहीं दी तो उसके फलस्वरूप सरकार को शराब बेचने से लाभ मिला।

श्री रणजीत सिंह रावत–

मान्यवर, यूनिट को 10 करोड़ का नुकसान हो गया। मान्यवर, मेरा कहना है कि जिस सहकारी मिल का 10 करोड़ का नुकसान हुआ है वह अपने कर्मचारियों को तनख्वाह कहाँ से देगा? मान्यवर, या तो सरकार कहे कि 130 करोड़ में से 10 करोड़ सहकारी मिल को दे रहे हैं या फिर सरकार इस पर विस्तृत व्यपगत दें।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, जब पैसे की आवश्यकता हुई तो सरकार ने ऐसी हालत में मदद की और 19 करोड़ रुपया लोन दिया।

श्री रणजीत सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार कह रही है कि 19 करोड़ लोन दिया है और गन्ना किसानों के भुगतान के लिए आज तक नहीं लौटाया, उसका भुगतान नहीं हो रहा है।

मान्यवर, वह हमसे कहते हैं कि 10 करोड़ दिला दो तो हम कहाँ से दिलायें, आप कम से कम दे दें। मान्यवर, मैं पुनः कह रहा हूँ इसे विस्तृत व्यपगत कर दें।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, 10 प्रतिशत जो परिषद् का लोन है उसको वापस करा दें।

(व्यवधान)

*श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, मैंने जो सूचना दी थी उसके बारे में कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

मैं उसका परीक्षण करा लूँगा, कल इस पर बात कर लेंगे।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–51 के अन्तर्गत 10 सूचनायें प्राप्त हुई है, मैं सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर रहा हूँ।

अब हम उठते हैं। कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 4 बजकर 23 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून, महेश चन्द्र
सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल।

दिनांक 4 अप्रैल, 2006 ई0

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नत्थी 'क'

(देखिए ता० प्र० सं०–4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 8–9 पर)

संलग्नक

जनपद पौड़ी में जैट्रोफा रोपण की सूची

क्र० सं०	जनपद	वन प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	स्थल का नाम	रोपित क्षेत्रफल है० में
1.	पौड़ी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडाउन	मटियाली	मलेथा	10
				तोली	20
				गौला तल्ला	9
				खैडियाल	15
				बागी बड़ी	20
				जुवा	22
				उतीर्छा	20
				मुण्डला काटल	20
				उमरैला	10
			गोदरी	दबल्डी	6
				चमडा	10
				ग्यूंथा	10
				माला बसाणी	18
				माला चौड़ी	16
				बुकण्डी	18
			जयहरीखाल	सतपुली मल्ली	10
				कुल्हाड	25
			ताल	मल्ला बनास	24
				जोग्याणा	20
				धारकोट	10
				कोठार	12
			भृगुखाल	धूरा धनाई	10
				नाथुखाल	8
				स्याल कण्डी	12

क्र० सं०	जनपद	वन प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	स्थल का नाम	रोपित क्षेत्रफल हे० में
				हर्बू (कोटद्वार)	10
				चूना महेड़ा	20
				सौटियालधार	30
				मुण्डगांव	10
			चैलुसण	घण्डालू	20
				नैरूल	10
				सुराल	20
				सन्दगिया	20
	योग–भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडाउन				493
2.		सिविल सोयम वन प्रभाग, पौड़ी	पौड़ी	कदोला	2
				मरोड़ा	6
				घाली	2
				छैतुड़	38
				नौगांव	10
				अगरोड़ा	10
				तोली	10
				बकरोड़ा	10
				पैडुल	14
				कड़ाकोट	12
				सुमेरपुर	12
				पबाल गांव	10
				कैसुन्दर	16
			श्रीनगर	उफल्डा	8
				कीर्तिराली	8
				बैथगांव (बिल्केदार)	10
				गिरगांव	40
				रामपुर/भैंस्वाड़ा	18
				मरगुण	12
				सिन्डी	10

क्र0 सं0	जनपद	वन प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	स्थल का नाम	रोपित क्षेत्रफल है0 में
				कमरगढ़	2
				जसकोट	4
			नौगांवखाल	चौरा	12
				खैड	6
				गडरिया	10
				सतपाली	4
				मंजाखोली	10
				दलमाणा	6
				गंवाणी	2
			सतपुली	उखलेत	20
				डंडा मल्ला	25
				सालकोट	30
				नौगांव कमान्द	25
	योग–सिविल सोयम वन प्रभाग, पौड़ी				414
	कुल योग: जनपद पौड़ी				907

(डा0 बी0 एस0 बरफाल)
प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तरांचल।

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0 प्र0 सं0–53 का उत्तर पीछे पृष्ठ 40 पर)

संलग्नक–1

संख्या 10772/14–2–505/78

प्रेषक,

एन0पी0 त्रिपाठी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अरण्यपाल, टिहरी वृत,
उत्तर प्रदेश, देहरादून।

वन अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक: 28 नवम्बर, 1978।

विषय– पर्वतीय क्षेत्र में लीसा घावों के आवंटन तथा उत्पादित लीसे के वितरण के प्रश्न पर विचार करने तथा संस्तुति देने हेतु गठित समिति की संस्तुतियाँ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अर्द्ध शा0 पत्र संख्या क–1367/9–24, दिनांक 09 अक्टूबर, 1978 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्वतीय क्षेत्र में लीसा घावों के आवंटन तथा उत्पादित लीसे के वितरण के बारे में गठित समिति की संस्तुतियों पर भली भाँति विचार करने के उपरान्त शासन ने जो निर्णय लिया है उनका विवरण तालिका के रूप में संलग्न है।

2–तालिका के कॉलम 2 में उल्लिखित निर्णयों के अनुसार कृपया तुरन्त कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शेष सम्बन्धित अरण्यपालों को भी तदनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया जा रहा है।

3–जैसा कि उक्त तालिका के कॉलम 2 में उल्लिखित है, उत्पादित लीसे के वितरण विषयक संस्तुतियाँ (अ), (ब), (स) और (द) के सम्बन्ध में निर्णय बाद में एक बड़ी बैठक में विचार–विमर्श उपरान्त लिया जायेगा।

4–मुझे यह भी निवेदन करना है कि परीक्षण सम्बन्धी योजना शासन को 07–12–1978 तक अवश्यमेव भेजें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

एन0पी0 त्रिपाठी,
सचिव।

संख्या10772(1)/14-2-506/78

प्रतिलिपि संलग्न की प्रति सहित अरण्यपाल, गढ़वाल वृत्त, उत्तर प्रदेश, पौड़ी और अरण्यपाल, कुमाऊँ वृत्त, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। शासन के उपर्युक्त निर्णय के अनुसार अपने–अपने वृत्त में तुरन्त कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा प्रश्नगत प्रशिक्षण योजना शासन को 07 दिसम्बर, 1978 तक अवश्यमेव भेजें।

प्रतिलिपि संलग्न की प्रति सहित मुख्य अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल (कुमाऊँ), नैनीताल/गढ़वाल, देहरादून, प्रबन्ध, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि संलग्न की प्रति सहित आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि संलग्न की प्रति सहित सचिव, पर्वतीय विकास विभाग, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

एन0पी0 त्रिपाठी,
सचिव।

तालिका

पर्वतीय क्षेत्र में लीसा घावों के आवंटन तथा उत्पादित लीसे के वितरण के विषय में संस्तुति करने हेतु शासन द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों/शासन के निर्णय का विवरण

लीसा घावों के आवंटन के सम्बन्ध में संस्तुतियां

कॉलम–1 संस्तुति	कॉलम–2 शासन का निर्णय
(1) यह आवश्यक नहीं है कि केवल वन विभाग ही लीसा टिपान का कार्य करे। जो रोजिन एवं टरपेन्टाईन उद्योग में कार्यरत संस्थायें, समितियाँ व औद्योगिक इकाईयाँ निर्धारित नियमों के अनुसार लीसा टिपान का कार्य करना चाहती हैं, उनको लीसा टिपान का मौका दिया जाय।	(1) अस्वीकृत 1979 टैपिंग सीजन से केवल वन विभाग ही लीसा टिपान का कार्य करे। गढ़वाल विकास निगम को आवंटित घाव 1978 के मार्च की समाप्ति के बाद वापस लिये जायं।
(2) इस कार्य में पिछले कई दशकों से मजदूर लगे हुए हैं जिनकी संख्या लगभग 15,000 होगी। टिपान चाहे वन विभाग करे चाहे संस्थायें, समितियाँ व औद्योगिक इकाईयाँ करें, यह अत्यन्त आवश्यक है कि इन मजदूरों के हितों की रक्षा व उनके रहन–सहन के स्तर में सुधार हो।	(2) स्वीकृत।
(3) वन विभाग भी लीसा टिपान का कार्य नियमित ढंग से करें ताकि उसके कार्य का नमूना लोगों के सामने आये। अच्छा होगा और यह व्यवहारिक भी प्रतीत होता है कि चूंकि शासन द्वारा वन निगम की स्थापना व्यवसायिक काम के बढ़ावे के लिए हुई है, इसलिए वन विभाग के बजाय यह कार्य वन निगम करे।	(3) संस्तुति का प्रथम भाग स्वीकृत और दूसरा भाग अस्वीकृत किया जाय। लकड़ी का सम्पूर्ण काम तीन वर्षों में अपने हाथों में ले लेने की जिम्मेदारी के लिए, अत्यन्त व्यस्त होने के कारण वन निगम लीसा टैपिंग अपने हाथ में लेने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। अन्य कारणों से भी लीसा टैपिंग का काम विभाग के पास ही रहना चाहिए वर्ना विभाग में नियुक्त/तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों का पूरा उपयोग नहीं हो सकेगा।

(4) जो संस्थायें, समितियां व औद्योगिक इकाईयाँ लीसा टिपान का कार्य करें उनके देखभाल व उनके नियंत्रण की जिम्मेदारी वन विभाग की होनी चाहिए।

(4) संस्तुति संख्या (1) अस्वीकृत हो जाने के उपरान्त इस संस्तुति पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता।

(5) व्यवहारिक रूप से कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी भी वन विभाग उठाये। इसके लिए वन विभाग प्रशिक्षण का एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाये जिससे सभी कार्यकर्ता शीघ्रातिशीघ्र प्रशिक्षित कराये जा सकें।

(5) लीसा टिपान कार्य के मजदूरों का प्रशिक्षण ज्यादा आवश्यक है। इस सम्बन्ध में विस्तृत योजना तैयार की जाय और इसे 07–12–78 तक प्रस्तुत किया जाय।

(6) जो संस्थायें, समितियाँ व औद्योगिक इकाईयाँ टिपान के लिए इच्छुक हों उनका यथासम्भव उनकी इकाई के निकटतम स्थान में टिपान क्षेत्र दिया जाय। जो क्षेत्र वह लें, उस क्षेत्र के सारे वनों के टिपान सम्बन्धी कार्यों व मजदूरी के हितों की पूरी जिम्मेदारी उस संस्था, समिति व औद्योगिक इकाई की होगी।

(6) इस संस्तुति पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता।

(7) वन विभाग द्वारा लीसा घावों की गणना हर पाँचवें वर्ष अवश्य की जानी चाहिए।

(7) स्वीकृत।

(8) जिन लीसा घावों का टिपान वन विभाग द्वारा किया जाये, उसके लिए वन विभाग द्वारा जो आल–इन–कास्ट (All-in-cost) तैयार किया जाना है, उसकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के पश्चात् उसमें प्राविधानित दरों पर लीसा टिपान का कार्य लीसा मेटों को दिया जाना चाहिए। इस कार्य का आवंटन एक समिति द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें तीन राजपत्रित वन अधिकारी हों और जो सम्बन्धित अरण्यपाल द्वारा नामांकित किये गये हों। यह समिति कार्य का आवंटन मेटों की कार्य क्षमता, कार्य की परिस्थिति एवं उनके पिछले वर्षों के कार्य स्तर को ध्यान में रखकर करेगी।

(8) सामान्यतः एक कूप 10000 से अधिक लीसा घावों, का नहीं होना चाहिए परन्तु विशेष परिस्थितियों में अरण्यपाल की स्वीकृति से कूप में घावों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। लीसा टिपान का वन का आवंटन करने हेतु समिति गठित करने की संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकृत की जाती है कि तीन राजपत्रित वन अधिकारियों की समिति में एक पार्श्ववर्ती प्रभाग का प्रभागीय वनाधिकारी और दूसरा जिन वन प्रभाग में लीसा टिपान का कार्य होना है, उस प्रभाग का प्रभागीय वनाधिकारी होगा। वरिष्ठ प्रभागीय वनाधिकारी समिति का अध्यक्ष होगा।

(9) टिहरी वृत्त में इस समय लीसा टिपान किये जाने वाले वृक्ष का न्यूनतम व्यास 40 सें0मी0 है जबकि गढ़वाल एवं कुमाऊँ वृत्तों में 35 सें0मी0। टिहरी वृत्त में अधिक व्यास रखने से लीसा घावों में बहुत कमी हुई है। इस वृत्त में यह व्यास सीमा ऊँची इसलिए रखी गई है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल पद्धति से लीसा टिपान के कारण वृक्षों को भारी क्षति पहुँची थी। अतः छोटे व्यास वाले वृक्षों को विश्राम की अधिक आवश्यकता है। इस भिन्नता को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त किया जाये। सम्पूर्ण क्षेत्र में न्यूनतम व्यास 35 सें0मी0 ही शीघ्रातिशीघ्र अपनाया जाना चाहिए।

(9) स्वीकृत।

(10) लीसा उत्पादन की मात्रा को, वृक्षों को क्षति न पहुँचाते हुए, अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास किया जाय।

(10) स्वीकृत।

उत्पादित लीसे के वितरण के सम्बन्ध में संस्तुतियाँ

(अ) पिछले पाँच वर्षों में जिस इकाई ने भी आवंटित किया गया लीसा उठाया है, उसे लीसा आवंटन के लिए पात्र माना जाये। ऐसी इकाईयों की सूची उनको पिछले पाँच वर्षों में आवंटित एवं उनके द्वारा उठाये गये लीसे की मात्रा को दिखाते हुए संलग्न की जाती है।

(ब) पिछले पाँच वर्षों में प्रत्येक इकाई द्वारा उठाई गई अधिकतम मात्रा को भविष्य के आवंटन हेतु आधार माना जाये। आवंटन करते समय इकाई की आर्थिक जीव्यता (Economic Viability) को भी ध्यान में रखा जाय।

ये संस्तुतियाँ वर्ष 1979 लीसा फसल से प्रभावी होनी हैं। अतः इस पर बाद में निर्णय लिया जायेगा। इन पर विस्तृत रूप से हर पहलू पर विचार करने की आवश्यकता है।

(स) सभी इकाईयाँ चाहे वह आई0टी0आर0 हों, चाहे विकास निगमों द्वारा चालित हों, चाहे खादी कमीशन द्वारा पोषित या सहकारी या निजी, को समान रूप से लीसा उत्पादन की कमी में भागी बनाया जाय।

(द) संलग्न सूची में उल्लिखित इकाईयों के अतिरिक्त किसी अन्य इकाई को लीसा उस समय तक वितरित न किया जाय, जब तक इनकी क्षमता के अनुसार पूरा लीसा न दिया जा सके।

भवदीय,

एन0पी0 त्रिपाठी,
वन सचिव।

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 सं0–54 का उत्तर पीछे पृष्ठ 40 पर)

संख्या 156/7–1–2005–500(826)/2002

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव एवं सचिव,
   उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उत्तरांचल।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तरांचल।

वन एवं पर्यावरण विभाग देहरादून: दिनांक: सितम्बर 09, 2005

विषय:– वन भूमि पर दी गई लीजों के नवीनीकरण तथा नई लीजों की स्वीकृति हेतु नीति एवं वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम)/वार्षिक लीज रेन्ट का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू होने से पूर्व वन विभाग द्वारा विभिन्न प्रयोजनों हेतु आरक्षित वन भूमि पर स्थाई/दीर्घकालीन एवं अस्थाई/अल्पकालीन लीजें स्वीकृत की गई थीं। दीर्घकालीन लीजें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती थीं व अल्पकालीन लीजें स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों एवं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित वन संरक्षकों द्वारा स्वीकृत की जाती थीं। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू होने के उपरान्त कालातीत लीजों के नवीनीकरण एवं नई लीजों की स्वीकृति हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यक है।

2. वर्ष 1979 से पूर्व अविभाजित उत्तर प्रदेश में वन भूमि पर स्वीकृत लीजों के लिए प्रत्येक वृत्त में अलग–अलग दरों से वार्षिक लीज रेन्ट लिया जाता था व इन दरों में एकरूपता नहीं थी। लीज रेन्ट की दरों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या–6450/14–3–930/77, दिनांक 2 जुलाई, 1979 जारी किया

गया, जिसमें उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार वन भूमि पर स्वीकृत की जाने वाली लीजों के समस्त मामलों में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर से वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम) एवं प्रीमियम के बराबर धनराशि का 10 प्रशित वार्षिक लीज रैन्ट लिये जाने का प्राविधान है। उक्त शासनादेश में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार आरम्भ में लीजधारक को वन भूमि का मूल्य व प्रत्येक 10 वर्ष में पुनः लीज रैन्ट के रूप में वन भूमि के मूल्य का भुगतान करना होता है।

3. पूर्व में चली आ रही व्यवस्था में विकास को गति देने तथा छोटे लीजधारकों को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से शासन द्वारा गम्भीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त नई व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृत प्राप्त होने के उपरान्त वन भूमि पर दी गई लीजों के नवीनीकरण तथा नई लीजों की स्वीकृत हेतु निम्नलिखित व्यवस्था होगी:-

3.1 लीजों का नवीनीकरण:

3.1.1 पेयजल, सिंचाई, पुल, घराट, पंचायत घर, रास्ता एवं स्कूल जैसे सामुदायिक एवं जनोपयोगी प्रयोजनों हेतु दी गई लीजों का नवीनीकरण प्रत्येक प्रकरण में रुपये 5.00 वार्षिक लीज रैन्ट की दर से किया जायेगा।

3.1.2 कृषि एवं बागवानी प्रयोजनों हेतु दी गई लीजों का नवीनीकरण निम्नानुसार किया जायेगा:-

i एक हेक्टेयर तक लैण्ड होल्डिंग के लिए रु0 15.00 प्रति नाली की दर से वार्षिक लीज रैन्ट लिया जायेगा।

ii लीजधारक जिनके पास एक हेक्टेयर से अधिक वन भूमि लीज पर है, उनसे जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज अवधि/99 रुपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज रैन्ट लिया जायेगा, अर्थात्

$$\text{वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम)} = \text{जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य} \times \frac{\text{लीज अवधि}}{99}$$

(1.) घर छप्पर, झोपडी, गोशाला प्रयोजनों हेतु दी गई लीजों का नवीनीकरण निम्नानुसार किया जायेगा:

(i) लीजधारक जिनके पास एक नाली (दो सौ वर्ग मीटर) तक वन भूमि लीज पर है, उनसे वन भूमि का मूल्य न लेकर केवल रु0 20.00 प्रति नाली की दर से वार्षिक लीज रैन्ट लिया जायेगा।

(ii) लीजधारक जिनके पास एक नाली से अधिक वन भूमि लीज पर है, उनसे जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज, अवधि/99 रुपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज रैन्ट लिया जायेगा।

3.1.4 व्यवसायिक प्रयोजन हेतु दी गई लीजों के नवीनीकरण हेतु जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज अवधि/99 रुपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का पाँच प्रतिशत वार्षिक लीज रैन्ट लिया जायेगा।

3.1.5 मन्दिर, आश्रम, धर्मशाला एवं कुटिया आदि प्रयोजनों के लिए दी गई लीजों का नवीनीकरण वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा निम्नानुसार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करके किया जायेगा:-

(i) किसी भी धर्मग्रन्थ में वर्णित स्थल या पुरातात्विक प्रमाणों से प्रमाणित स्थल या ऐतिहासिक साक्ष्यों से प्रमाणित स्थल, जिन्हें पूजा स्थल या उस पन्थ के श्रद्धा/विशेष स्थल के रूप में चिन्हित किया जा सके, को संरक्षित एवं विकसित करने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा तथा ऐसे मामलों में वन भूमि पर दी गई लीजों का नवीनीकरण निःशुल्क किया जायेगा।

(ii) जिन लीजधारकों द्वारा लीज का व्यवसायिक उपयोग (पूर्ण एवं आंशिक) किया जा रहा है, उनसे जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज अवधि/99 रुपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज रैन्ट लिया जायेगा।

(iii) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य लोकोपयोगी मामलों में वन भूमि का मूल्य न लेकर केवल रु० 20 प्रति नाली की दर से वार्षिक लीज रैन्ट लिया जायेगा।

3.1.6 भारत सरकार एवं राज्य सरकार के पर्यावरण, वन, कृषि, शिक्षा, उद्यान, मृदा एवं जल संरक्षण, औषधीय, चिकित्सा एवं अनुसंधान से जुड़े गैर वाणिज्यिक संस्थानों को वन भूमि पर दी गई लीजों का नवीनीकरण रुपया एक प्रति एकड़ वार्षिक लीज रैन्ट की दर से किया जायेगा।

3.2 नई लीजें:

3.2.1 भविष्य में सामुदायिक एवं जनोपयोगी प्रयोजनों के अतिरिक्त वन भूमि लीज पर नहीं दी जायेगी।

3.2.2 उत्तरांचल पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान की भाँति पंचायती राज संस्थाओं को वन भूमि पर प्रस्तावित पेयजल एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि निःशुल्क लीज पर दी जायेगी।

3.2.3 राज्य सरकार के उपक्रमों/संस्थाओं द्वारा वन भूमि पर प्रस्तावित सड़कों एवं पैदल मार्गों के निर्माण हेतु रु0 5.00 प्रति प्रकरण की दर से वार्षिक लीज रैन्ट लिया जायेगा।

3.2.4 ग्राम पंचायतों एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा सामुदायिक उपयोग हेतु वन भूमि पर प्रस्तावित एक मेगावाट तक क्षमता की सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु रु0 5.00 प्रति प्रकरण की दर से वार्षिक लीज रैन्ट लिया जायेगा।

3.2.5 उपरोक्त प्रस्तर–3.2.2, 3.2.3 व 3.2.4 को छोड़कर विभिन्न विकासकर्ताओं को वन भूमि पर प्रस्तावित निम्न लीजों के लिए जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज अवधि/99रुपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज रैन्ट लिया जायेगा।

(i) जल विद्युत परियोजनाओं एवं विद्युत पारेषण लाइन्स के निर्माण हेतु।

(ii) जलाधारित उद्योगों यथा–मिनरल वाटर प्लान्ट आदि की स्थापना हेतु।

(iii) वन भूमि पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु विभिन्न विकासकर्ताओं को वन भूमि लीज पर दी जायेगी, जिस हेतु राज्य सरकार के पर्यटन से सम्बन्धित उपक्रमों/संस्थाओं को वरीयता दी जायेगी।

(iv) राज्य में वैकल्पिक ईंधन एवं ऊर्जा से सम्बन्धित सुविधाओं/संयंत्रों की स्थापना हेतु एक एकड़ तक वन भूमि।

3.2.6 उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रयोजन, जिनके लिए उत्तरांचल शासन द्वारा वन भूमि को लीज दिया जाना उपयुक्त पाया जायेगा, उनमें शासनादेश संख्या–6450/14–3–930/77, दिनांक 2 जुलाई, 1979 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर से वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम) एवं प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रैन्ट लिया जायेगा।

3.3 उल्लंघन/अतिक्रमण के मामले:

3.3.1 लीजधारक जिनके द्वारा भू-उपयोग में परिवर्तन कर वन भूमि का उपयोग लीज के मूल प्रयोजन से इतर कार्यों हेतु किया जा रहा है अथवा लीज की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। ऐसे लीजधारकों से जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज अवधि/99 रुपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज रैन्ट लिए जाने के अतिरिक्त प्रीमियम का पाँच गुना धनराशि दण्ड स्वरूप ली जायेगी।

3.3.2 जिन लीजधारकों द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, ऐसे समस्त प्रकरणों में वन भूमि पर हुए अतिक्रमण को खाली कराये जाने के उपरान्त ही लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति प्रदान करने हेतु भेजा जायेगा।

3.3.3 लीज पर दी गयी ऐसी वन भूमि जिसके लीजधारक द्वारा वन भूमि का स्वयं उपयोग न करके किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया गया है अथवा किन्हीं अनुबन्धों के अन्तर्गत सबलेट/हस्तान्तरित किया गया है, ऐसी लीजों को नवीनीकृत नहीं किया जायेगा तथा वन विभाग/राजस्व विभाग द्वारा वन भूमि को खाली करवाकर अपने कब्जे में लिया जायेगा।

3.4 विविधः

3.4.1 लीज नवीनीकरण के ऐसे प्रकरण, जिनमें शासनादेश संख्या-6450/14-3-930/77, दिनांक 2 जुलाई, 1979 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार लीजधारकों द्वारा वन भूमि का मूल्य एवं लीज रेन्ट की धनराशि जमा कराई जा चुकी है, ऐसे मामलों को पुनः निर्णीत/खोला (Reopen) नहीं जायेगा।

4. शासनादेश संख्या 6450/14-3-930/77, दिनांक 2 जुलाई, 1979 एवं शासनादेश संख्या 666/14-2-600(51)/1999, दिनांक 19 जुलाई, 1999 उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

(डा0 रणबीर सिंह)
सचिव।

संख्याः- 156/7-1-2005-500(826)/2002 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 कॉम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
2. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
3. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तरांचल।
4. समस्त वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल।
5. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0–57 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर)

संलग्नक–क

वानिकी कार्य		व्यय की गयी धनराशि (रु0)
वनीकरण कार्य		
एम0डब्ल्यू0एस0नं0 1–दुग की गाड़	74.0 हे0	
एम0डब्ल्यू0एस0नं0 2–कनचोटी गाड़	35.0 हे0	
एम0डब्ल्यू0एस0नं0 3–नैनगल गाड़	90.0 हे0	5.19 लाख
एम0डब्ल्यू0एस0नं0 5–नागलिंग गाड़	23.0 हे0	
योग	273.0 हे0	
अग्रिम मृदा कार्य		
एम0डब्ल्यू0एस0नं0 12–कनचोटी गाड़	100.0 हे0	
एम0डब्ल्यू0एस0नं0 4–दर की गाड़	101.0 हे0	
एम0डब्ल्यू0एस0नं0 5–नागलिंग गाड़	66.0 हे0	28.153 लाख
एम0डब्ल्यू0एस0नं0 6–मल्छी गाड़	27.0 हे0	
योग	294.0 हे0	
जड़–बूटी पौधालय		
एम0डब्ल्यू0एस0नं0 1–दुग की गाड़	0.5 हे0	
एम0डब्ल्यू0एस0नं0 2–कनचोटी गाड़	0.5 हे0	
एम0डब्ल्यू0एस0नं0 3–नैनगल गाड़	0.5 हे0	
एम0डब्ल्यू0एस0नं0 4–दर की गाड़	0.5 हे0	1.25 लाख
एम0डब्ल्यू0एस0नं0 5–नागलिंग गाड़	0.5 हे0	
योग	2.5 हे0	
रामबास रिंगाल रोपण		
एम0डब्ल्यू0एस0नं0 1–दुग की गाड़	40.0 हे0	
एम0डब्ल्यू0एस0नं0 2–कनचोटी गाड़	120.0 हे0	
एम0डब्ल्यू0एस0नं0 3–नैनगल गाड़	150.0 हे0	
एम0डब्ल्यू0एस0नं0 4–दर की गाड़	50.0 हे0	1.22 लाख
एम0डब्ल्यू0एस0नं0 5–नागलिंग गाड़	150.0 हे0	
एम0डब्ल्यू0एस0नं0 6–मल्छी गाड़	100.0 हे0	
योग	610.0 हे0	

कुल योग वानिकी कार्य	:	35.813 लाख
भूमि संरक्षण कार्य		
एम0डब्ल्यू0एस0नं0 1–दुग की गाड़ 1. वानस्पतिक चैक डैम– 2. केटवायर चैक डैम– 3. कृषि योग्य भूमि सुधार 4. रीवर ट्रेनिंग वर्क 5. पानी एकत्र करने के टैंक 6. रीवर ब्रेक प्रोटेक्शन वर्क 7. भू–क्षरण की रोकथाम	40 संख्या 20 संख्या 25.0 हे0 ल0स0 2 संख्या 4 किमी0 ल0स0	6.824 लाख
एम0डब्ल्यू0एस0नं0 1–दुग की गाड़ 1. वानस्पतिक चैक डैम– 2. केटवायर चैक डैम– 3. कृषि योग्य भूमि सुधार 4. रीवर ट्रेनिंग वर्क 5. पानी एकत्र करने के टैंक 6. रीवर ब्रेक प्रोटेक्शन वर्क 7. भू–क्षरण की रोकथाम	100 संख्या 30 संख्या 50.0 हे0 ल0स0 20 संख्या 4 किमी0 ल0स0	11.927 लाख
एम0डब्ल्यू0एस0नं0 3–नैनगल गाड़ 1. वानस्पतिक चैक डैम– 2. केटवायर चैक डैम– 3. कृषि योग्य भूमि सुधार 4. रीवर ट्रेनिंग वर्क 5. पानी एकत्र करने के टैंक 6. रीवर ब्रेक प्रोटेक्शन वर्क 7. भू–क्षरण की रोकथाम	20 संख्या 20 संख्या 5.0 हे0 ल0स0 2 संख्या 3 किमी0 ल0स0	2.586 लाख
एम0डब्ल्यू0एस0नं0 4–दर गाड़ 1. वानस्पतिक चैक डैम– 2. केटवायर चैक डैम– 3. कृषि योग्य भूमि सुधार 4. रीवर ट्रेनिंग वर्क 5. पानी एकत्र करने के टैंक 6. रीवर ब्रेक प्रोटेक्शन वर्क 7. भू–क्षरण की रोकथाम	30 संख्या 30 संख्या 30.0 हे0 ल0स0 20 संख्या 2 किमी0 ल0स0	7.80 लाख

एम0डब्ल्यू0एस0नं0 5–नागलिंग गाड 1. वानस्पतिक चैक डैम– 2. केटवायर चैक डैम– 3. कृषि योग्य भूमि सुधार 4. रीवर ट्रेनिंग वर्क 5. पानी एकत्र करने के टैंक 6. रीबर ब्रेक प्रोटेक्शन वर्क 7. भू–क्षरण की रोकथाम	20 संख्या 10 संख्या 18.0 हे0 ल0स0 3 संख्या ल0स0	2.286 लाख
एम0डब्ल्यू0एस0नं0 6–मल्की गाड 1. वानस्पतिक चैक डैम– 2. केटवायर चैक डैम– 3. कृषि योग्य भूमि सुधार 4. रीबर ट्रेनिंग वर्क 5. पानी एकत्र करने के टैंक 6. रीबर ब्रेक प्रोटेक्शन वर्क 7. भू–क्षरण की रोकथाम	8 संख्या 4 संख्या 4.0 हे0 ल0स0 4 संख्या 2 किमी0 ल0स0	1.982 लाख
एम0डब्ल्यू0एस0नं0 2–सवा की गाड 1. वानस्पतिक चैक डैम– 2. केटवाबर चैक डैम– 3. कृषि योग्य भूमि सुधार 4. रीबर ट्रेनिंग वर्क 5. पानी एकत्र करने के टैंक 6. रीबर ब्रेक प्रोटेक्शन वर्क 7. भू–क्षरण की रोकथाम	150 संख्या 10 संख्या 20.0 हे0 ल0स0 2 संख्या 1 किमी0 ल0स0	6.18 लाख
जी आई वायर क्रय	400 कुन्तल	11.525 लाख
	कुल व्यय भूमि संरक्षण कार्य	51.09 लाख
कृषि विकास जलागम क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को कृषि विकास हेतु उन्नत बीज खाद्य रसायन, कृषि यंत्र प्रशिक्षण आदि निःशुल्क वितरण कराया गया। जिसमें एम0डब्लू0एस0 के दुग, कन्चोटी, नैनगल, दर, नागलिंग, मल्की के कुल 244 ग्रामवासी लाभान्वित हुए। बीज वितरण उर्वरक रसायन कृषि यन्त्र	 174.73 कु0 244.26 कु0 12573.75 लीटर 66 संख्या	17.09 लाख

उद्यान विकास–जलागम क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को उद्यान विकास हेतु पुराने बागानों का उपचार, नये बागानों का विकास, फल, सब्जी, बीज व पौध वितरण निःशुल्क किया गया । जिसमें एम0डब्लू0एस0 0दुग, कन्चोटी, नैनगल, दर के ग्रामवासी लाभान्वित रहे।		6.65 लाख
विविध धौलीगंगा जलागम क्षेत्र में उपचार योजना के अन्तर्गत कार्यरत 14 अधिकारी, कर्मचारियों के 12 माह के वेतन की धनराशि एन0एच0पी0सी0 से प्राप्त कर राजस्व मद में जमा कर व्यय की गयी।		11.041 लाख
विविध व्यय पेट्रोल, कार्यालय व्यय आदि	ल0स0	1.385 लाख
भवन निर्माण गलाती धारचूला	4 संख्या	6.476 लाख
वर्ष 2002–03 का कुल व्यय		129.56 लाख

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 22 वि0स0/421–31–8–2007–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/रीजियो)।